राजस्थान विधान सभा

पांचवी बैठक, मंगलवार, दिनांक--४ अक्टूबर, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्ह ४ बजकर ४ मिनिट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता !

प्रश्न संख्या २०१

वर्तमान वर्ष में किशनगढ़ सब डिवीजन में काम करने वाले अध्यापकों का फिक्सेशन

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क. चालू वितीय वर्ष के आरम्भ में किशनगढ़ सब डिविजन में काम करने वाले किन किन अध्यापकों के फिक्सेशन केसेज़ पेन्डिग थे ?

ख. चालू वर्ष में किन अध्यापकों के फिक्सेशन केसेज़ फैसल किये जा चुके हैं।

ग. इस वक्त किन किन अध्यापकों के फिक्सेशन केसेज़ पेन्डिग हैं, और कितने कितने समय से पेंडिग हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मन्त्राणी)—(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) अभी तक किसी भी अध्यापक का नहीं।

(ग) ऐसे अध्यापकों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। ये सन् ५१-५२ से विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—सन् १९५१-५२ से ये ८३ केसेज़ अध्यापकों के किशनगढ़ सब डिविजन के पेन्डिंग में रखने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—सुनाई नहीं पड़ा जी।

श्री चांदमल मेहता—जो लिस्ट दी गई है उसमें ८३ अध्यापक हैं। तो उनके केसेज़ ५१-५२ से अभी तक पेन्डिंग रखने के क्या कारण हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री):—क्योंकि अभी तक इन मामलों में फिक्सेशन नहीं किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जनरली इन्टीग्रेशन का काम चल रहा था। वह जल्दी खतम नहीं हो सका और चलता रहा। तो जब तक इन्टीग्रेशन नही हो जाता तब तक युनीफाइड पे स्केल में फिक्सेशन करना मुश्किल है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऐसे कामों में अमूमन कितने साल लगा करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ये तो जितने साल हैं, आपके समक्ष हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—चार-पांच साल तो लग गये अब और आपके ख्याल में कितना समय लगता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि अगली असेम्बली के सेशन के पहले यह सब हो जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि इस मामले में पिछली बार मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि यह मामला जल्दी निपटा दिया जायगा, पर इस उत्तर में वह अश्वाशन पूरा नहीं हो पाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उस समय क्या आश्वासन दिया गया, मुझे नहीं मालूम। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पर जहां तक फिक्सेशन और इन्टीग्रेशन का सवाल है मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि इस मामले को हम जितना जल्दी करने की पहले कल्पना करते थे उससे कहीं ज्यादा काम निकल गया और इस डिपार्टमेन्ट को इन्टीग्रेशन करने का काम एक बहुत बड़ा प्रोब्लम होने से सरकार की ओर से वापिस पूरे डिपार्टमेन्ट के इन्टीग्रेशन पर विचार किया गया और इस बारे में हमारे प्रयत्न चालू हैं।

Page No.3

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन्टीग्रेशन और फिक्सेशन करने के सम्बन्ध में एक वर्ष पूर्व कोई कमेटी बनी थी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरी जानकारी में नहीं है।

प्रश्न संख्या २०२

सरकार द्वारा मार्च, १९५४ में क्रय की गई पुस्तकों के टेण्डर

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) Did the Government make any purchases of books in March, 1954 ? If so, of how much amount ?

(b) Were tenders invited before ordering these purchases ? Was the lowest tender accepted ?

(c) With whom was the order for these purchases placed ?

(d) What were the terms at which this order was placed?

(e) At what rates have the final payments to this firm been made in respect of these purchases ?

(f) Is there any difference between (d) and (e) ? If so, what action has the Government taken in the matter ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—(उप शिक्षा मंत्राणी)

(a) Yes, Sir, of Rs. 46, 495/11/3.

(b) Yes, Sir, the tender accepted was the lowest.

(c) The order was placed with :

(1) Messrs. Rajasthan pustak Mandir, Jaipur.

(ii) Messrs. सस्ता साहित्य मंडल, Delhi.

Page No.4

[श्री मती कमला कुमारी बेनीवाल]

(iii) Messrs. purvadya Prakashan, Delhi.

(d) The order was placed at the rate of 25% discount.

(e) At 22½ for Hindi general books and (ii) at 16½ for English books; (iii) 7% for text books.

(f) Yes, Sir, the case is under investigation of the Government,

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जो टेन्डर आये उनमें २५ परसेन्ट से भी लोअर थे ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—This was the lowest, I have told that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that there was tender quoting 22½% discount also amongst the tenderers tendered ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि २५ परसेन्ट के डिस्काउन्ट से ऑर्डर प्लेस किया गया था तो फिर साढ़े बाईस पर्सेन्ट, १६ पर्सेन्ट और सात पर्सेन्ट पेमेन्ट किस आधार पर किया गया । यह किसने सेंक्शन किया ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसलिए एन्क्वायरी हो रही है ।

श्री खेतसिंह—उस वक्त कौन मन्त्री महोदय थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह तो आप हिसाब लगा लीजिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें गड़बड़ी सरकार के ध्यान में कब से आई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जांच शुरु की गई उसके कुछ दिन पहले ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से इन्क्वायरी करानी पड़ी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—प्रश्नकर्ता महोदय ने पूछा था वह गड़बड़ी हो गई।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न करने से अगर गड़बड़ी हो गई और उससे आपने जांच कराई तो इसके लिए धन्यवाद और अगर बाद में गड़बड़ी से किसी को सजा मिले और उनमें गड़बड़ी हो तो उसके लिए भी धन्यवाद।

तो मैं पूछ यह रहा था कि सरकार ने जांच कब शुरु की?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)—जांच की ठीक तारीख तो नहीं मालूम, पर जिस पर्सेन्टेज की जांच कर रहे हैं उसमें दरअसल २६ पर्सेन्ट का लोएस्ट टेन्डर था और २५ पर्सेन्ट पर आर्डर प्लेस किया गया था। वह एक पर्सेन्ट का जो फरक हुआ है वह कैसे हुआ और पेमेन्ट देते समय साढ़े बाईस पर्सेन्ट कैसे हुआ और साढे तीन पर्सेन्ट जो कम हुआ वह रिबेट दिया गया, काम जल्दी करने के लिए ऐसा मालूम होता है। अब साढ़े तीन पर्सेन्ट का हिसाब देखने से यह पता लगा कि इमर्जेन्सी की वजह से यह हुआ, पर वह इमर्जेन्सी जस्टीफाइड थी या नहीं और उन्हीं किताबों को दूसरे इतने लो रेट्स पर देने को तैयार थे या नहीं, इसी बात की जांच की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि टेन्डर्स इन्वाइट करने के डेढ़ महीने बाद सब टेन्डरर्स को बुलाकर यह कहा गया कि आप ७ दिन में चाहो तो सप्लाई दो और उसके लिए रिवाइज्ड़ रेट्स पेश कर सकते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—क्या, मैं समझा नहीं हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—you are permitted to revise your tenders and make fresh bidding provided you are prepared to supply within a week?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह मेरी जानकारी में नहीं है कि उनको चार रोज़ में सप्लाई करने का नोटिस दिया गया या नहीं। इन सारी चीजों की जांच की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर २५ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट के हिसाब से दिया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—लेकिन वह तो पहले ही क्लियर हो गया है कि टेन्डर २६ प्रतिशत का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ऑर्डर २५ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट के हिसाब से प्लेस किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—२५ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट रेट्स का टेन्डर होते हुए बाद में जो रिबेट दिया गया उसकी सेन्कशनिंग ऑथोरिटी कौन थी ?

श्री मोहलाल सुखाडिया—मैंने आपसे अर्ज किया है कि जांच की जा रही है, उसका जो परिणाम होगा वह आपको बता दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जांच के फॉर्मल ऑर्डर कर दिये गये हैं या प्रिलीमिनेरी जांच की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नहीं, फॉर्मल जांच की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फॉर्मल जांच के ऑर्डर्स कर दिये क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—फॉर्मल जांच के ऑर्डर्स नहीं किये गये हैं। प्रिलीमिनेरी इन्क्वायरीज़ की जा रही हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी मालूम हुई हैं जिनसे फोर्मल जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जो सप्लाईज़ दी गई हैं इसकी किसी ने जांच की थी ? Has anybody certified the receipt of the supplies which are made ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह मैं समझता हूँ कि अलग ही प्रश्न है कि सप्लाई जो की गई है उसको किसी ने सर्टीफाई किया या नहीं। यह प्रश्न केवल पर्सेन्टेज का है जिसकी सप्लीमेन्ट्रीज़ का जवाब दे दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जांच कब पूरी करने का सरकार का इरादा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री गुरुदयालसिंह।

प्रश्न संख्या २०३

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या २०४

करौली में हरिजनों के जलकष्ट निवारणार्थ शासकीय कार्यवाही

श्री हंसराज जटिया—क्या मंत्री दलित वर्ग विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

करौली में हरिजनों का जलकष्ट निवारण के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलितवर्ग कल्याण मंत्री)—करौली में हरिजनों को जलकष्ट संबंधी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। केवल मंडरायल ग्राम के हरिजनों ने कूप निर्माण के लिये सहायता हेतु निर्धारित आवेदनपत्र भर कर सब डिवीजनल ऑफिसर, करौली, को प्रस्तुत किया है जो उन्होंने ता० ११-८-५५ को संचालक, पिछड़ी जाति कल्याण विभाग को भेज दिया है। उक्त आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

श्री हंसराज जटिया—और गांव में कोई शिकायत नहीं है क्या ?

श्री भोगीलाल पंडया—समय समय पर जब शिकायतें आई उसी समय उनका निबटारा कर दिया गया।

प्रश्न संख्या २०५

श्री अध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

जयपुर कलेक्टर के भवन का उद्घाटन एवं उस भवन के निर्माण पर व्यय

श्री तेजमल बापना:-Will the Minister for P. W. D. (B. & R.) please reply to the following question :—

1. When was the building for Collectorate, Bhilwara completed and inaugu-rated ?

2. What was its estimate and what is the actual expenditure ?

Page No.8

[श्री तेजमल बापना]

3. Is it a fact that some repairs were made thereafter in its plastering? If so, why was it necessitated early?

4. Whether this building is upto the standard of the construction and whether all payments have been made to the contractor?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)

1. Date of completion-30th April 1955.

Date of inauguration-9th May, 1955.

2. The sanctioned estimate was Rs. 3,36,600. The actual expenditure incurred is Rs. 3,13,220.

3. Since the final bill is not yet paid no repairs were carried out at Government cost by this Department.

4. The building is quite upto the standard since the work is executed according to specifications. The final bills of the contractors have not yet been paid to the contractor.

श्री तेजमल बापना—Whether some repairs were made or not, I want a reply.

श्री शाह अलीमुद्दीन—Of course they were made, but they were made at the cost of the contractor himself, not at the cost of the Government.

श्री तेजमल बापना—Whether the materials are examined before uudertaking the work?

श्री शाह अलीमुद्दीन—Definitely.

प्रश्न संख्या २०७

भरतपुर जिले के रिटायर्ड सोल्जर्स को आर्थिक सहायता एवं भूमि

श्री तेजपाल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.9

[श्री तेजपाल]

(क) भरतपुर जिले में कितने रिटायर्ड सोलजर्स को ५० बीघे ज़मीन तथा ५००) रु० सहायता स्वरुप दिए गए हैं ?

(ख) क्या सरकार के ऐसे भी नियम हैं कि रिटायर्ड सोलजर्स को दी जाने वाली जमीन बंजर होनी चाहिये ?

(ग) यदि हां, तो कितनों को बंजर जमीन न देकर काश्तकारों से चालू जमीन छुड़ा कर दी गई है ?

(घ) क्या ऐसे सोल्जर्स को भी जमीन दी गई है जो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) इस जिले में २५ व्यक्तियों को ७०६ बीघा ११ बिस्वा जमीन एलॉट की कई है । (५००) रु० इनाम रिसेटिलमेंट अधिकारी अलवर द्वारा मंजूर किया जाता है ।) जो केंद्रित सरकार से सम्बंधित होता है । इस विषय में सूचना प्राप्त होने पर सदन को बता दिया जावेगा ।

(ख) इस सम्बंध में नियमों की कोई व्याख्या नहीं है कि रिटायर्ड सोल्जर्स को बंजर जमीन देनी चाहिये लेकिन यह जरुरी है कि वह जमीन जिस पर किसी का कब्जा नहीं हो वह दी जाती है ।

(ग) किसी भी काश्तकार से चालू ज़मीन को छुड़ाकर रिटायर्ड सोल्जर्स को नहीं दी गई है ।

(घ) जिन व्यक्तियों को ज़मीन एलॉट की गई है उनमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नौकरी भी करते हैं ।

श्री तेजपाल—ऐसी भी जमीन है जो कि दी गई है वह काश्तकारों से छीन कर दी गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि काश्तकारों से छुडाकर कोई जमीन एलॉट नहीं की गई है ।

श्री तेजपाल—मेरी जानकारी में है । धौलपुर तहसील में कुछ काश्तकारों से जमीन छीनकर दी गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप अगर ऐसी कोई इन्स्टान्स गवर्नमेंट के सामने लायेंगे तो जांच की कार्यवाही की जायगी ।

Page No.10

प्रश्न संख्या २०८.

महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर, में हरिजनों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर में अब तक भी हरिजनों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि तारीख १३.६. ५५ को एक हरिजन के छुए हुए व्यक्ति को अध्यक्ष महोदय ने अपने कार्यालय में नहीं आने दिया और उस व्यक्ति द्वारा छुई हुई ऑफिस की चिक को भी पानी से धुलवाया गया और उस कर्मचारी व व्यक्ति को भी नहाने की आज्ञा दी गई ?

(ग) यदि यह सत्य है तो क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच करेगी ?

(घ) यदि वास्तव में छुआ-छूत का व्यवहार किया गया और इस प्रकार की घटना घटी तो सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या यह सही है कि नाथूराम नाई जिसने मेहतर को छू दिया था उसको नहलाया गया ?

श्रीमति कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या यह सही है कि प्रभु नाम के व्यक्ति को धक्का दिया गया है और कहा गया है कि तुमको कतई पढ़ने का अधिकार नहीं है ?

श्रीमती कमलाकमारी बेनीवाल—जी नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार नहीं है ?

श्रीमति कमला कुमारी बेनीवाल—जितना जरूरी था उतनी जांच करनी मामले का जवाब दिया गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सरकार को मालूम है कि यह बिल्कुल सही बात है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनिवाल—इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—सरकार जांच करना चाहती है या नहीं ? अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो क्यों नहीं करना चाहती ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—शिकायत कोई आयेगी तो जांच की जायगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—सरकार इसे ही शिकायत के रूप में मान ले व इसकी जांच कराने को तैयार है क्या ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मानने से बात नहीं होती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—जांच कराने में हर्ज क्या है ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे एक सप्लिमेन्ट्री करना है, माननीय अध्यक्ष, इसमें। चूंकि अब भारतीय पार्लियामेंट ने इस सिलसिले कानून बना दिया है तो क्या इस प्रश्न पर एफ. आई. आर, लगाकर पुलिस के पास भेज दिया जायगा जांच कराने के लिए ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०६.

किशनगढ़ तहसील में नकदी लागन निश्चित होने पर भी लटाई

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.12

[श्री चांदमल मेहता]

(क) किशनगढ़ तहसील में नकदी लगान मुकर्रर होने के बाद किस किस ग्राम में कब २ किन अधिकारीयों द्वारा लटाई की गई ?

(ख) उक्त लटाई का अनाज कब कब ग्रेन स्टोर में कितना २ जमा हुआ है।

(ग) उक्त लटाई के संबन्ध में कितनी मरतबा जांच हुई और वे कागजात कहां हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) किशनगढ़ तहसील में नकदी लगान मुकर्रर होने के बाद ग्राम बड़गांव में संवत् २०१० में खरीफ की लटाई श्री रूपसिंह द्वारा की गई।

(ख) लटाई का अनाज सुपुर्ददार के पास अमानत के तौर पर रखा गया है।

(ग) इस संबंध में जांच जारी है और S.D.O. को तकादा किया जा चुका है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को मालूम है कि बड़गांव के अलावा अन्य कई गांवों में इस तरह पर लटाई की गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास—चुरली और पाटन की भी शिकायत है कि वहां पर जागीरदारों द्वारा लटाई की गई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि चुरली और पाटन के अन्दर लटाई जागीरदारों ने नहीं की है बल्कि राज्याधिकारियों ने की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि चुरली और पाटन दोनों की शिकायतों के संबंध में कमिश्नर ने कोई जांच की थी और अधिकारियों को दोषी पाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि मेरी जानकारी नहीं है कि लटाई हुई थी या नहीं।

श्री चांदमल मेहता—जो इन्क्वायरी २००६ की थी वह एन्क्वायरी कब समाप्त हुई और अब किनके पास पेंडिंग है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कौनसी एन्क्वायरी से आपका मतलब है ?

श्री चांदमल मेहता—२००६ की।

Page No.13

श्री दामोदरलाल व्यास—२००६ का मुझे मालूम नहीं है। २००० की लटाई के मामले की इन्क्वायरी की गई है।

श्री चांदमल मेहता—मैं जानना चाहता हूँ कि २००६ की लटाई की इन्क्वारी कब तक फाइनल होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि २००६ की लटाई की कोई इन्क्वायरी नहीं की गई है।

श्री चांदमल मेहता — २०१० की कब फाइनल होगी, ? २०१० के बारे में क्या बताया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें दो इन्क्वायरी चल रही हैं। एक इन्क्वायरी तो तहसीदार के खिलाफ चल रही है जिसने गलत तरीके से लटाई की है और दूसरी इन्क्वायरी है जो जमीन का तनाजा था, जिसकी वजह से लटाई की गई है। तो आपका किस एन्क्वायरी से मतलब है ?

श्री चांदमल मेहता—मैं दोनों इन्क्वायरीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या स्थिति है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एक इन्क्वायरी में तो तहसीलदार को चार्जशीट दी जाकर महकमाना कार्यवाही की जा रही है और दूसरी इन्क्वायरी एस. डी. ओ. के पास है जो कि जमीन का तकाजा था।

श्री चांदमल मेहता—चार्जशीट कब बनाई गई

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख इस वक्त याद नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पाटन और बड़गांव के बारे में और चार्जशीट के संबंध में एक बार इसी विधान सभा में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताया जा चुका है; जिसके बारे में अब 'नहीं' किया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि बड़गांव के सिलसिले में मैंने जरूर जवाब दिया था कि चुरली और पाटन वाली बात मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी राज्य के अधिकारी द्वारा लटाई की गई है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन के जागीरदारों द्वारा बराबर लटाई नहीं करवाई है। और भूतपूर्व राजस्थान के समय से ही सरकार द्वारा लटाई होती रही है ?

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन ?

प्रश्न संख्या २१०

जोधपुर डिविजन में कुटीर उद्योग पर वार्षिक व्यय

श्री खेतसिंह—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर डिविजन में कुटीर उद्योग (कॉटेज इन्डस्ट्रीज़) पर सालाना कितना खर्चा किया जाता है ?

(ख) क्या सरकार को यह मालूम है कि जोधपुर स्थित कर्मचारी कुटीर उद्योग को कोई प्रगति, प्रचार या प्रोत्साहन नहीं देते हैं ?

(ग) क्या सरकार यह बतलाएगी कि सन् १९५४ के सितम्बर से १९५५ के सितम्बर तक जोधपुर में काम करने वाले इस विभाग के कर्मचारियों ने क्या कार्य किया है और इस विभाग की शाखा जोधपुर में रखने का क्या प्रयोजन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जोधपुर डिविजन में इस विभाग की शाखाओं में गत वर्षों में जो खर्चा हुआ और इस वर्ष के बजट में जो रकम स्वीकृत हुई उसका विवरण इस प्रकार है :

सन् ५२-५३ में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ने इस पर	१९,१७२ रु० खर्च किये
सन् ५३-५४ में	१७,२९९ रू० खर्च हुए
सन् ५४-५५ में	१५,८८६ रू० खर्च हुए
सन् ५५-५६ के अनुमानित बजट में	१९,४८४ रू० खर्च होंगे

मार्केटिंग ऑफिसर द्वारा जो खर्चा किया गया वह इस प्रकार है:

सन् ५२-५३ में	१०,१४७
सन् ५३-५४ में	१२,२१५
सन् ५४-५५ में	१३,५७९
सन् ५५-५६ के अनुमानित बजट में	१२,१४५

कॉटेज इंडस्ट्री में जो खर्चा हुआ वह इस प्रकार है:

[श्री भोगीलाल पाड्या]

सन् ५२–५३ में	२८,६७३
सन् ५३–५४ में	३२,७१३
सन् ५४–५५ में	३२,४१२
सन् ५५–५६ के अनुमानित बजट में	३७,२८४

शीप एंड वूल

वूल ग्रेडिंग

सन् ५२-५३	३१,१६१ रु०
सन् ५३-५४	२६,४८६ रु०
सन् ५४-५५	२६,१२७ रु०
सन् ५५-५६ के बजट में	३३,३०० रु०

वूल इंप्रूवमेंट

सन् ५२-५३	३,२३६
सन् ५३-५४	१०,२७३
सन् ५४-५५ बजट प्रपोजल्स	१५,८६०

(ख) यह सही नहीं है। जोधपुर स्थित इस विभाग की शाखाओं द्वारा कुटीर उद्योग की उन्नति के लिये हर प्रकार सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं जैसे नई इन्डस्ट्रीज़ के लाइसेन्स देना, छोटी इन्डस्ट्रीज़ को कर्ज देकर उनके कार्य को बढ़ाना, इनके उत्पादन को प्रदर्शनी व मेलों में रख कर उनका प्रचार करना, विभिन्न धंधों को शिक्षण देना, शिक्षार्थियों को छात्रवृति देना, भेड़ की नस्ल सुधार कर उनकी जाति में उन्नति करना, भेड़-पालकों का संगठन करना आदि।

(ग) जोधपुर स्थित इस विभाग की शाखाओं में क्या क्या कार्य हुआ था प्रगति का, उसका विवरण इस प्रकार है।

उप संचालक के कार्यालय के द्वारा :

Page No.16

[भोगीलाल पाड्या]

खादी भण्डार, जोधपुर को १५,०००) रु० की सहायता दी गई। ६-कारखानों को ५२,५०० रु० का कर्ज के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की गई, १८ नई इंडस्ट्रीज़ के लाइसेंस दिये गये। डिमान्सट्रेशन पार्टीज़ द्वारा सावड़ा, बिलाड़ा, नागौर आदि स्थानों पर जाकर वहां के मेलों में कपड़े की बुनाई के काम-प्रदर्शन किया गया।

पुरुषार्थी व्यक्तियों में से १६ को रेलवे वर्कशोप में व १५ को सरकारी 'कोटेज इंडस्ट्रीज़ में विभिन्न उद्योग की शिक्षा दी गई है। लाइसेन्स फीस के १६०० रु० वसूल हुए।

मार्केटिंग ओफिस द्वारा—२३६७ रु० का सामान देहली एम्पोरियम में भेजा गया। ५६७० रु० का माल जोधपुर केंद्र में बिका।

परवतसर, सावड़ा और नागौर में प्रदर्शनी हुई उसमें भाग लिया। कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित सामान बेचा जिस पर ४०२ रु० का मुनाफा रहा।

कॉटेज इन्डट्रीज इन्सटिट्यूट, जोधपुर—

इस केंद्र में ३० स्थानीय शिक्षार्थी और १५ विस्थापित शिक्षार्थियों को विभिन्न उद्योगों का शिक्षण दिया गया। इस केंद्र में २३७५ गज कपड़ बुना गया। ७८ रतल निवार बुनी गई और २ नमदे बुने गये। ... ...

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष—उत्तर बड़ा है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सारे डिटेल्स बता रहा हूँ।

श्री खेतसिंह—बड़ा इसलिये बताते हैं कि कहीं सप्लीमेंट्री न पूछ बैठे।

श्री भोगीलाल पंड्या—आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप इनको उत्तर की कोपी दे देना।

श्री जसवन्तसिंह—मैं यह जानना चाहूँगा कि आजकल के जमाने में जब कि मनुष्यों की जातियां बंद की जा रही हैं उस समय मंत्रीजी भेड़ों की जातियें नयी निर्माण करने जा रहे हैं क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—खून उनमें तरह तरह का होता है, तरह तरह की नस्ल होती है।

श्री जसवन्तसिंह—आपने जातियों का नया निर्माण किया है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग अलग नस्ल की अलग अलग जातियें माननी पड़ेंगी; कोई मोटी, कोई छोटी आदि।

श्री जसवन्तसिंह—मनुष्यों में क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि जातियें हैं, लेकिन मोटी-छोटी आदि नहीं हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—उनके भी अलग अलग तरह के नाम हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास —उद्योग विभाग का जो कार्य-विवरण दिया है उसमें सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए बिल्स और टी. ए. बिल्स का उल्लेख क्यों नहीं किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग प्रश्न पूछेंगे तो वह भी बता दूंगा।

प्रश्न संख्या २११

श्री अध्यक्ष – श्री किशनलाल शाह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या २१२

बस स्टेन्ड राजाखेड़ा धोलपुर सब डिविजन से लेकर राजाखेड़ा तहसील तक पक्की सड़क बनने सम्बन्धी योजना

श्री हंसराज जटिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बस स्टेन्ड राजा खेडा धोलपुर सब डिविजन से लेकर राजाखेडा तहसील तक सड़क के पक्के निर्माण के हेतु सर्वे हो चुकी है जिसको एक वर्ष हो गया है ?

(ख) क्या कारण है कि उसको अभी तक बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री) (क) हां ।

(ख) पंच साला योजना में इसको जगह नहीं मिल सकी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कौनसी पंचशाला योजना में ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—फर्स्ट पंचशाला योजना में ।

श्री हंसराज जटिया—कितने रूपयों का एस्टीमेट है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—पहले २५,००० का बना था, बाद में रेट्स अमेन्ड हो जाने से ४२,५०० का एस्टिमेट बना ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह जरूरी है कि पंचशाला योजना में ही यह हो ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह स्कीम पंचशाला योजना की ही है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या दूसरी पंचशाला योजना में इसका प्रोविजन रखा गया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—रखने की कोशिश की जायगी ।

श्री कपिलदेव—यह योजना तो बन गई बताई ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order ! ! Next question.

प्रश्न संख्या २१३

यादव जाति के छात्रों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधायें देना

श्री तेजपाल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि यादव जाति के लड़कों व लड़कियों को अनुसूचित जातियां की भांति छात्रवृत्तियां मिलती हैं और मिल रही हैं ?

(ख) क्या यही है कि नौकरियां में भी किन्हीं डिपार्टमेन्ट्स में यादव जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का मानकर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पांड्या— (उद्योग मंत्री) : (क) हां।

(ख) विभाग विशेष का उल्लेख न होने के कारण इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता।

कुं.श्री जसवन्तसिंह—कौनसी यादव जाति से आपका मतलब है ? कुछ यादव इधर बैठे हैं, कुछ उधर बैठे है ; आपका किनसे मतलब है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस बारे में मैं सदन के सामने एक बार उत्तर दे चुका हूँ, बार-बार पुनरावृत्ति ठीक नहीं होगी।

श्री जसवन्तसिंह—वह इस समय याद नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—They are Conscious.

श्री भोगीलाल पंड्या—सन् १६५४ के अगस्त में हमने यह सिफारिश की थी कि शिक्षा की दृष्टि से यादवों को शिड्यूल कास्ट्स की सभी सुविधाएं मिलनी चाहिये। शिक्षा के संबंध में उनको सहूलियतें दी जाती हैं लेकिन नौकरियों के संबंध में नहीं दी जाती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या राजस्थान सरकार ने अपने विभागों को कॉपी दे रखी है कि इनको ये ये सहूलियतें दी जायेंगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

प्रश्न संख्या २१४

श्री अध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या २१५

लक्ष्मणगढ़ (जि० अलवर) में कुन्जी लाल द्वारा कुछ जमीन धर्मशाला निर्माणार्थ लेने सम्बन्धी

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) Is the Government aware that one Shri Kunjilal Kothari had taken possession of some land for constructing a Dhrmashala in Laxmangarh, District Alwar ?

Page No.20

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(b) Is the Government aware that the said person did not construct any Dharmashala but used the land for his private purpose ?

(c) Is it a fact that an enquiry has already been made in this case by the Revenue authorities (Nazool) and an amount of Rs. 15,565/- has been adjudged as being due from this said Kothari ?

(d) Will the Government state whether this said amount has been recovered from the person ? If not, why not ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) —(क) जी हां । कुंजीलाल कोठ्यारी को जमीन धर्मशाला बनाने के लिये सन् १६३५ में दी गई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी मामले की जांच की जा रही है जिसके बाद नजूल के नियमों के मुताबिक अपराधी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

(घ) जब जांच जारी है तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कलेक्टर के पास कब से भेजी गई और कितने अर्से से विचाराधीन है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख उपलब्ध नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मालूम होना चाहिये था कि क्वेश्चन में यह लिखा है कि : "Whether the amount has been adjudged as due. This arises from the question itself.

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि तारीख दी नहीं है लेकिन कलेक्टर के पास थोड़े दिनों से है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह ठीक है कि श्री कुंजीलाल कोठारी एक कांग्रेसी होने के कारण इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ये कांग्रेसी नहीं है, शायद कम्युनिस्ट बतलाये जाते है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ये सिर पर सफेद टोपी रखते है और ११ महीनों से यह मामला दबा हुआ पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता, नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—साहब यह ११ महीनों से दबा हुआ पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष—Order ! Next question.

प्रश्न संख्या २१६.

१ जनवरी, १९५५ के बाद छोटे उद्योग-धन्धों को सरकार द्वारा कर्जे दी गई रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. १ जनवरी, सन् ५५ के बाद छोटे उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी रकम कर्ज के रूप में दी गई ?

२. किशनगढ़ सब डिविजन में उक्त रकम में से कितनी रकम दी गई ?

३. किशनगढ़ सब डिविजन के कितने मामले लोन देने के कब से सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री भोगीलाल पंड्या—१ जनवरी, सन् १९५५ से अब तक छोटे उद्योगों को कर्ज के रूप में २,५६,६०० रु. लोन कमेटी ने स्वीकार किये हैं ।

(२) किशनगढ़ सब डिविजन में लिये १०,००० रु. लोन कमेटी ने स्वीकार किये हैं ।

(३) किशनगढ़ सब डिविजन के ५ मामले विचाराधीन हैं जिनमें से सबसे पुराना जनवरी, १९५५ का है ।

श्री चांदमल मेहता—जो कर्ज दिया जाता है वह किस किस स्थान पर दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां से उचित मांग आती है वहां सब जगह दिया जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि छोटे छोटे उद्योगों को रॉ मटिरियल खरीदने की दृष्टि से कर्ज नहीं दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, ऐसी बात नहीं है; रॉ मेटीरियल खरीदने के लिये भी दिया जाता है बशर्ते कि उसकी ऐसी स्थिति हो कि हमारा कर्ज वापिस दे सके।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि चमड़े का काम करने वाले कई व्यक्तियों को इस आधार के ऊपर कर्ज देना नामन्जूर कर दिया गया है कि रॉ मेटीरियल के लिये सरकार कर्ज देती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां इन्कार किया है वहां दूसरा रास्ता भी बताया गया है। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिये उनको कहा गया कि कोआॅपरेटिव सोसाइटी बना कर जितनी रकम चाहे ले।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि जो जानकारी मन्त्री महोदय दे रहे हैं उस तरह का किशनगढ़ के मामले में नहीं है और रॉ मेटिरियल के लिये देना सरकार की ओर से स्वीकृत नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—चमड़े के लिये किसी ने सहायता मांगी हो तो आप बता दें, तो मैं बता सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—कब तक फैसला कर दिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ज्यों ही खाना पूरी हो जायगी उनको सहायता दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि किशनगढ़ के मामले की खाना पूरी हो कर भेजे हुए एक महीने हो गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, ६-६-५५ से वह मामला आया है और अब कमेटी होगी उसमें, अगर खानापूरी पूरी होगी, तो रुपया दे दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य—सरकार द्वारा कर्ज किन शर्तों पर दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—Order!

एक माननीय सदस्य—भरतपुर के इस बारे के मामले में क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—किशनगढ़ से भरतपुर कैसे चले गये ? नेक्स्ट।

Page No.23

प्रश्न संख्या २१७

भीलवाड़ा सांगानेर एप्रोच रोड के एस्टिमेट्स की स्वीकृति ।

श्री तेजमल बाफना—Will the Minister for P- W- D- (B. & R.) please reply to the following question :—

I. What is the estimate of Bhilwara--Sanganer approach road and when was that sent by the Executive Engineer(B. & R.) Bhilwara for sanction?

2. Has the estimate been sanctioned now ? If not, why not ?

शाह श्री .अलीमुद्दीन (उपमंत्री) —I. No detailed estimates have been submitted by the Executive Engineer,B. &. R., Bhilwara, but on 3oth October, 1953 he has reported Rs. 40,000/--as preliminary cost of this work.

S. No- This was not included in the First Five Year Plan.

श्री तेजमल बापना—क्या अभी इसकी सेंक्शन नहीं हो रही है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—It has now been included in the Second Five Year Pan.

श्री रोशनलाल—क्या यह सही है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जो रोड एप्रूव की थी वह अभी तक नहीं बनी है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—आप किसी खास सड़क के बारे में फरमायें तो मैं जांच करके जवाब दे सकता हूं क्योंकि वहां कई सड़कें हैं।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही है कि भीलवाड़ा सांगानेर एप्रोच सड़क जो फर्स्ट फाइव इयर प्लान में ली गई है वह नहीं बनाई गई है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २१८.

जोधपुर से जैसलमेर की सड़क पक्की डाम्बर की बनी होने पर भी कई स्थानों पर टूट जाना

श्री खेतसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर से जैसलमेर को मिलाने वाली सड़क कितने मील तक पक्की डाम्बर की बना दी गई है ? बकाया कितने मील कच्ची रही है और वह भी कब तक पक्की बना दी जावेगी ?

(ख) बारिश की वजह से हाल ही में तैयार हुई यह डाम्बर की सड़क कितने स्थानों पर टूटी है ?

(ग) क्या यह सही है कि बहुत कम डाम्बर डालने की वजह से जोधपुर से ५१ मील तक की उपरोक्त सड़क बड़ी कमजोर और नाजुक बनी है ?

(घ) क्या पोकरण से जैसलमेर तक के लिये भी पक्की सड़क बनाने के ठेके दे दिये गए हैं। यदि हां तो कार्य कब शुरू होगा ?

(ङ) क्या यह सच है कि इस सड़क के उस हिस्से पर जहां कि ज्यादा ट्राफिक रहता है वहां तो सड़क मामूली डाम्बर डालकर बनाई गई है और जहां कम ट्राफिक चलता है वहां बड़ी बहतरीन सड़क बनाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—क. ४६ मील ४ फलांग डाम्बर की बनी है। ६० मील की पक्की मेटल्ड है और बाकी ६६ मील ४ फलांग कच्ची ग्रेवल सड़क है। यह अगले दो तीन वर्ष में पक्की बनेगी।

ख. डामर की सड़क वर्षा में किसी भी जगह से नहीं टूटी है।

ग. नहीं, यह सही नहीं है।

घ. हां, दो ठेके दिये जा चुके हैं जो १६ और १४ मील के लिये हैं, कार्य चालू हैं।

ङ. जोधपुर से शेरगढ़ की सड़क का कार्य सन् १६५२,-५३ में शुरू किया गया था और इस कार्य का स्पेसिफिकेशन सिविल ट्राफिक के लिये राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था। इसी प्रकार पोकरण से जैसलमेर तक की सड़क की भी यही विशिष्टियां स्वीकृत हुई थीं। इसके बाद १६५४-५५ में शेरगढ़ से पोकरण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थी जिसमें इस टुकड़े की विशिष्टियां अधिक अच्छी रखी गई थीं अर्थात् भारत सरकार ने इस टुकड़े पर कार्पेटिंग करने की आज्ञा प्रदान की थी और तदनुसार ही कार्य हो रहा है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—How does the question of Shergarh come in ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—There is a mention of karod and in between Shergarh comes in.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—In the question, I am trying to remind the Minister that there is no question of Shergarh between Pokaran and jaisalmer. How the question of Shergarh comes in ?

श्री खेत सिंह—Anyway, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है।

(ख) और (ग) के लिये फरमाया है कि सड़क अच्छी है, कोई खराबी नहीं तो क्या अगर सदस्य इस बात को चैलेंज करें तो मन्त्री महोदय साथ चलने को तैयार हैं, ताकि सड़क खुद बतावेगी कि उसकी क्या हालत है, क्या इसकी जांच करने को तैयार हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—मन्त्री महोदय तो चलने को तैयार नहीं हैं, जांच जरूर एक्सपर्ट्स के द्वारा कराई जायगी।

श्री खेतसिंह—क्या यह उत्तर बिना जांच के दिया गया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—नहीं, जवाब तो जांच करके ही दिया गया; पर अभी कहा तो उस पर फिर दुबारा जांच कराई जा सकती है।

श्री खेतसिंह—मैं तो कल ही उस सड़क पर से गुजर कर आया हूं और वह सड़क ३ जगह से टूटी हुई है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह हो सकता है कि जिस समय इस क्वेश्चन का उत्तर आया उस समय ठीक हो और बाद में वर्षा बड़ी तेज हुई तो उससे टूट गई हो।

श्री खेतसिंह—इसके बाद वर्षा ही नहीं हुई है।

श्री कुंभा राम चौधरी—सड़क बनी थी तो उसके किनारे किनारे मिट्टी डाली थी, वर्षा के कारण वह किनारे की मिट्टी हट गई होगी और उसीसे माननीय सदस्य ने सड़क को टूटा हुआ समझ लिया होगा। (हंसी)

श्री खेत सिंह—मैं कह रहा हूं कि जो डाम्बर की सड़क बनी है वह टूटी हुई है।

Page No.26

श्री हरिकृष्ण श्याम—यह तो सही है न कि टूटी हुई है, वास्तव में टूटी हुई है ; फिर चाहे बाद में टूटी हो या पहले हो ?

श्री अध्यक्ष—श्री हंस राज जटिया ।

प्रश्न संख्या २१६

धोलपुर सब डिविजन में आठवीं क्लास तक के विद्यार्थियों से भी शिक्षा शुल्क

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ८ वीं कक्षा तक राजस्थान सरकार विद्यार्थियों से फीस वसूल नहीं करती है ? यदि हां, तो धोलपुर सब डिविजन में क्यों फीस वसूल की जाती है ?

(ख) सालाना इम्तिहान की फीस किस क्लास से ली जानी शुरू होती है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—क. इस सम्बन्ध में कोई समान नीति अभी तक निर्धारित नहीं हो सकी है ।

ख. प्राय: कक्षा ३ से इस प्रकार की फीस शुरू से ही ली जाती है ।

श्री हंसराज जटिया—शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के बारे में सरकार की क्या नीति रही है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष—हरिजन विद्यार्थियों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—एक ही नीति है और इसमें हरिजनों को, जितना हो सकता है, सुविधा दी जाती है ।

श्री हंसराज जटिया—क्या उनको कोई कन्सेशन नहीं किया जाता ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—कुछ लडकों को स्कोलरशिप दी जाती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष को सरकार ने १९५१ में यह आश्वासन दिया था कि तीन महीने में एक कमेटी बिठा कर, इस बात को पूरा कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जोधपुर में जब सन् १९५१ में विद्यार्थियों ने हड़ताल की थी तो उस समय के शिक्षा मन्त्री ने यह लिखित उत्तर भेजा था कि सरकार इसके बारे में जांच करने के लिये कमेटी बैठा रही है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस प्रकार की कोई समिति बिठाई गई ? अगर नहीं बिठाई गई तो क्यों नहीं बिठाई गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आप सम्बन्धित प्रश्न पूछें तो जवाब दिया जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो सम्बन्धित है; । Government order on the subject issued in 1951 by Shri Prem Narain Mathur, when he was Education Minister on the occasion of the strike of students in Jodhpur.

श्री अध्यक्ष—This is a question of Dholpur.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह पहला पार्ट तो Rajasthan से ताल्लुक रखता है । In general उत्तर मिला कि अभी तक युनीफोर्म पोलिसी नहीं बनाई । जब १९५१ में इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था तो क्या कारण है कि अभी तक युनीफोर्म पोलिसी नहीं बनाई गई है ?

श्री अध्यक्ष—The Reply is very clear. Shri Kishan Lal Shah.

प्रश्न संख्या २२०

श्री अध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित) कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

Page No.28

प्रश्न संख्या २२१

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्य जिनकी दरें निर्धारित

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग में किस किस काम के लिये क्या क्या शिड्यूल रेट्स निर्धारित हैं ?

(२) सन् ५४-५५ के वर्ष में जयपुर डिविजन ईस्ट व वेस्ट में कौन कौन से काम निर्धारित शिड्यूल रेट्स से अधिक पर कराये गये ?

(३) उक्त काम किस किस लागत के हैं ?

(४) शिड्यूल रेट्स से अधिक रेट पर काम कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—(१) आम तौर पर सभी काम पी. डब्लू. डी. के जरिये सड़क मकान् व सड़कों के बनाने में होते हैं। उनकी रेट्स कायदे के मुआफिक मुकर्रर है।

(२) सन् १९५४–५५ के वर्ष में जयपुर डिविजन ईस्ट व वेस्ट में शिड्यूल्ड रेट से अधिक दर पर कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

(३) लागत ऊपर बताई हुई सूची में दिखाई गई है।

(४) शिड्यूल्ड रेट्स एस्टीमेट्स बनाने या टेन्डर्स मांगने का आधार है। विभिन्न इलाकों की मजदूरी, जल, आवागमन की दशा, स्थान व अन्य कठिनाइयों को देख कर ठेकेदार शिडूल्ड रेट से नीचे या ऊपर प्रतिशत पर अपने टेन्डर देते हैं।

(सूची उपलब्ध नहीं हुई)

कु० श्री जसवन्तसिंह—ये शिड्यूल कब तैयार किया गया था ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह बहुत पहले तैयार हो गया था। स्टेट्स में था ;तो यह १९५० से पहले से ही तैयार है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान में शिड्यूल कब तैयार हुआ ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—अभी तक तो नहीं बना है, स्टेट्स के रूल्स पर काम हो रहा है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—उन पर कैसे होता होगा ? २२ रियासतों के एकीकरण से राजस्थान बना है, तो राजस्थान में किस रियासत के शिड्यूल पर काम करते हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जिस रियासत पर एप्लाई होता है, उसी के मुताबिक करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जिस लिस्ट के देने की बात कह रहे हैं वह मुझे नहीं मिली हैं। यह मेरी आम शिकायत रही है माननीय अध्यक्ष। आपके पिछले आदेशानुसार मैं नोटिस रूम में पहुँचा और पूछा, फिर भी मुझे वहां कोई लिस्ट नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—Extra copy should be supplied to this office and indication should be given.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, रोज रोज डिफॉल्ट पर कुछ तो होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री किशनलाल शाह।

प्रश्न संख्या २२२.

श्री अध्यक्ष—श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या २२३

शासकीय आज्ञा से भूमिहीन हरिजनों को भूमि देने में प्राथमिकता

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने एक ऑर्डर द्वारा भूमिहीन हरिजनों को जमीन देने में प्राथमिकता देने की आज्ञा प्रदान की है ?

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त आदेश के शब्दों को दोहराने की कृपा करेगी ?

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार के उक्त आदेश होते हुए भी हरिजनों को जमीनें देने में प्राथमिकता न दी जाकर राज्य की उन दूसरी पिछड़ी जातियों को जमीन देने में प्राथमिकता दी गई जिनके पास पहले से ही काफी जमीनें थीं ?

(घ) अब क्या राज्य सरकार उक्त आदेश में उचित संशोधन कर या एक नया आदेश जारी कर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जमीन देने में प्राथमिकता देने की कृपा करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जी हां। राज्य सरकार ने भूमिहीन हरिजनों को जमीन देने में प्राथमिकता देने की आज्ञा सक्यूंलर नम्बर २२:२८ जी. ए. ५१, दिनांक १३. ६. ५१ को दी है।

(ख) इस आज्ञा का सारांश इस प्रकार है। "In particular they should have their fair share of agricultural land which you may have to allot in connection with the Grow More Food Movement; suitable plots of land should also be given to them for housing purposes."

(ग) जी हां। साधारणतया जमीन उन्हीं को दी गई है जिनके पास कि उनकी पहले कोई जमीन नहीं होती है।

(घ) ऐसी कोई असावधानी नहीं हुई। शिड्यूल कास्ट के लोगों को जमीन देने में प्राथमिकता देने का सवाल सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—प्रश्न (ख) का उत्तर नहीं आया। क्या राज्य सरकार उक्त आदेश के शब्दों को दोहराने की कृपा करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने उत्तर दे दिया। जो आज्ञा निकली उनके शब्दों को दोहरा दिया है कि यह सक्युंलर है जो राज्य के अधिकारियों ने जारी किया है—

In part'cular they, that means the scheduled castes, should have their fair share of agricultural land which you may have to allot in connection with the Grow More Food Movement.

श्री कंवरलाल जेलिया—यह कब जारी किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह १९५१ में जारी किया गया था।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या हरिजनों के बजाय बेकवर्ड लिखा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बेकवर्ड क्लास के लिये अलग लिखा गया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—बहुत सारी जमीन हरिजनों के नाम पर बेकवर्ड क्लास को दे दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यहां भूमिहीन किसानों का प्रश्न है । इसमें शिड्यूल कास्ट को प्रायोरिटी दी जाती है और बराबर दी जाती है । जो लोग अर्जियां देते हैं उनमें बेकवर्ड क्लास के लोग भी होते हैं व वे भी अर्जियां देते हैं ।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस)—शिड्यूल 'बेकवर्ड' क्लास, में इन्क्लयूड है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हां ।

एक सदस्य—बेकवर्ड क्लास और शिड्यूल्ड दोनों अलग हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—दोनों ही ठीक हैं ।

श्रीअध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री तेजपाल ।

प्रश्न संख्या २२४.

अनुसूचित जातियों के छात्रों एवं छात्राओं को छात्र-वृत्तियां मिलने में विलम्ब

श्री तेजपाल—क्या दलित वर्ग कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) अनुसूचित जातियों के लड़के व लड़कियों को छात्रवृत्तियां मिलने में देरी क्यों लगती है ?

(ख) एक साल की रकम दूसरी साल में भी नहीं मिल पाने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) स्कूल, कॉलेज इत्यादि शिक्षण संस्थाओं में जुलाई मास से सत्र प्रारम्भ होता है और मार्च, अप्रेल व मई तक कक्षाओं के अनुसार रहता है । जुलाई मास में प्रारम्भ होने के कारण छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि अगस्त अथवा सितम्बर के अन्त तक रखनी पड़ती है, ताकि सबको पूरी जानकारी हो सके । बाद में कुछ समय जांच इत्यादि

[श्री भोगीलाल पंड्या]

में लग जाता है क्योंकि हजारों की संख्या में आवेदन पत्र आते हैं। स्कूल, कॉलेज इत्यादि बहुत सी संस्थायें ऐसी जगह पर हैं कि जहां साधारणतया डाक पहुँचने में काफी समय लग जाता है। मार्च में बहुत से विद्यार्थियों की परीक्षायें समाप्त हो जाने से वे अपने स्थान पर नहीं मिलते। मार्च-अप्रेल की छात्रवृत्ति आर्थिक वर्ष समाप्त होने के कारण दूसरे वर्ष में ही देनी पड़ती है।

(ख). सरकार के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री तेजपाल—अब तक पिछले साल की रकम लोगों को नहीं दी गई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—लोगों को मिल गई है। किसी का आप नाम बतावेंगे तो उसके विषय में जांच की जावेगी और आपको जो शंका है उसका समाधान किया जावेगा।

श्री तेजपाल—कई बार अधिकारियों को कहा गया मगर अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ।

श्री भोगीलाल पंड्या—कृपा करके एक बार मुझे और बता दें। मैं जल्दी से जल्दी उसके सम्बन्ध में कदम उठाऊंगा ?

श्री तेजपाल—हर महीने छात्रवृत्ति देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हर महीने में देने का प्रबन्ध हो नहीं सकता क्योंकि जुलाई में स्कूल खुलते हैं, अगस्त और सितम्बर के महीने में लोगों की दरख्वास्तें आती हैं, उन पर गौर किया जाता है और अक्टूबर में छात्रवृत्ति दे दी जाती है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या यह सही है कि स्कोलरशिप के फोर्मस अक्टूबर तक नहीं मिलते ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप भी जरा कष्ट करिये। अगर फोर्म नहीं मिलते तो लेकर उनको पहुँचा दीजिये और सादे कागज पर फॉर्म भर कर भेज सकते हैं।

श्री संतोषसिंह—मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं फॉर्म लेने के लिये आपके पास आया और आपने कहा था कि फॉर्म छपे नहीं हैं; तब मैंने कहा था कि लोगों को फॉर्म मिले नहीं हैं और डेट एक्सपायर होने वाली है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे बड़ा दुःख है कि आपको मैंने यह कहा था कि आप सादे कागजों पर हरिजनों के लिये छात्रवृत्ति के लिये लिखकर भेज दें, लेकिन आपने नहीं भेजा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२५

भीलवाड़ा शहर में सड़क बनाने सम्बन्धी कुछ धन-राशि का नियतन

श्री तेजमल बापना—Will the Minister for P. W. D. (B & R) please reply to the following question :—

1. Is it a fact that Rs. 73,000/- were allotted for the Road in Bhilwara town in the last year's Budget ?

2. Why was this money not utilised but allowed to lapse ?

3. Whether some money has been allotted in the current year's Budget and if so, when was it's administrative sanction granted ?

4. Why is this work being delayed this year also when it is urgently required to be done because the road is damaged altogether ?

5. When all this work be undertaken ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग)

1. Yes.

2. The estimate for this work was framed in the time of former Rajasthan Government and provided for surface painting of the road. As a very heavy traffic was expected on the road, it was considered that the surface painting work would not meet the needs of traffic and a change in specification to provide bitumen premix carpet was suggested. By the time detailed estimates were prepared after exemination of the technical aspects of the case, there was no time left for executing the carpet work during the year 1954—55, and the amount was therefore surrendered at the time of the review of the Budget.

3. There is no allotment for this work in the current year. There is no necessity to apply for any revised administrative sanction, as the work was already sanctioned by the former Rajasthan Government.

4. As there was no allotment in the Budget 1955-56 the work could not be taken up so far.

5. Funds have been asked for this work in the Supplementary grant and the Executive Engineer is being ask to take up the work immediately.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—What is surface painting ?

श्री शाह आलीमुद्दीन—Surface painting is a paint on the surface by some sort of a bitumen which you may take as vitamin for the roads.

श्री तेजमल बापना :—यह कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री शाह आलीममुद्दीन :—After we will have it sanctioned in this new year we will take it up immediately.

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि भीलवाड़े में करीब करीब सारी सड़कों की यही गति हुई है ?

श्री शाह आलीमुद्दीन—मैंने जवाब कुछ और ही दिया है और आप प्रश्न कुछ और कर रहे है।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य—पहले बजट लेप्स क्यों हुआ ?

श्री शाह आलीमुद्दीन—आपने मेरे जवाब को ठीक तरह से सुना नहीं।

एक माननीय सदस्य—आपने मेरा प्रश्न समझा नहीं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, एक बात यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जवाब तो ....

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री रामदयाल उपाध्याय—मैं समझता हूँ कि माननीय उपमंत्रीजी मेरे पूरक सवाल को नहीं समझ सके हैं !

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं समझता हूँ कि माननीय उप मंत्रीजी जवाब तो अंग्रेजी में देते हैं, किन्तु वे बोले हिन्दुस्तानी में। अंग्रेजी ही ऐसी बोलते हैं कि समझ में नहीं आयी।

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट में तो 'लास्ट ईयर' के बजट का सवाल है और आपने जवाब दिया है फोर्मर राजस्थान का।

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैं समझ नहीं सका हूँ, फिर से फरमाइये।

श्री अध्यक्ष—In Part One of this question there is a mention of the last year's budget.........

कु० श्री जसवन्तसिंह—पार्ट फर्स्ट में लास्ट इयर के बजट का सवाल है और आपने जवाब दिया है फोर्मर राजस्थान का।

श्री शाह अलीमुद्दीन—लास्ट इयर का बजट भी साथ है, in Continuation of former Rajasthan भी साथ है, इसलिये देना पड़ा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—फोर्मर राजस्थान से क्या सम्बन्ध है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—डिज़ाइन फोर्मर राजस्थान में बनी थी। Then it was taken up in the last year's budget.

श्री मोतीलाल चौधरी—भीलवाड़ा एरिया म्युनिसिपल एरिया में है, ऐसी सूरत में पी. डब्ल्यू. डी. कैसे सड़क बनाती है, क्या यह सरकार की नीति है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—इसलिए यह हुआ है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या २२६

किशनगढ़ से सिलोरा जाने वाली सड़क पूर्ण करना

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) किशनगढ़ से सिलोरा जाने वाली सड़क का कितना पोर्शन अभी तक बनना बाकी है ?

(२) उक्त पोर्शन को अधूरा रखने के क्या कारण हैं ?

Page No.36

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(१) किशनगढ़ से सिलोरा जाने वाली सड़क में एक ४० गज का पोर्शन सिर्फ बनाना बाकी है।

(२) इस पोर्शन में एक कच्चा मकान "acquire" होना है। इसको एक्वायर करके गिराने की कार्यवाही चल रही है।

श्री चांदमल मेहता—इस सड़क का बनना कबसे शुरू हुआ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह करीब करीब खत्म हो चुका है। पोर्शन एक्वायर करने की कार्यवाही शुरू है।

श्री चांदमल मेहता—कब से शुरू है?

श्री शाह अलीमुद्दीन—शुरू तब से है जब सड़क बननी शुरू हुई थी। जिस शख्स का मकान है, वह लापता हो गया। उसकी अजमेर में तलाश की जा रही है। इसमें कम्पेन्सेशन देने का सवाल है। कुछ डिफिकल्टीज़ एराइज़ हुई है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जिन्दा तो है?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जिन्दा तो है, नहीं तो वारिस की तलाश करते।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—पाकिस्तान तो नहीं चला गया?

श्री शाह अलीमुद्दीन—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उस मालिक मकान ने स्वयं ने मांग की है कि इस मकान के पास से होकर सड़क निकाल दी जाय और मकान की सरकार जो कीमत तय करेगी वह मैं ले लूंगा?

श्री शाह अलीमुद्दीन—गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई इन्फोर्मेशन नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रश्न से पता चलता है कि माननीय सदस्य को उस शख्स का पता है, तो क्यों नहीं बता देते?

श्री चांदमल मेहता—सार्वजनिक निर्माण विभाग के सारे अधिकारियों को पता है और उससे बात हो चुकी है और उसने कहा है कि सड़क जल्दी से जल्दी निकाल दी जाय। मैं नहीं समझा कि माननीय उप-मन्त्री जी को क्यों नहीं यह सूचना है?

Page No.37

श्री शाह अलीमुद्दीन—अजमेर होने का पता लगा है और तलाश करके इसकी कार्य-वाही कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—अजमेर में नहीं, गोआ में है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—बाद में पता चला कि अजमेर में है। उसकी तलाश करके एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री तेजपाल।

प्रश्न संख्या २२७

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भरतपुर जिले की ली जाने वाली तहसीलें

श्री तेजपाल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भरतपुर जिले की कौन-कौन सी तहसीलें ली गई हैं ?

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने भरतपुर जिले में चमड़े के कार्य के हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है ? यदि नहीं की है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना समस्त राज्य के लिये प्रस्तुत की गई है, किसी खास क्षेत्र के लिये नहीं और न इस योजना में रखी जाने वाली रकम का ही अभी क्षेत्रीय वितरण किया गया है।

(ख) चमड़े के व्यवसाय की उन्नति के लिये लघु चर्म संस्करणी केन्द्र विकास खण्ड में खोले जा रहे हैं। इनमें चर्मकारों को चर्म संस्करण की शिक्षा दी जावेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चर्म संस्करणी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का समावेश किया जा रहा है। जिससे लघु चर्म संस्करणी शिक्षा केन्द्रों से निकले हुए व्यक्तियों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जावेगी। इस इन्स्टीट्यूट में शिक्षित व्यक्ति राजस्थान भर में घूम घूम कर चर्मकारों को शिक्षा देंगे, जिससे राजस्थान भर में फायदा होगा, भरतपुर जिले में भी फायदा होगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—राजस्थान में चमड़े के क्या क्या काम होते हैं ?

(हंसी)

Page No.38

(घंटी)

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

प्रश्न संख्या २२८

राजस्थान निर्माण से पूर्व कोटड़ा के ठाकुर की, पूर्व बूंदी राज्य द्वारा कुछ भूमि लेना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) Is it a fact that the Government of Bundi had taken some land belonging to the Thakur of Kotda before the formation of Rajasthan.

(b) If so, what is the total area of the land so taken.

(c) What was the compensation demanded by the Thakur for this land ?

(d) What is the compensation granted to him ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(अ) कोटड़ा नाम का कोई ग्राम व जागीर बूंदी जिले में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोटा में है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से प्रश्न है । आपने बूंदी के लिये पूछा सो उसका जवाब दे दिया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोटा का समझकर इसका उत्तर दे दीजिएगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास—अलग से प्रश्न पूछियेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय सदस्य कोटा के आगे कोटड़ा पूछना चाहते हैं आगे पूछ लें ।

(हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल--कोई जगह नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जगह नहीं है लेकिन मामला जरूर है ।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास—कोटड़ा बूंदी जिले में कोई ग्राम या जागीर नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोटा जिले का कोटड़ा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग सवाल है, अलग से पूछियेगा। बूंदी के लिए पूछा सो मेरे पास बूंदी जिले का जवाब आया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सही बात है कि कोटड़ा का जवाब आया है और यह फाइल में मौजूद है। That of course I can see.

श्री जसवन्त सिंह—यदि माननीय मंत्री जी के पास यह इतला मालूम होती है तो कृपा करके दे दें।

श्री दामोदरलाल व्यास—जो इतला थी वह मैंने दे दी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसका क्या होगा साहब। टाइपिंग एरर का बूंदी में हो गया।

श्री अध्यक्ष—कोई सूचना है क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं, मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने दे दी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २२९

राजस्थान में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कुछ व्यक्तियों को ऋण देने हेतु अभिस्ताव

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(१) राजस्थान में औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की कब स्थापना की गई?

(२) उक्त कॉरपोरेशन के कितने मूल्य के शेयर्स अब तक बेचे जा चुके हैं?

(३) उक्त कॉरपोरेशन के पास किन किन व्यक्तियों को लोन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई?

(४) किन किन व्यक्तियों को कितना कितना लोन उक्त कॉरपोरेशन द्वारा दिया जा चुका है?

श्री भोगीलाल पड्या (उद्योग मन्त्री)—राजस्थान वित्त निगम का निर्माण ता० १७ जनवरी, सन् १६५५ को गजट नोटिफिकेशन नं० ३६।१। सी एण्ड आई ५५ के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन ता० ८ अप्रेल, सन् १६५५ को हुआ।

(२) ६५ (पिच्चानवे) लाख रुपये के शेयर बेचे जा चुके हैं। रिज़र्व बैंक ने ५ लाख रुपये के शेयर, कॉरपोरेशन की जारी की गई पूंजी जो एक करोड़ की थी उसमें से कम बिके, वे और लेना स्वीकार कर लिया है।

(३) किसी की नहीं। राज्य सरकार ने कॉरपोरेशन के पास ऋण देने के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं भेजी।

(४) एक लख रुपयों के करीब ऋण देने की मंजूरी दी गई। आवश्यक कार्यवाही पूरी होते ही रुपयों का वितरण कर दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नाम नहीं बताया कि किन किन को दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—"Declaration of fidelity and secrecy". के अनुसार नाम नहीं बताये जाते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितनी कितनी रकम है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लगभग १ लाख रुपया। १ को ८० हजार और १ को १३ हजार।

श्री हरिकृष्ण व्यास—८० हजार किनको दिया गया उनका नाम बताइयेगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपना उत्तर दे चुका हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिनका नामंजूर होता है उनके नाम नहीं बताते, किन्तु जिनका मंजूर हो जाता है तो क्या उनका नाम नहीं बताने की कोई पद्धति है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पूछने की इच्छा हो तो पूछ लें, मैं बता दूं।

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे पास है।

श्री कंवरलाल जेलिया—फिर क्या कारण है नहीं बताने का ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह उसका नियम है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३०

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भरतपुर जिले में चमड़े के कार्य हेतु धन-राशि

श्री तेजपाल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना कितना रुपया किन किन जिलों को दिया गया था ?

(ख) क्या उक्त रकम में से भरतपुर जिले के अन्दर चमड़े के कार्य के लिये कोई रकम रखी गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(ग) क्या वह कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और यदि नहीं तो उसका क्या कारण है ?

(घ) यह कार्य कहां कहां चल रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री)—(क) राजस्थान में उद्योगों को उन्नत करने के लिये पंचवर्षीय योजना में हरेक जिले के लिये अलग अलग रकम निर्धारित नहीं की गई थी, प्रत्येक योजनावार रकम निर्धारित की गई थी, जो निम्न प्रकार है ;

१.	कुटीर उद्योगों की तरक्की के लिये	८·७३ लाख
२.	कुटीर उद्योगों का उत्पादन बेचने व प्रचार करने के लिये	३·६४
३.	भरतपुर में नमक व खस उद्योग की उन्नति के बारे में अन्वेषण करने हेतु	५
४.	औद्योगिक शिक्षण के लिये	१.८
५.	भेड़ व ऊन के विकास के लिये	१५·००
६.	ताड़ गुड़ विकास	४·५१
७·	कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता हेतु	४·३१
	मीजान	३८·५

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) इस विभाग के बजट में भरतपुर जिले के लिये चमड़े के उत्पादन या शिक्षण के लिये कोई योजना तथा उसके लिये रकम नहीं रखी गई थी। सामुहिक विकास के अन्तर्गत ३५,०६४ रुपये भरतपुर जिले के लिये चर्म उद्योग की उन्नति के लिये रखा गया था ?

(ग) भरतपुर में चर्म शिक्षण केन्द्र के लिये मकान हाल ही में बनकर उसका काम वर्तमान में सुचारू रूप से चल रहा है।

(घ) सामूहिक विकास के अन्तर्गत चर्म उद्योग का कार्य निम्नलिखित खण्डों में चल रहा है—

१. किशनगढ़ वास अलवर
२. सुमेरपुर।
३. राजसमन्द।
४. हिण्डौन।
५. बारां।
६. डूंगरपुर।
७. नगर पहाड़ी।

श्री तेजपाल—नगर पहाडी में जिस बिल्डिंग में कार्य चल रहा है वह बिल्डिंग ऐसी नहीं बनी कि जिसमें चर्म का काम हो सके।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने जवाब में बता चुका हूं कि सामूहिक विकास के अन्तर्गत ३५.०६४ रुपये भरतपुर जिले के चर्म उद्योग के लिये रखे थे। इस कार्य के लिये बिल्डिंग बन चुकी है और चमड़े का काम काफी चल रहा है।

श्री तेजपाल—बिल्डिंग तो बन चुकी है किन्तु यह मकान ऐसा नहीं जिसमें चर्म का कार्य हो सके। मेरे ख्याल से यह रुपया फिजूल गया है !

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो आपके अपने विचार हैं। हमारे विशेषज्ञों ने सोच-समझकर बिल्डिंग बनाई है और कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

श्री तेजपाल—मेरा यह कहना है कि जिस तरीके से चमड़े का काम यहां होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है, वे अपने ढंग का चमड़े का काम कर रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ये आप अपने विचार प्रगट कर रहे हैं या उद्गार प्रगट कर रहे हैं। अब जो जानकारी आपने दी उसकी जांच कराई जायगी।

श्री तेजपाल—मैं अपनी राय ही नहीं दे रहा हूँ मैं खुद जाकर देखकर भी आया हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्न में तो आपने इसका जिक्र नहीं किया। आप आज सप्लीमेन्टरी प्रश्न में यह जानकारी दे रहे हैं। ऐसा तो मैं अन्तर्यामी नहीं हूं कि आपके विचारों को पहले से ही जान सकूं। अब आप जो कुछ कह रहे हैं उसके मुताबिक जांच की जायगी। अगर किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता होगी तो सुधार किया जायगा।

श्री तेजपाल—तो फिर इससे चमड़े के काम करने वाले हम लोगों के लिये क्या लाभ ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न के (क) भाग का जवाब नहीं आया। प्रश्न (क) भाग में जो सवाल पूछा गया वह पृथक सवाल है। इसमें जनरल सवाल पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना कितना रुपया किन किन जिलों को दिया गया था ?.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह ठीक है कि इसमें जनरल तरीके का सवाल था किन्तु चर्म उद्योग के बारे में जानकारी मांगी गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए यह जवाब दिया गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इस प्रश्न के (क) भाग में जनरल सवाल पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना कितना रुपया किन जिलों को दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको यदि इस विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो प्लानिंग मिनिस्टर को इस बारे में प्रश्न पूछिये। दोनों को मिलाकर पूछा गया, इसलिये इस प्रकार का जवाब दिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जिलों के आधार पर रुपया वितरण नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—हरेक जिले को अलॉट तो हुआ होगा। This is the intention of the Questioner.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—डिस्ट्रिक्ट वाइज़ क्या क्या कार्य हुए, कितना खर्च हुआ; इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, किन्तु अलॉटमेन्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नहीं हुआ।

Page No.44

प्रश्न संख्या २३१

तहसील बसेड़ी (धौलपुर) में विकास योजना के आधीन किया जाने वाला कार्य

श्री हंसराज जटिया—क्या विकास योजना मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील बसेड़ी, धौलपुर सब डिविजन में विकास योजना के अन्तर्गत कितना और किस प्रकार का काम हो रहा है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सरमथरा, जो एक पहाड़ी स्थान है वह इसी विकास योजना में है और पहाड़ी स्थान होने के कारण वहां जल की बहुत कमी रहती है ?

(ग) विकास योजना अधिकारियों ने जल का कष्ट दूर करने की क्या कार्यवाही की है और किन किन स्थानों पर ?

(घ) उपरोक्त स्थान का जल कष्ट दूर होने की कब तक आशा की जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) बसेड़ी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड धौलपुर सब डिविजन में अब तक जो विकास कार्य हुए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) हाँ । यह भी सत्य है कि पहाड़ी स्थान होने की वजह से जल की कमी रहती है ।

(ग) जानकारी हासिल की जा रही है ।

(घ) शीघ्रातिशीघ्र ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री हंसराज जटिया—क्या पानी का इन्तजाम तो कर दिया जायगा ?

प्रश्न संख्या २३२

श्री अध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.45

प्रश्न संख्या २३३

जैसलमेर बिजलीघर में पुराने ऐंजिन के बदले नया ऐंजिन भेजना

श्री खेतसिंह—क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जैसलमेर बिजलीघर में कितने होर्सपॉवर का एन्जिन लगा हुआ है ?

(ख) क्या सरकार को यह मालूम है कि वह एन्जिन भी बड़ा पुराना है और महज २४ घंटे में से ५ घंटे बिजली देता है ?

(ग) क्या सरकार नये एन्जिन को भेजने की कोई तजवीज रख रही है ?

(घ) क्या सरकार को यह मालूम है कि बिजली की कमी की वजह से नलों में पानी भी नहीं आता है और रात को आम रास्तों पर भयंकर अंधेरा रहने से कई सांप काटने की वारदातें भी वहां हो गई हैं ?

(ङ) क्या सरकार जल्द से जल्द वहां नये एंजिन भेज कर सारा माकूल प्रबन्ध करावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—(क) एक ७५ किलोवाट का इन्जन लगा हुआ है जो १२० होर्सपॉवर का है।

(ख) हां। रोजना १० घंटे बिजली यह इन्जन देता है।

(ग) हां।

(घ) यह बिल्कुल सच नहीं है।

(ङ) जल्दी किया जायगा।

श्री सन्तोषसिंह—कछवाहा जेनरेटर कितने किलोवाट का है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैंने जवाब में बता दिया, ७५ किलोवाट का है।

Page No.46

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रघुराजसिंह, विभाजन संख्या २१, ने ३ अक्टूबर से २१ अक्टूबर, १९५५ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

कोटाशहर में कानून तथा व्यवस्था की सोचनीय दशा सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

मेरे पास एक स्थगन प्रस्ताव श्री वेदपाल त्यागी, डिविजन नं० १५७ द्वारा प्रस्तुत हुआ है, जिसे मैं पढ़ देता हूं :

"That the Assembly do now adjourn to discuss the deteriorating condition of law and order in Kotah city resulting in a riot on 30-9.1955."

मैं इस प्रश्न को इतना आवश्यक और महत्व का नहीं समझता कि जिसके लिये विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाय, इसलिये इसको मैं अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करता, किन्तु साथ ही यह चाहता हूं कि संबन्धित मंत्री इस विषय में सदन के सामने कुछ प्रकाश डालें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I want to submit one thing. Since you have given a decision there is nothing for us to say but I wish that this question should have been brought before the House for this reason that the position is really very serious and as far as we, the representatives of the people, are concerned, it is our fortune or misfortune that we are placed in the hands of the Government, which do not take the matters as seriously as they should take. If opportunity is given to the House to give vent to its feelings the Government would awake to the necessities and importance of the question.

When you have given a decision there is nothing for us, but, Sir, if the House is taken into confidence and asked whether this question should be taken before the House, it will go a long way to serve the interests of Rajasthan which is I am afraid, suffering.

श्री अध्यक्ष—The decision is there and I quite sympathize with the feelings of the Hon'ble Leader of the Opposition but there are rules to that effect. The condition in one city cannot, in my opinion, be sufficient enough to adjourn the business of this House. Moreover, what the House or the Hon'ble Members of this House are anxious about is to know the conditions there. They can seek information and draw the attention of the House to the state of affairs that are prevailing in that city by short notice question and for that I have rather requested the Minister concerned to give a statemant.

श्री वेदपाल त्यागी—For the information of the House and the Hon'ble Speaker I may be permitted to say a few words.

श्री अध्यक्ष—I think let a statement be made by the Minister concerned first and if there is anything left I will allow one or two questions for elucidating the position.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—That will not help this House as well as those whose lives are in danger and, Sir, if we look to Rule 75 of the Rules of Procedure and Conduct of Bnsiness you will agree that generally this matter relates to a single specific matter of recent occurrence and this occurrence was only as short time ago as the 30th September, 1955, and it is the first time since the House has met. So the matter is, Sir, covered by Rule 75.

श्री अध्यक्ष—But then this is my decision.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—If the decision is there then we have nothing to say, but that would not help us.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—माननीय अध्यक्षजी, अभी हाल ही में कोटा में एक साम्प्रदायिक दंगा हो गया जिसका सब को बड़ा दुःख है। उसके विषय में पूरी जानकारी...............

(कई सदस्यों द्वारा "आवाज नहीं आती" की आवाज)

हासिल की जा रही है और जांच की जा रही है और जो अब तक जानकारी मिला है उसके आधार पर मैं सदन के सामने, उसकी जानकारी के लिए एक बयान पेश करता हूं। उससे सारी स्थिति साफ हो जावेगी।

तीन सितम्बर की रात को श्री गजानन्द पर छुरे का घातक वार करने के परिणामस्वरूप

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कोटा में साम्प्रदायिक उपद्रव हो गया और ४ सितम्बर को हिन्दुओं के एक जुलूस ने कुछ मुस्लिम दुकानों को हानि पहुंचाई। स्थिति पर काबू पा लिया गया और धारा १४४ लगा दी गई, जो समय समय पर बढ़ाई जाने पर २८ सितम्बर तक, जब कि इसे हटाया गया, लागू रही। ऐसा तब किया गया जब कि स्थिति पूर्णतया शान्त हो गई थी और दोनों जातियों ने इसे हटा लेने का अनुरोध किया था। २८ सितम्बर से पूर्व स्थिति में काफी सुधार हो गया था और २७ सितम्बर को तो डोल यात्रा का त्यौहार भी शान्तिपूर्वक बीत गया था।

दुर्भाग्य से ३० सितम्बर को तीसरे पहर कोटा नगर में, जब कि टिपटा बाजार स्थित डा० रामकुमार के शफाखाने के सामने से श्री गणेशजी का एक जुलूस जो गत सात–आठ वर्षों से वहां प्रति वर्ष निकाला जाता है, निकाला गया, एक गम्भीर उपद्रव हो गया। इस जुलूस में सामान्यतया श्री गणेशजी के 'विमानों' के अतिरिक्त बहुत से 'अखाड़े' भी भाग लेते हैं। डा० रामकुमार द्वारा नगर में वितरित पर्चों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों; जैसे लाडपुरा, रामपुरा, कोटडी, गोरधनपुरा अखाडों के लोग डा० रामकुमार के शफाखाने के सामने वाले मन्दिर पर पहुंचे। ये लोग विभिन्न अस्त्रों से सुसज्जित थे और जुलूस में कोटा शहर से बाहर बारां के कुछ अवांछनीय तत्व भी सम्मिलित हो गये थे। पुलिस सुपरिन्टेंडेन्ट ने, जिन्हें यह जानकारी हो गई थी कि साम्प्रदायिक घटनाएं होने की सम्भावना है, पुलिस की व्यवस्था की। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट स्वयं उपस्थित थे और वे सारे रास्ते जुलूस के साथ रहे। उन्होंने जुलूस के लोगों को अपने हथियार रख देने के लिये समझाने का प्रयत्न किया और कुछ लोगों ने अपने हथियार डा० रामकुमार के शफाखाने में रख भी दिये। जो हो, पुलिस ने इस बात का कड़ाई से पालन नहीं कराया और परिणाम यह हुआ कि लगभग २,००० व्यक्तियों का यह जुलूस जब रवाना हुआ तो कुछ लोग अपने साथ हथियार लिये चल रहे थे। जुलूस पाटनपोल और मकबरा बाजार की ओर गया। यहां जुलूस के लोग उग्र हो गये और एक मुसलमान को घायल कर दिया जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने उपद्रव को रोकने के प्रयत्न किये किन्तु वह स्थिति पर काबू नहीं पा सकी और जुलूस घण्टाघर की ओर बढ़ा। यहां उन्होंने एक और मुसलमान को सख्त घायल कर दिया जो बाद में अस्पताल में जाकर मर गया। घंटाघर के निकट जुलूस वालों ने एक अन्य मुसलमान पर आक्रमण किया, जो घटनास्थल पर ही मर गया। उन्होंने लूटमार शुरु कर दी और मुसलमानों की तीन दुकानों को हानि पहुंचाई। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सारी भीड़ को गैर कानूनी घोषित कर दिया और लोग तितर-बितर हो गये। तुरन्त ही ३.४५ सायं से दूसरे दिन प्रातः ८ बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया और नगर में एक सप्ताह के लिये धारा १४४ लागू कर दी गई।

इस दंगे के परिणामस्वरूप दो व्यक्ति घटना स्थल पर मर गये, चार को गम्भीर रूप से चोटे आई जिनमें से एक अस्पताल में जाकर मर गया और ११ व्यक्तियों को, जिनमें दो पुलिस के सिपाही और एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस भी सम्मिलित थे, साधारण चोटें आई। मृतक और आहत व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जब दंगे के समाचार जयपुर पहुंचे तो आई. जी. पुलिस दूसरे दिन सुबह कोटा के लिये रवाना हो गये और मुख्य मन्त्री भी उसी दिन कोटा पहुंच गये। उन्होंने स्थिति का अध्ययन किया और तनाव की स्थिति को दूर करने तथा शीघ्रातिशीघ्र नगर में सामान्य स्थिति लाने के लिये व्यवस्था की गई। पुलिस विभिन्न मामलों और कार्यवाहियों की सक्रियता से जांच कर रही है और अब तक ६० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पाटनपोल और घंटाघर के बीच के क्षेत्र को छोड़कर जहां केवल कुछ दुकानें खुली हैं, कोई अतिरिक्त दुर्घटना नहीं हुई है और शहर पुनः सामान्य स्थिति में आ गया है। आई. जी. पुलिस ने इस मामले में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। स्थिति का अध्ययन मुख्य मन्त्री द्वारा भी किया गया है और उन व्यक्तियों के खिलाफ जो स्थिति का सही अनुमान लगाने और शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने की असफलता के लिए जिम्मेदार हैं कार्यवाही की जा रही है। सरकार सदन को विश्वास दिला देना चाहती है कि वह, अपराधी और अवहेलनापूर्ण पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी और अल्प संख्यक जाति के लोगों का विश्वास सम्पादन करने की भरसक चेष्टा करेगी। यह सन्तोष की बात है कि दंगे के बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या माननीय गृह मन्त्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि तीन तारीख को जो मर्डर हुआ उस लाश का पोस्ट मोर्टम होने के बाद उसको कलेक्टर ने अपनी जीप द्वारा उसके घर पहुंचाया और उसका जुलूस निकालने की आज्ञा दी गई; इस कारण वह जुलूस सारे शहर में निकाला गया, जिसके परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिक भावना पैदा हुई और उसका यह नतीजा है और क्या यह भी सत्य है कि ३० तारीख के पहले या तीस तारीख को माननीय गृह मन्त्रीजी के पास यह शिकायत नहीं आई कि स्थिति वहां कि खराब हो रही है और जुलूस अगर निकाला जावेगा तो सम्भव है वहां की शान्ति भंग हो और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—जहां तक मेरी जानकारी है मैं कह सकता हूं कि तीन तारीख को पहली मृत्यु हुई और उसकी लाश कलेक्टर ने अपनी गाड़ी में रखकर उसके घर पर नहीं पहुँचाई।

दूसरी बात जो आपने फरमाई उसके बारे में कह सकता हूँ कि मुझे इत्तला मिल गई थी, यह बात सही है। मुझे इत्तला मिल गई थी और उसके अनुसार उचित व्यवस्था भी की गई थी।

श्री गोपीलाल यादव—क्या माननीय गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस नौजवान का आर्डर हुआ वह हिन्दू था या मुसलमान और जिन्होंने उसे मारा था वे हिन्दू थे या मुसलमान, क्योंकि आपने कई जगहों पर ये शब्द इस्तेमाल किये हैं ; इसलिये मुझे यह निवेदन करना पड़ा है।

श्री रामकिशोर व्यास—ये दो वाकये हैं। एक है तीन चार सितम्बर का और दूसरा है तीस सितम्बर का।

श्री गोपीलाल यादव—पहले शुरू में आपने बताया कि एक नौजवान के मरते ही साम्प्रादायिक दंगा हुआ......

श्री रामकिशोर व्यास—उसका नाम गजानन था, वह हिन्दू लड़का था।

गोपीलाल यादव—उसके मारने वाले हिन्दू थे या मुसलमान ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, पर मुसलमान होने का अन्दाज है।

श्री भैरोंसिंह (१६)—क्या यह सही है कि तीस तारीख को जो जुलूस जा रहा था उस पर किसी मोहल्ले में ऊपर से पत्थर फैंके गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह निश्चित नहीं कह सकते, पर ऐसी बात कही जरूर जाती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अभी यह बताया गया कि सिचुएशन पर शुरू से ही काबू था। तीन सितम्बर को यह घटना हुई और यह कहा गया कि शुरू से, पहिले दिन से, बल्कि, स्थिति पर काबू था तो क्या स्थिति काबू में होने का यह मतलब है और क्या स्थिति काबू होना इसी को कहते हैं कि इस घटना के सिलसिले में तीन तीन मरडर हो जावें।

रामकिशोर व्यास—इसमें थोड़ा आपके समझने में भी फर्क रहा। मैंने यह निवेदन नहीं किया कि सिचुएशन शुरू से ही काबू में थी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जावे तब कि स्थिति अभी तक काबू में नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—अब तो मैंने कहा है कि नोर्मल रिटर्न हो रही है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सही है कि १४४ धारा तीन तारीख तक लगी थी और फिर आगे बढ़ा दी गई और तब २८ तारीख को उसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही वह हटा दी गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो मैंने आपको बताया न कि ता० २८ को दोनों सम्प्रदायों की मरजी पर वह उठाई गई थी

श्री दिलीपसिंह—क्या यह सरकार इसकी जानकारी करेगी कि कोटा में वह वाकया ही क्यों हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये निवेदन किया है मैंने कि गत महीने के प्रारम्भ से ही वहां का वातावरण ऐसा दूषित तो था ही।

श्री दिलीपसिंह—तो यह वातावरण दूषित हुआ ही क्यों, क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि इसका कारण क्या है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं होने पर)

श्री हिम्मतसिंह—तीस तारीख के मर्डर का मोटिव क्या था ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो एन्क्वायरी होगी उसके बाद कहा जा सकता है।

श्री भैरूसिंह—क्या ३ सितम्बर से पहले कोटा में स्टैबिंग का कोई केस हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री दिलीपसिंह—जिन लोगों को नुकसान हुआ क्या सरकार उनको वाजिब मुआवजा देगी ?

श्री अध्यक्ष—यह अलग क्वेश्चन है। श्री दामोदरलाल।

श्री दिलीपसिंह—यह बड़ा अहम सवाल है।

श्री मथुरादास माथुर के पत्र विषयक आय—व्ययक सत्र में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को सदन में लेने सम्बन्धी

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, I want to ask one thing। मैंने एक नोटिस, यह मोशन मूव करने के लिये रखा था कि माननीय मथुरादास जी माथुर के प्रति यहां पर जो एक आरोप था, उसके सम्बन्ध में उनके कन्डक्ट की जांच कराई जाय। उस मोशन के सम्बन्ध में पता नहीं लग सका है कि उसका क्या हुआ है ? यह मोशन पिछले सत्र में भी दिया गया था लेकिन पिछले सत्र में तो हाउस एकदम एड्जर्न हो गया और वह नोटिस लेप्स हो गया। अब मैं जानना चाहूँगा कि उसका क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य उसके लिए काफी उत्सुक हैं तो ६ तारीख उसके लिये उसको तय करने की रख दी जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—६ तारीख को क्या लिया जायगा ? क्या त्यागीजी का मोशन लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—वह मोशन जो है जिसका अभी श्री वेदपाल त्यागी ने जिक्र किया है वह एडमिट कर लिया गया है और जैसा कि लीडर ऑफ दी हाउस ने बताया कि ६ को ले लें या.......

श्री वेदपाल त्यागी—जब हाउस को सूट करे तभी ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष--That will be taken within this week or the next week.

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस मोशन को पढ़ कर सुना दें जो कि एडमिट हुआ है।

श्री अध्यक्ष—That will be circulated,

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह अच्छा हो कि वह पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—That is not on the Order-Paper.

राजस्थान एन्टी इजेक्शन ऑफिसरों की कार्यवाहियां एवं निर्णय

(वैधकरण) विधेयक, १९५५ (पुरः स्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान एन्टी इजेक्शन ऑफिसरों को कार्यवाहियां और निर्णय (वैधकरण) विधेयक, १९५५, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

प्रश्न यह है कि राजस्थान एन्टी इजेक्शन ऑफिसर्स प्रोसीडिंग्स एन्ड डिसीजन्स (वेलीडिटेशन, विधेयक, १९५५, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Clause by clause considration of the Rajasthan Land Revenue Bill, 1954.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, लेण्ड रेवेन्यू बिल के क्लॉज ५ पर इस सदन में विचार हो रहा था जिसमें कई संशोधन पेश हुए हैं और कई विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह इतना महत्वपूर्ण क्लॉज है कि जिस पर यद्यपि मैंने अपना कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है लेकिन जो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करूं।

कांग्रेस ने सदैव से इस बात पर जोर दिया है कि हमको इस प्रकार के साधन उपलब्ध करने हैं जिनके द्वारा न्याय किया जा सके; न केवल न्याय ही जा सके बल्कि लोगों में यह विश्वास हो सके कि उनको न्याय मिल रहा है। रेवेन्यू बोर्ड जो कि हमारे राज्य में रेवेन्यू से सम्बन्धित मामलों में सबसे उच्च न्यायालय होगा, जिसके फैसले न केवल दो लिटिगेटिंग परसन्स के अधिकारों का ही निर्णय करेंगे, बल्कि वे अपने नीचे की अदालतों के लिए व्यवस्था देंगे, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस अदालत के निर्माण के लिए कौनसी बात करें उसको थोड़ा सोचना चाहिए। आज जिस तरह से इस बिल में रेवेन्यू बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो धारा बताई गई है उसको देखने से यह पता चला है कि जो दकियानूसी रेवेन्यू बोर्ड अभी तक चले आ रहे थे उनको ही यह कायम रखना चाहते हैं क्योंकि यह एक न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय होगा इसलिये यह जरूरी है कि यह एग्ज़ीक्युटिव इन्फ्लुएन्स से बिल्कुल दूर हो। इतना करना ही आवश्यक नहीं है कि न केवल एग्जीक्युटिव इन्फ्लुएन्स से यह बरी रहे, बल्कि यह इस प्रकार का न्यायालय हो कि जिसके मेम्बर्स इस तरह के हों कि जिनके बारे में लोगों के दिलों में श्रद्धा पैदा हो। जिनके फैसले इस प्रकार के हों जो कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए रूलिंग कायम करें। अभी देखने में आता है कि कई रूलिंग्स इस प्रकार के शाया होते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं और उसका कारण यह है कि जो हमारे रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य हैं उनका तबादला इधर से उधर इतने जल्दी किया जाता हैं कि वे विचारे कानूनों पर हावी नहीं हो पाते। उनको बीच में ही वहां से ही बदल दिया जाता है। रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर एक कमिश्नर को बनाते हैं। आज तो उनको वापिस कमिश्नर बनाया जाता है। हमारे यहां भी एक मिसाल है कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को कमिश्नर बनाया गया है। जो सबसे बड़ी पोजीशन का रेवेन्यु के अन्दर आदमी है उसको कमिश्नर बनाया गया है और फिर उसी के फैसले रेवेन्यू बोर्ड में सुने जा रहे हैं जिसका कि एक दफा वह चेयरमेन था। इसलिए ऐसी दशा में उनके टेन्योर के लिए उनकी सर्विस की सिक्योरिटी के लिए हम अपने विधेयक में, हम अपने इस बिल में इस प्रकार के प्रोवीज़न रखें कि एक दफा रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर हो जाने के बाद उसको वहां से हटाया न जा सके ताकि वह निस्संकोच होकर काम करे, जो किसी डर के दबाव में न आकर अपने फैसले दे सके।

रेवेन्यू बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं वे न केवल इतने ही हों कि वह उन मामलों का फैसला करे जो दो आदमियों के बीच में चल रहा है बल्कि...(घंटी)

श्री अध्यक्ष--Go on.

श्री वेदपाल त्यागी—...बल्कि रेवेन्यू बोर्ड का यह भी अधिकार हो कि वह आखिरी बोडी हो कि जो हमारी रेन्ट रेट्स वगैरह हैं उनको निर्धारित करे। मेरे एक माननीय मित्र ने बोलते वक्त यह भी कहा था कि हो सकता है एक कि जुडीशियल आफीसर भी बेईमान हो। इसलिए यह गारंटी नहीं कि हरेक आदमी ईमानदार हो। यदि सर्विस की गारन्टी कर दी जाय तो ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि डेमोक्रेसी हमेशा चैक्स पर चला करती है। सबसे बड़ा चैक वही है कि जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट बनाया है, वह वास्तव में लोगों के हकों की रक्षा करने के लिए ही सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनके टेन्योर की थोड़ी बहुत गारन्टी होनी चाहिए, सर्विस की सिक्योरिटी होनी चाहिए। जिस वख्त वे रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बना दिए जायेंगे तो वे रिटायर होकर ही हटेंगे और दूसरी जगह उनका तबादला नहीं होगा।

जैसा कि इस सदन को ज्ञात होगा कि हमारी एस्टीमेट्स कमेटी ने सदन के सामने सिफारिश पेश की थी वह यह थी कि रेवेन्यू बोर्ड में एक मेम्बर कम से कम इस प्रकार का हो जो कि जुडीशियल सर्विस से लिया गया हो। यह भी हो सकता है कि उसका डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट बार से भी हो सकता है, लेकिन जुडीशियल टेम्परामेंट लाने के लिए, एक टेम्पो बनाने के लिए और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम एक मेयर कम से कम ऐसा रखें जो कि जुडीशियल सर्विस का हो। अगर जुडीशियल सर्विस के मेम्बर को उसमें नहीं इन्क्लूड करेंगे तो नतीजा यह होगा कि जो एग्जीक्युटिव सर्विस के लोग वहां आ रहे हैं उनमें जुडीशियल टेम्परामेंट नहीं बन सकेगा, फैसले ठीक प्रकार से नहीं दे सकेंगे। यह नतीजा होगा कि जो लोगों में भावना फैली हुई है कि रेवेन्यू बोर्ड में हमें इन्साफ नहीं मिल सकता है, वहां शिफारिशें चलती हैं, वहां मिनिस्टर महोदय भी शिफारिस कर देते हैं। उनके मिलने वाले सिफारिश कर देते हैं। लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है; न केवल यह बात हो पाती है कि लोगों को न्याय दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो आप उस वख्त की बात बता रहे हैं जब कि आप स्वयं मिनिस्टर थे।

श्री वेदपाल त्यागी—इस वख्त की बता रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—Is that your experience as a Minister ?

श्री वेदपाल त्यागी—I am talking of the present conditions and not of the past and the conditions that are to follow now.

लेकिन इस पर में यह कह सकता हूँ कि मेरे पास कई लोग आए कि कई मिनिस्टर लोग

[श्री वेदपाल त्यागी]

इसमें दखल देते हैं। यद्यपि मैंने यह समझाने की कोशिश की कि रेवेन्यू बोर्ड जैसे उच्च न्यायालय में इस प्रकार बातें नहीं होंगी लेकिन मेरे समझाने से काम नहीं चलेगा। जनता के दिल में यह बात बैठने की आवश्यकता है कि मेम्बर्स वे व्यक्ति हैं कि वे किसी के दबाव में नहीं जा सकते हैं। लेकिन मिनिस्टरों के हाथ में उनके तबादले होंगे, उनकी तकर्रुरी होगी, उनकी तनज्जुली होगी तब तक उन लोगों को जिस तरह कि हाई कोर्ट के जजेज़ को इन्डिपेन्डेन्स मिली है वह नहीं मिल सकेगी। अभी हाल में ही रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर को कमिश्नर बनाया गया है। उनके बाद में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बने हैं, वे अभी मौजूद हैं लेकिन उनसे पहले के जो रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर थे उनको उठाकर कमिश्नर बना दिया गया है। पता नहीं क्या कन्सीडरेशन्स थे उनको कमिश्नर बनाने में ? लेकिन इस प्रकार से लोगों के दिलों में जरा आशंका पैदा होती है कि यह वह न्यायालय नहीं है कि जिसमें न्याय ठीक तरह से प्राप्त हो सकेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस बात को मामूली तौर पर नहीं सोचना चाहिए। यह बहुत गहरी बात है, फण्डामेन्टल चीज है। हमको जनता को न्याय देना है और इस तरह देना है कि लोगों में विश्वास पैदा हो। इसलिए इस फण्डामेन्टल चीज पर बहुत गौर के साथ विचार करके यह संशोधन आया है। जहां तक बन सके रेवेन्यू बोर्ड को इन्डिपेन्डेन्ट बनाया जाय। वहां कम से कम एक मेम्बर ऐसा हो जो जुडिशियरी के तरीकों से पूरी तरह वकफियत रखता हो और उस तरह का टेम्परामेन्ट कायम कर सके और लोगों को उसी तरह का न्याय मिल सके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को गौर के साथ देखें और इस पर जल्दी कोई निर्णय न लें। जल्दी में निर्णय लेते हैं तो वह ठीक नहीं होता, इसलिए जो दो संशोधन आये हैं वे ठीक हैं और मैं उनका समर्थन करता हूँ। आशा है, हाउस भी उन्हें मंजूर करेगा।

श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि इस पर बहुत भाषण हो चुके हैं लेकिन फिर भी २-४ शब्द कहने की धृष्टता मैं इसलिये कर रहा हूं कि मुझे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का थोडा अनुभव है और अपने अनुभव से मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पद को या जो रेवेन्यु बोर्ड का पद है उसको हम लोग जो अपोजिशन में बैठे है या जो कुछ तजुर्बा रखते है, इन बातों को वे महसूस करते हैं कि इस पद को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना कि देना चाहिये। यह बात बिल्कुल सही है कि दुनिया भर में जहां जहां डेमोक्रेसी और लोक तंत्रवाद हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स में जिन्होंने नाम कमाया है वे ही ऐसे पदों पर नियुक्त होते हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन या अमेरिका या अन्य देश उन सबमें यह मानी हुई बात है, अंग्रेजों के बराबर ऐसे मामले में दूसरा कोई राष्ट्र उन्नत नहीं समझा जाता हैं। न्याय के लिये जो उच्च कोटि का पद दिया जाता है वह जितना ग्रेट ब्रिटेन को दिया जाता है, उतना दूसरे राष्ट्रों और देशों को नहीं दिया जाता। वहां पर दो प्रकार के न्यायालय हैं। एक जुडिशियल न्यायालय और दूसरा रेवेन्यु बोर्ड। इन दोनों को वहां पर बहुत बड़ा महत्व देते हैं।

Page No.56

[श्री जसवन्तसिंह]

और हमारे हिन्दुस्तान में भी जब से स्वतंत्रता मिली तब तक यहां भी साधारणतः यही हुआ करता था। जो पहले प्रोविन्सेज़ कहलाया करते थे और अब स्टेट्स कहलाते है ; जैसे यू. पी. जिसको अब उत्तर प्रदेश कहते है, बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि यह भूतपूर्व देशी रियासतें जिनका एडमिनिस्ट्रेशन मोडल एडमिनिस्ट्रेशन गिना जाता था उनमें अगर देखें तो रेवेन्यू बोर्ड के सिर्फ वे ही लोग मेम्बर हो सकते थे जो सीनियर मोस्ट हो चुके थे और इस पद पर नियुक्त होने के बाद उनको वापिस दूसरे स्थान पर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि मानव प्रकृति जैसी है उसको सभी माननीय सदस्य जानते हैं और सबको विदित है कि यदि इतने ऊंचे पद पर गये हुए लोगों की लालसा वापिस नीची जगह नौकरी करने की रहे तो हर प्रकार से उन पर जोर दिया जा सकता है, सिर्फ सरकार के द्वारा ही नहीं, बल्कि उनके मित्रों द्वारा भी और बीसियों ऐसे अधिकारी हो सकते है जिनके द्वारा ऐसा फैसला जैसा वे चाहें वैसा कराया जा सकता है। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर जो न्यायालय के जज़ और रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर जो हैं उन पर बहुत उच्च कोटि के आदमी होने चाहिये, क्योंकि ये पद उच्च कहे जाते हैं और जिस व्यक्ति को एक बार नियुक्त कर दिया जाता है वह वापिस एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं आता है। यह बात सिर्फ रेवेन्यू बोर्ड के लिये ही लागू नहीं होती बल्कि दूसरे भी कई महकमे है जहां पर यही बात लागू होती थी। जैसे मेडिकल डिपार्टमेन्ट के डाइरेक्टर। आजकल ऐसी बात नहीं है लेकिन पहले ऐसी पद्धति थी।

जब राजस्थान बना उस वक्त जो सीनियर मोस्ट रेवेन्यु एक्सपीरियेन्स के रिटायर होने वाले ऑफिसर्स थे उनको रेवेन्यु बोर्ड में नियुक्त किया गया था। हमारे देश में स्वतंत्रता एक नई चीज़ है या लोकतंत्रवाद या डेमोक्रेसी एक नयी चीज़ है और अभी हमें अपना नैतिक स्तर ऊंचा उठाना है। यदि डेमोक्रेसी या जनतंत्रवाद को सफलता देनी है तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। जब राजस्थान में नया मंत्री मंडल स्थापित हुआ था तब उन्होंने रेवेन्यु बोर्ड का चेयरमेन बाहर से बुलाया था और यह तजुर्बा और अनुभव हमारे सामने हमेशा आता है कि पिछले कुछ साल से जूनियर ऑफिसर्स को, वैसे वे सीनियर केडर में जरूर हों, कम्पेरेटिवली ऐसे ऑफिसर्स को रेवेन्यु बोर्ड में रखा गया है जिनको और कहीं रखने की जगह नहीं थी या जिनको कमिश्नर नहीं रखा जा सकता था या रेवेन्यु सेक्रेटरी नहीं रखा जा सकता था उनको रेवेन्यु बोर्ड में रखा गया और जो प्रोविजन इस बिल में, जिसको कि राजस्व मंत्रीजी पाइलॉट कर रहे है, रखा गया है उसमें भी यही दृष्टिकोण देखने में आता है। यदि इस तरह का प्रोविजन रहने दिया जायगा तो हमें नम्रतापूर्वक निवेदन करना होगा कि राजस्थान की इससे बहुत हानि होगी और राजस्थान की जनता को और भी हानि होगी, सर्व श्रेष्ठ यह होगा कि इस पद पर सीनियर मोस्ट जो रिटायर होने लायक ऑफिसर्स होते हैं उनको रखा जाय ताकि गवर्नमेन्ट की तरफ भविष्य में उनको किसी पद के लिये देखना नहीं पड़े।

इसके अलावा रेवेन्यु का तजुर्बा रखनेवाले मेम्बरों को लेना चाहिये। रेवेन्यु बोर्ड के सामने सैटलमेन्ट के मुकदमें बहुत महत्वपूर्ण होते है। उनके लिये सैटलमेन्ट का विशेषज्ञ होना आवश्यक है।

[श्री जसवन्तसिंह]

इसके अलावा जुडिशियरी की तरह निर्णय होना अत्यन्त आवश्यक है। इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए और यह देखते हुए कि राजस्थान की जनता को ज्यादा से ज्यादा न्याय मिल सके, हमारा स्टेट राजस्थान एक अच्छा स्टेट समझा जाय और जन-तंत्रवाद को हम प्रोत्साहन दे सकें। इन सब बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो आप इस पहलू से बाहर नहीं जा सकते कि हमें जुडिशियरी के एक्सपर्ट, सैटलमेन्ट के एक्सपर्ट, और रेवेन्यु के एक्सपर्ट मेम्बर रेवेन्यु बोर्ड में रखने चाहिये। ये मेम्बर्स ऐसे होने चाहिये जिनको किसी भी बात के लिये सरकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इन शब्दों के साथ मैं जो सुझाव मेरे मित्र ने अमेन्डमेन्ट के रूप में सरकार और सदन के सामने रखे है उनका समर्थन करता हूं। इन सब का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार ऐसे अमेन्डमेन्ट्स पर गौर नहीं करेगी तो हमें यह समझ में नहीं आता कि आखिरकार सरकार चहती क्या है? डेमोक्रेसी चाहती है या नहीं, राजस्थान की जनता को न्याय देना चाहती है या नहीं? यदि उनकी मंशा यह है कि ऐसे ऑफिसर रेवेन्यु बोर्ड में मुकर्रर किये जांय जो गवर्नमेन्ट के कहने के अनुसार काम करें और जिन पर गवर्नमेन्ट अमुक अमुक मामलों में पोलिटिकल रीजन्स की वजह से अपना कब्जा रखे तब तो जो धारा मूल बिल में आपने रखी है वह ठीक है लेकिन यदि आपका यह ध्येय हैं कि जनता को न्याय मिले तो यह पहलू भी उनको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस तरह के ऑफिसर्स को रखना अनिवार्य हो जाता है। इन शब्दो के साथ जो मेरे मित्रों ने कहा है उनका अनुमोदन करता हूँ।

श्री श्यामलाल गोयल—अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो महत्व का डिस्कशन चल रहा है वह है रेवेन्यू बोर्ड के मुतल्लिक। चर्चा का विषय यह है कि आज जिस तरह से रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स का अपोइन्टमेंट किया जाता है वह तरीका ऐसा नहीं है, जिससे जनता में यह आम भावना हो सके कि वहां इन्साफ मिलता है। हमारा कांस्टिट्यूशन यह कहता है कि हमें जस्टिस मिले, यह हमें इसके लिए अधिकार देता है। ऐसी सूरत में हर नागरिक का यह कर्तव्य है, अधिकार है कि उसको न्याय मिले, न्याय मिले ही नहीं बल्कि जनता यह समझे कि हमें न्याय मिलता है। यदि बोर्ड का कॉंस्टिट्यूशन ऐसा है कि जिससे यह भ्रम फैले कि बोर्ड के मेम्बर्स हटाए जा सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह उनका तबादला किया जा सकता है तो सार्वजनिक रूप से यह गुमान होता है कि इस बोर्ड के मेम्बर्स से इन्साफ नहीं मिल सकता।

इसके साथ ही एक बात मैं और महसूस करता हूँ कि बोर्ड के मेम्बर्स जितने हैं उनको जुडीशियल एक्सपीरियेन्स नहीं है। यह मानी हुई बात है कि बगैर जुडीशियल एक्सपीरियेन्स के उतना अच्छा फैसला नहीं दिया जा सकता जितना अच्छा जुडीशियरी में दिया जाता है। आम तौर से देखा यह जाता है कि जरा जरा सी खामियों के कारण केसेज़ रिमान्ड किये जाते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि बोर्ड के मेम्बर्स जुडीशियल एक्सपीरियेन्स के हों।

साथ ही साथ यह जरूरी है कि जो बोर्ड के मेम्बर हों, उनके दिमाग पर यह प्रभाव नहीं रहे कि हमें कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे मेम्बर्स को इर्रिमूवेबल कर देना चाहिये, मेरी खुद की

[श्री श्यामलाल गोयल]

तो यह राय है कि जिस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया में हाई कोर्ट के जजेज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय से मुकर्रर किये जाते हैं, वैसे ही राजस्थान में बोर्ड के मेम्बर राजस्थान के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की राय से बनाये जांय तो अच्छी परम्परा हो सकती है और उन मेम्बरों को निश्चय हो जायगा कि उन्हें नहीं हटाया जा सकता।

तो इस प्रश्न के बारे में दोनों बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। बोर्ड के मेम्बर्स को जुडीशियल फैसले देने पड़ते हैं, उन्हें काफी एग्ज़ीक्युटिव काम भी करना पड़ता है। एग्ज़ीक्युटिव को जुडीशियरी से अलग किया जाय, ऐसा अभी व्यवहारिक महसूस नहीं होता।

हाई कोर्ट में भी एग्ज़ीक्युटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों काम चलते हैं और वह काम ठीक तरह से चल जाते हैं। इसी तरह रेवेन्यू बोर्ड में किया जाय तो वहां पर भी इस काम को किया जा सकता है।

मैं जो अमेंडमेंट्स ऑपोज़िशन की तरफ से पेश हुये हैं उनका समर्थन करते हुए राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके निर्णय दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, रेवेन्यू बोर्ड के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अलग अलग विचार दिये हैं। यह सभी माननीय सदस्यों की राय है कि बोर्ड के जितने भी मेम्बर्स हों, ऐसे हों कि उन पर गवर्नमेंट का अंकुश न हो, जिससे वे अपनी इन्डिपेन्डेन्स को समझ कर काम करें। इसीलिये आज जो प्रणाली है उसके बारे में अमेंडमेंट दिये हैं और सबकी यही भावना है कि जो भी सदस्य हों रेवेन्यू साइड के ट्रिब्यूनल के, तो उसके मेम्बर बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट हों ताकि स्वतन्त्र फैसले दे सकें और उनके रूलिंग्स की सारे राजस्थान में कद्र हो।

यह सही चीज है जिसको हमारे माननीय पंत साहब ने शिलान्यास के समय कहा था कि हमारी जुडीशियरी इन्डिपेन्डेन्ट, साहसपूर्ण और अनुभवी हो और उसी के द्वारा वह बहुत बड़ा काम करने में स्वतन्त्र हो, उन पर इधर-उधर के रास्ते अपनाने के लिये किसी भी प्रकार का दबाव न हो। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स जुडीशियरी का काम करने वाले होंगे तो वे अपने इस अनुभव के कारण, कानूनी बातों का अनुभव होने के कारण अच्छे फैसले दे सकेंगे। सब यही बात चाहते हैं। अभी मेरे माननीय मित्र श्यामलालजी ने भी यह बात कही कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कई मामले जाकर रिमान्ड हो जाते हैं। इस बारे में मुझे खुद को अनुभव है, मैं ऐसे कई केसेज़ के बारे में जानता हूँ। उनमें से एक केस के बारे में मैं बताऊं, जयलाल बनाम बाबूलाल का केस १३ वर्ष से है। रेवेन्यु बोर्ड में ले जाते हैं और वापिस आ जाता है, १२ वर्ष चलते २ लग गये हैं, १०—१२ बीघा जमीन का मामला है।

[श्री श्रीदास गोयल]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ज्यादा एफिशियेन्सी लानी है रेवेन्यू बोर्ड में तो इसको बिल्कुल जुडीशियल माइन्डेड बनाना होगा। जैसा कि माननीय मित्र ने निवेदन किया कि इसे स्थगित कर दिया जाय। रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बनाये जायं तो उनका फोर्मेशन कैसे हो, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान उनके लिये सिफारिश करें और राजप्रमुख उनके अपोइन्टमेंट के बारे में अन्तिम निर्णय करें, यह वास्तव में बहुत अच्छा सुझाव है।

तो फिर मैं नही मानता कि सरकार इस प्रकार के उपयोगी सुझाव को हमारे इन्फेन्सी ऑफ डेमोक्रेसी के समय में मानने से इन्कार करेगी।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड के जो मेम्बर हों वे इन्डिपेन्डेन्ट हों।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, रेवेन्यू बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट, निर्माण किस तरह का हो, इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा चली है। अभी तक जो माननीय सदस्य पहले बोले हैं, सब एक मत के हैं, जो मेरे ख्याल से इसलिये कि वे कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं, आइडियोलिस्ट्स हैं। मैं उन तीनों के मत से डिफर करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, हम कोई चीज के लिये आइडियोलिस्ट नहीं बनें, प्रेक्टिकली हम हमारे सामने क्या देखते जाते हैं, किस तरह सारे देश में, राजस्थान में ही नहीं, इन्डिपेन्डेन्ट जुडीशियरी के करने के बावजूद भी कई दिक्कतें आती हैं, किस किस तरह की रुकावटें आती हैं, वह हमारे सामने है। आज सिर्फ यही भावना रखना कि इस बोर्ड के सदस्यों को इन्डिपेन्डेन्ट रखने से ही इसमें एफिसियेन्सी आयेगी और इन्डिपेन्डेन्ट नहीं रखने से नहीं आयेगी, इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। अगर ऐसी बात है तो सरकार के सभी ऑफिसर्स को इन्डिपेन्डेन्ट कर दिया जायं और किसी को डिपेन्डेन्ट नहीं रखें। यह एक तरह की बेजा भावना है।

श्री वेदपाल त्यागी—एफिसियेन्सी को डेफिनेशन क्या है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले एफिसियेन्सी के हिज्जे पूछिये।

(हंसी)

श्री मोतीलाल चौधरी—यह तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो यह कहना गलत है कि जुडीशियल पॉवर जब तक इन्डिपेन्डेन्ट नहीं रखी जाती तब तक जितने फैसले होते हैं, गलत होते हैं।

मेरे पास बैठे हुये एक सदस्य ने कहा कि १३ साल से एक केस चल रहा है। ऐसे कई

[श्री मोतीलाल चौधरी]

नमूने मिलेंगे कि हाई कोर्ट में २०-२० साल से मुकदमे चलते आ रहे हैं। कई सदस्यों ने कहा कि पॉवर्स तो उनके यही रहने चाहिये पर कन्ट्रोल हटा दिया जाय। तो फिर यह क्यों नहीं कर दिया जाय कि गवर्नमेंट के विभाग को ही हटा दिया जाय, कोई डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं, रेवेन्यू बोर्ड अलग बना दिया जाय। अगर अलग बनाना है तो यों कहिये कि रेवेन्यु कोर्ट बनाना है और जुडीशियरीज़ को बैठा कर उनको तो केसेज़ सौंपना है और उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कोई चीज नहीं रहेगी और एग्जिक्यूटिव और Tehsildar is a unit of administrative side and if he is controlled by the Revenue Board automatically the administration is controlled by the Revenue Board'

एक तरफ आप जुडिशियल अधिकार उनको सौंप रहे हैं और दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि सारे अधिकार उनको सौंप दिये जावें। माननीय अध्यक्ष, इसलिये मेरा अब तक का राजस्थान का अनुभव ही नहीं, हिन्दुस्तान और थोड़ा बहुत हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी है और जनता की भावना को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से काम अभी चल रहा है चलने दें। ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही है जिससे इसको अलग करने की आवश्यकता है। कोई रेवेन्यु केसेज़ में देरी के कारण देश में कोई उन्नति तो रूकी न पड़ी हुई है। आपने कहा कि दो आई. ए. एस होने चाहिये और एक जुडिशियल साइड का डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज होना चाहिये व एक बाहर से आना चाहिये इस संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि एक तो आई. ए. एस. अधिकारी आपको जुडिशियरी के जानने वाले एक या दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बरों की अदलाबदली इसलिये किया करते हैं कि आई. ए. एस. को उसकी जगह लगाते हैं, मगर उनमें एफिशियेन्सी मिलती नहीं तभी तो। आपको उन्हें बदलना पड़ता है। मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ कि राजस्थान में किसी जगह आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे जिनको फ़ुल एक्सपीरियेन्स रहा हो। हाई कोर्ट में तो बहुत दिनों से यह अलग चला आ रहा है, जिसके लॉज़ और केसेज़ अलग चले आ रहे है। अगर आप रेवेन्यु केसेज़ को अलग करना चाहें तो भले ही करें लेकिन रेवेन्यु बोर्ड कतई अलग नहीं होना चाहिये और मैं तो यह कहूंगा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग यह कहेंगे कि यह क्या हो रहा है। एग्ज़िक्युटिव साइड का हमारे अधिकारियों का दिवाला निकला हुआ है, अतः उन्होंने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप कहना क्या चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री मोतीलाल चौधरी—कहना चाहता था सो कह दिया।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member should address the Chair.

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, समझने में काफी अक्ल की जरूरत है।

(हंसी)

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, ५.५४ पर पदासीन)

इसलिये मैं यह कहूंगा कि किसी भी चीज़ के लिये वहम नहीं डालना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह क्या शब्द बोले आप, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री मोतीलाल चौधरी—सुनने और समझने की कोशिश करें। तो माननीय उपाध्यक्ष, मेरी राय तो यह है कि हमें जैसा कि माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर ने कहा कि इस संबन्ध में वास्तविक परिवर्तन करने होंगे, अगर ऐसा ही करना होगा तो इसके लिये काफी सोचना पड़ेगा। महज भावना से बहकने से काम नहीं चलेगा बल्कि मैं तो इस संबन्ध में अपनी मजबूत राय रखता हूँ कि आई. ए. एस. आपके पास जैसा आप चाहते हैं, हैं नहीं। जब आप एक्ट पास कर देंगे तो आप कहेंगे कि हमारे अब हाथ में कुछ नहीं है। हमने एक्ट पास कर दिया है, हमारी राय यही है, हमारे हाथ बंधे हैं। मेरी राय में हमें ऐसा करने से पहले सोचना होगा और काफी सोचने के बाद कदम उठना चाहिये कि हमें क्या करना चाहिये।

श्री तेजमल वापना—माननीय उपाध्यक्ष, एस्टेब्लिसमेंट ऑफ दी बोर्ड पर मैंने कुछ विचार माननीय सदस्यों के सुने और अभी अभी एक सदस्य ने जो भाषण दिया मैं उसके तो बिल्कुल ही विपरीत हूं।

श्री एच. के व्यास—हर अक्लमन्द आदमी विपरीत हैं।

श्री तेजमल वापना—आज जब हम देखते हैं कि जुडिशियरी और एग्ज़िक्युटिव शामिल है तो ऐसी सूरत में बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है जो यह कि भारतवर्ष में जगह जगह से अवाज लगती है कि जुडिशियरी को एग्जिक्युटिव से अलग रखा जावे। रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यु के मामलों में एक हाइएस्ट ऑथोरिटी है। उनके मेम्बर कलेक्टर और कमीश्नर बना दिये जाते हैं और कलेक्टरों और कमिश्नरों को रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर बना दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिये। क्योंकि रेवेन्यु बोर्ड में जो फैसले होते हैं रूलिंग्ज होते हैं और जो लोअर कोर्ट के अधिकारी होते हैं उनको उनसे रोशनी मिलती है और वो वही रास्ता लेते हैं। आज हम रेवेन्यू बोर्ड के फैसलों को देखे तो मालूम होगा कि एक ही पोइन्ट पर दो राय रेवेन्यू बोर्ड के अलग अलग मेम्बरों की हमको मालूम होती है। ऐसी सूरत में बड़ी मुश्किल हो जाता है कि क्या करना चाहिये। क्या यही तरीका चालू रहना चाहिये या इसमें कुछ सुधार होना चाहिये। दूसरी जो स्टेटें हैं इस बात को मानने लग गई हैं कि दर असल हमारी एग्जिक्युटिव साइड जुडिशियरी से बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिये। रेवेन्यु बोर्ड से रेवेन्यू केसेज़ का संबन्ध है और रेवेन्यु केसेज़ में हाई कोर्ट की सी जुडिशियरी मिलती है। इसलिये रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य हैं वे अच्छे क्वालीफाइड और एक्सपीरियेन्ड होने चाहिये और उनके तबादले कहीं लोअर पोस्ट पर नहीं होने चाहिये। अगर हम इसी प्रकार के उसूलों को अपनावेंगे तो सर्विसेज में और लोगों में रेवेन्यु बोर्ड का स्टेन्डर्ड बनावेंगे। रेवेन्यु बोर्ड के सदस्यों का स्टेन्डर्ड जिस प्रकार हाई

[श्री तेजमल बापना]

कोर्ट में जजेज़ का होता है, उसी प्रकार रखा जाना चाहिये और उनको किसी तरह से एग्जिक्युटिव साइड में ऑफिसर मान कर उनको कभी कलेक्टर और कभी कमीश्नर आदि बनाना नहीं चाहिये। रेवेन्यू बोर्ड इन्डिपेन्डेन्ट होना चाहिये। कम से कम इसमें १० साल के जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के मेम्बर होने चाहिये और वे गवर्नमेंट के बिल्कुल आधीन नहीं होने चाहिये।

श्री छीतरलाल—माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी इस बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। जो एमेन्डमेंटस आये हैं उनकी मैं ताइद करना चाहता हूं और यह अर्ज करना चाहता हूं कि विधान में भी एग्ज़िक्युटिव को जुडिशियरी से अलग ही रखने का प्रोविजन है। इसलिये आगे और पीछे अब नहीं तो कुछ दिनों पीछे जुडिशियरी और एग्ज़िक्युटिव को अलग किया ही जावेगा। कोई भी स्टेट जब तक इसको एक साथ रखना चाहती है रख सकती है, लेकिन आखिर तो इसको जुडिशियरी से अलग करना ही पड़ेगा। अलग किया ही जावेगा तो जब लेजिस्लेचर बन रहा है तो इसी वक्त इसको अलग क्यों नहीं किया जाना चाहिये। इसको भी हाई कोर्ट की तरह अलग कर दिया जाना चाहिये। जिस समय चीज होती है उस समय मिनिस्टर महोदय को गौर करना जरूरी है। यही मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लज़ ५ में श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुये यह निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर सरकार की ओर से जो मेम्बर जाते हैं उनको सरकार नियुक्त करती है और वे ही रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर मेम्बर रह सकते हैं और उनके द्वारा रेवेन्यू के केसेज़ का फैसला होता है और उसके पश्चात जुडीशियल-नेचर के जो केसेज़ होते हैं वे हाईकोर्ट में चले जाते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष जी और माननीय मंत्रीजी इस बात के लिये विचार करें कि और रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जुडीशियल ऑफीसर रहने दिये जाते हैं, जैसा कि हाई कोर्ट में होता है तो सरकार को कोई नुकसान होता हो, ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती। अगर रेवेन्यू बोर्ड में जुडीशियल अफसर हो और उनसे जनता कोई सुविधा मिले तो वहां जुडीशियल अफसर ही होने चाहिये। सरकार द्वारा नियुक्त मेम्बर कुछ ऐसे भी होंगे कि जो लॉ नहीं जानते होंगे और रेवेन्यू के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते होंगे और फिर ऐसे मेम्बर नियुक्त हो जाते हैं तो फिर वे मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड के कैसे कैसेज़ ठीक कर सकते हैं? तो सरकार को जुडीशियल अफसर रखने में क्या एतराज है? हाई कोर्ट में जजेज़ की नियुक्ति का मामला तय होता है तो उसमें राजस्थान सरकार और सैन्ट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल कर उन जजेज़ का मामला तय करती हैं। तो रेवेन्यू बोर्ड में भी जुडीशियल अफसर नियुक्त करते हैं तो उसमें भी राजस्थान सरकार का तो हाथ रहता ही है और सेन्टर का भी हाथ रहता है। इस तरह से रेवेन्यु बोर्ड में जुडीशियल अफसर नियुक्त कर दें तो मुकद्दमे नीचे से ठीक नहीं होते है और उनकी निगरानी रेवेन्यु बोर्ड में होती है, तो इसमें सरकार को किस बात का एतराज है? हम जो मेम्बर भेजें वे ही रेवेन्यू बोर्ड में रहें और वे ही लोग फैसला दें। अगर इसमें एतराज जैसी कोई बात हो तो सरकार नहीं माने, लेकिन जब मानने की बात है और

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

जनता को उससे सुविधा मिलती है तो सरकार को मानना ही चाहिए और इस अमेन्डमेंट को मंजूर करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहता हूँ।

श्री त्रिवेणी श्याम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष—आप इस पर पहले बोल चुके हैं।

श्री त्रिवेणी श्याम—मैं इस पर बोल चुका हूँ, लेकिन आज नहीं बोल चुका हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये बगैर तैयारी के प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

(विराम)

बहुत से सदस्य बोल चुके हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे माननीय सदस्य बोल चुके हैं, क्यों साहब ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वे बोल चुके हैं। आप क्या उनकी ओर से बहस कर रहे हैं ?

(विराम)

अर्ज है माननीय उपाध्यक्षजी, कि माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये हैं उनको सुनने के बाद में मैं समय चाहता हूँ उसका जबाब देने के लिए ताकि मैं कोई ठीक कर सकूं कि उनका यह अमेन्डमेंट मंजूर करना है या नहीं, अथवा क्या करना है ; इसलिए इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय देने के सिलसिले में तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए और न है, लेकिन अभी पहला ही स्टेज है और उसमें भी अगर डेफर करने की स्टेज आ गई है तो मैंने जो प्रस्ताव रखा था सिलेक्ट कमेटी को फिर से सौंपने का, तो उस पर फिर से विचार कर लिया जाय तो सब मामला हल हो जायगा। यह मैं फिर प्रस्तुत करता हूँ।

श्री तेजमल बापना—That point has already been decided.

श्री हरिकृष्ण व्यास—One can always......

श्री उपाध्यक्ष—यह जैसा प्रस्ताव है, क्या उसको मुल्तवी किया जाय ; क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ पर निर्णय मुलतवी किया गया

श्री हरिकृष्ण व्यास—अनुमति नहीं देने वालों से ना तो पूछा ही नहीं गया माननीय उपाध्यक्ष ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ८, श्री हरिकृष्ण व्यास । आपने मूव कर दिया । श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ८ इस प्रकार है :

"**Tenures of members**; All Members of the Board of Revenue shall hold office during the pleasure of the Rajpramukh."

मेरा अमेंडमेंट इस क्लॉज़ को डिलीट करने के सम्बन्ध में है । उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ के ऊपर जो वाद विवाद चला है, उसके ऊपर आम तौर पर सब सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की है कि रेवेन्यू बोर्ड के जो सदस्य हों वे ऐसे सदस्य हों कि जिनके ऊपर हुकूमत का कोई प्रभाव न हो, वे आजादी के साथ न्याय कर सकें । आज जैसी स्थिति है रेवेन्यू बोर्ड की वह ऐसी है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर आजादी के साथ अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते । इसमें जैसी व्यवस्था रखी है, यह व्यवस्था रखी है कि जब तक सरकार की मर्जी है उस कार्यकाल तक रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर वे रह सकते हैं । उनको जैसा सरकार का इशारा मिलेगा उस इशारे पर उनको नाचना होगा । आज कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं कि हुकूमत का रेवेन्यू बोर्ड पर ऐसा असर है कि उनको गलत काम करना पड़ता है और उसका असर सारी शासन-व्यवस्था पर पड़ता है । अभी थोड़े दिनों पहले मैंने प्रश्न उठाया था आर. ए. एस. से आई. ए. एस. अफसरों की नियुक्ति के बारे में और इसी तरह से तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी के बारे में और दूसरों के बारे में ।

अर्ज यह है कि इस तरह के प्रश्न सामने आते हैं और इन सारे प्रश्नों पर उनको यह विचार करना पड़ता है कि सरकार का रुख किस तरफ है और जिस तरफ रुख है उसी तरफ उनको फैसला करना पड़ता है । आर. ए. एस. के फैसले के समय रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन सदस्य थे और रेवेन्यू

[श्री चांदमल मेहता]

बोर्ड के चेअरमेन के नाते उनको खतरा था कि हुकूमत के इशारे के अनुसार वे फैसला नहीं करते है, वे वहां नहीं रह सकेंगे।

इसका नतीजा यह होता है कि जिन व्यक्तियों को आर० ए० एस० और आई० ए० एस० में लिया जाता है उनमें वास्तविक अधिकृत व्यक्तियों को मौका नहीं मिलता, अनधिकृत व्यक्तियों को जो सिनियोरिटी के हिसाब से काफी पीछे रहते हैं उनको आर० ए० एस० और आई० ए० एस बनने का मौका मिल जाता है। इस तरीके से गड़बड़ होने का नतीजा यह होता है कि आज जो आर० ए० एस० आफिसर हैं उनके अन्दर इस प्रकार की भावना घर कर गई है कि उनके साथ इन्साफ नहीं हो रहा है। आज यदि वे न्याय पसन्द व्यक्ति हैं, फिर भी वे वाजिब न्याय नहीं रख सकते; क्योंकि उनको हमेशा यह अन्देशा रहता है कि कहीं हमने सरकार की इच्छा के विपरीत कार्य किया तो उनको आगे प्रोमोशन नहीं मिलेगा।

तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की सिनियोरिटी का मामला जब प्रस्तुत हुआ तो उसके खिलाफ कुछ व्यक्तियों ने अपीलें कीं और अपील होने पर वह मामला पुनः रेवेन्यू बोर्ड को सौंपा गया और रेवेन्यू बोर्ड ने जो फैसला दिया अभी उसको सरकार ने पेन्डिंग रख छोड़ा है क्योंकि सरकार यह चाहती है कि जो सीनियोरिटी लिस्ट हैं उसमें कुछ लोगों को आगे पीछे किया जाय। अभी अभी जैसा कि कुछ सदस्यों ने फरमाया कि सरकार यदि चाहे तो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को कमिश्नर, और यहां तक अधिकार है कि वह चाहे जहां उसको नियुक्ति कर सकती है। इससे रेवेन्यू बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी भी वही हालत हो सकती है। आज रेवेन्यू बोर्ड के चेअरमेन की यह हालत है कि उसे मिनिस्टरों के बंगलों पर हाजरी देने जाना पड़ता है, उनको टेलीफोन से हाजिर होना पड़ता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों के और चेअरमेन के तबादले, तकरूरी और प्रोमोशान्स बन्द होने, ऐसा हो जाने से राज्य की अर्थ व्यवस्था पर भी भारी असर पड़ता है. आज लगान मुकर्कर करने के सारे अधिकार रेवेन्यु बोर्ड को हैं। आज ऐसे ऐसे स्थान भी देखने को आये हैं जिन जगहों के लिये लगान में कमी कर दी गई जहां वास्तव में कमी नहीं होनी चाहिये। और ऐसे भी स्थान देखे गये हैं जहां कमी होनी चाहिए थी। लेकिन उन जगहों के बारे में ख्याल नहीं किया गया। आज रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर निष्पक्ष होते उन पर सरकार का किसी प्रकार का दबाव नहीं होता तो इस प्रकार की बातें नहीं होतीं वे इस प्रकार का पक्षपात नहीं करते। जिनको रियायतें मिलनी चाहिये उनको न मिलती और जिनको नहीं मिलनी चाहिये थी उनको मिले। इसी दृष्टि से मैंने अपना संशोधन दिया है। सरकार इस क्लॉज के अन्तर्गत ये सब अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है, ताकि रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य उनके आदेशों और उनकी इच्छा पर कार्य करें। इसलिये मैंने इस कॉलज़ के डिलीट करने का संशोधन रखा है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय तो क्या सरकार के पास कोई अधिकार रहेगा या नहीं। इसी सिलसिले में एक अमेंडमेंट एक दूसरे माननीय सदस्य ने दिया है जिसमें वे रिटायरमेंट आदि की बातें करेंगे।

Page No.66

[श्री चांदमल मेहता]

मैंने दूसरे प्रान्तों के लेन्ड रेवेन्यू एक्ट्स का अध्ययन किया है। जहां तक मुझे मालूम है मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में इस सम्बन्ध में कोई धारा मुकर्रर नहीं की है। इससे यह मतलब निकाला जा सकता है कि सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं सरकार, किसी भी मेम्बर को हटा नहीं सकती। इसी दृष्टि से मैंने इस धारा को डिलीट करने का संशोधन रखा है।

श्री भैंरोसिंह (वि.स.१६)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ में मेरे संशोधन इस प्रकार हैं:

(a) "Subsitite the words 'during the pleasure of the Rajpramukh' by the words 'till retirement' ".

(b) Add the following new-sub-clause :—

"(2) No member of the Board of Revenue shall be appointed in any Government service after retirement."

माननीय उपाध्यक्ष, अभी रेवेन्यु बोर्ड की कार्यवाही के विषय में इस सदन में काफी चर्चा हुई। जहां तक मेरा विश्वास है कि इस सदन के सदस्यों का बहुमत यह है कि राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड में जुडिशियल सर्विस का अनुभवी व्यक्ति रहे। यह ख्याल सदन के सदस्यों को इसलिये हुआ कि आज तक रेवेन्यू बोर्ड द्वारा जो भी कार्यवाहियां हुईं उनसे सदन के सदस्यों का मस्तिष्क संदेहास्पद हो गया है और वे महसूस करते हैं कि वर्तमान रेवेन्यू बोर्ड का ढांचा जो है यदि वैसा ही ढांचा इस बिल द्वारा कर दिया गया तो राजस्थान के रेवेन्यु बोर्ड से निष्पक्ष न्याय की कम ही उम्मीद की जा सकती है। इसीलिये सदन के सदस्यों ने अपनी आवाज बुलन्द की कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन जुडिशियल लाइन्स के आधार पर किया जाय। सभी सदस्यों में यह भी चर्चा का विषय रहा कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य का स्थानान्तरण कम दरजे के ओहदे पर भी कर दिया जाता है और इससे उनके मस्तिष्क में हमेशा यह भय बना रहता है कि हमने यदि राजकाज करने वाले सत्तारूढ़ दल और जिस किसी व्यक्ति की हुकूमत हो उसके कृपापात्र व्यक्ति के आदेशों का पालन नहीं किया तो हमें न मालूम कहां का कहां फेंक दिया जा सकता है। इसलिये एक तरफ सरकारी दल का आदेश और दूसरी ओर न्याय का तकाजा। इन दोनों की अगर वह तुलना करेगा तो यदि कोई व्यक्ति साहसी हुआ तो वह सरकारी आदेशों की अवहेलना कर देगा और न्याय के पलड़े को भारी समझेगा और लोगों को न्याय प्रदान करेगा। लेकिन इस प्रकार का साहस रेवेन्यु बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप को देखते हुए मैं समझता हूँ, रेवेन्यु बोर्ड का शायद ही कोई सदस्य इतना साहस कर सकेगा इसलिये वह सोचेगा कि मैं सरकार के आदेशों की अवहेलना करूं। अगर उनके आदेशों का सामना करता है तो उसके सामने यह भय बना रहता है कि सत्तारूढ़ दल को खुश नहीं किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार मय है।

[श्री भैरोंसिंह]

हो सकता है आज जो रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमेन है कल वह कमिश्नर बनाया जा सकता है और इतनी भी सरकार की कृपा न रही तो कमिश्नर से लेबर कमिश्नर और लेबर कमिश्नर तक की कृपा न रही तो डिग्रेड करके उसको एस. डी. ओ तक बनाया जा सकता है। ऐसी हालत में अगर रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन को अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखना है तो उसको सरकार द्वारा दिये हुए आदेशों का पालन करना होगा चाहे वे न्याय युक्त हों या न हों। अगर वह उनके आदेशों के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसको अपनी प्रतिष्ठा में धक्का लगने का अन्देशा बना रहता है। आज हमारे सामने जो धारा है उसके अन्दर इस प्रकार के अधिकार हैं कि सरकार चाहे जिस किसी भी अधिकारी का स्थानान्तर कर सकती है। मेरे पहले संशोधन का मुख्य आधार यह है कि जिस प्रकार धारा ८ के अन्दर यह अधिकार है कि राजप्रमुख की मर्जी के अनुसार सदस्य उस समय तक Revenue Board के कार्य कर सकता है उसकी जगह till रिटायरमेन्ट कर दिया जाय। क्लॉज़ ८ के अन्दर स्टेट गवर्नमेन्ट का जिक्र किया गया है जिसमें यह कहा गया कि स्टेट गवर्नमेन्ट जिस प्रकार चाहेगी रूल्स प्रेसक्राइब करेगी। रेवेन्यु बोर्ड के अधिकार, रेवेन्यु ऑफिसर्स की अपोइन्टमेंन्टस, उनका कितना कार्यकाल रहेगा इन सारी चीजों का निर्धारण करने का अधिकार सरकार को दिया गया है लेकिन मुगालते में डालने के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट के स्थान पर राजप्रमुख शब्द लगा दिया है ताकि लोगों को यह भ्रम हो कि Revenue Board के सदस्यों के कार्य-काल निश्चित करने का राजप्रमुख के हाथ में अधिकार दिये हैं और यह भी बताने की कोशिश की गई है कि राजप्रमुख स्टेट गवर्नमेन्ट के आर्डर्स पर मुनासिर नहीं करते। इस प्रकार की विचार धारा सदन में देने की कोशिश की गई, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि आज तक राजस्थान में बहुत कम केसेज़ ऐसे सामने आये होंगे जिनमें किसी में भी स्टेट गवर्नमेन्ट के कुछ आर्डर्स हों और जिसके विपरीत राजप्रमुख ने अपनी राय जाहिर की हो। मैं समझता हूँ कि ऐसा एक भी केस हमारी जानकारी में नहीं जिसमें राजप्रमुख ने अपनी राय स्टेट गवर्नमेन्ट की राय से डिफरेन्ट दी हो। राजप्रमुख हमारे राज्य के वैधानिक हैड हैं, लेकिन सब अधिकार हैं स्टेट के गवर्नमेन्ट के हाथ में। वे तो सिर्फ दस्तखत करते हैं, वे कागजों पर दस्तखत करके वापिस भेज देते है। सरकार यदि किसी मेम्बर का तबादला कराना चाहेगी तो उसके लिये प्रोपोज़ल भेज देगी। राजप्रमुख को उसके रीजन्स में जाने की जरूरत नहीं। जिस चीज़ को सरकार उचित समझती है वह उसी पर दस्तखत कर देते हैं। राजप्रमुख को इस बात की तह में जाने की आवश्यकता नहीं रहती कि इस व्यक्ति का स्थानान्तरण क्यों किया जा रहा है, कौनसी ऐसी बात पैदा हो गई जिससे इस व्यक्ति का स्थानान्तरण आवश्यक समझा गया। राजप्रमुख स्टेट गवर्नमेन्ट जिस प्रकार के प्रोपोजल भेजती है उसी पर दस्तखत कर देते हैं। दुनिया को यह बताने के लिये कि हिज़ हाइनेस ने तबादला किया, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसा मुगालता देने की गरज से उन्होंने स्टेट गवर्नमेन्ट के स्थान पर राजप्रमुख शब्द लगाया है ताकि दुनिया यह समझ ले कि हम तो इसमें हस्तक्षेप नहीं करते।

लेकिन मेरा जो संशोधन है वह यह है कि जितने भी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स अपोइन्ट किये

[श्री भैरोंसिंह]

जावें वे पहले ही ठोक बजाकर किये जावें, उनकी सारी योग्यताएं पहले ही देख ली जावें, उनका कितना रेवेन्यु का एक्सपीरियेन्स है, ज्युडिसियरी का कितना एक्सपीरियन्स है या एग्ज़ीक्युटिव का कितना एक्सपीरियेन्स है, या ये कितना निष्पक्ष न्याय देने वाले हैं ये सारी बातें जिस वक्त उनका अपोइन्मेन्ट हो उसी वक्त देख ली जावें। इसके बाद में फिर अदला बदली करने का काम नहीं। इसके बाद तो उनको स्वतन्त्र छोड़ दिया जावे कि वे अपनी मर्जी पर, न्याय के आधार पर, अपना काम करें। इससे वे ठीक न्याय कर सकेंगे।

इसके विपरीत अगर शासन की तलवार लटकती रहेगी तो वह न्याय का काम नहीं कर सकेगा और वह तलवार यह हो सकती है कि यदि मैंने फलां मिनिस्टर साहब का, या फलां नेताजी का काम नहीं किया तो मेरा ट्रान्सफर यहां से किसी और जगह कर दिया जावेगा, कहीं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जोधपुर कर दिया जावेगा या जैसलमेर कर दिया जावेगा या कहीं और जगह कर दिया जावेगा या किसी मुझसे जूनियर के नीचे मेरा पोस्टिंग कर दिया जावेगा। रेवेन्यू बोर्ड में मुझसे जो जूनियर था, जो मेरे मातहत था अब उसी के समक्ष नतमस्तक होकर उसको सलाम भी करना पड़ेगा, 'जी सरकार' भी कहना पड़ेगा, जी हुजूरी भी उसकी करनी पडेगी। इसकी सीनियोरिटी भी बदल जावेगी। एक ऐसे जूनियर को उसके स्थान पर सीनियर बना दिया जावेगा जब कि एक तो दिन वह था जब जिसको वह स्वयं आदेश दिया करता था, पर आज उसके आदेशों का उसे पालन करना पड़ेगा। तो इसमें कोई विशेष कारण नहीं; एक ही कारण है कि वह सदस्य सरकार का, इन नेता लोगों का कृपापात्र नहीं रहा और इसी कारण उसको ऐसे दुर्दिन देखने पडंगे।

तो इस प्रकार से सरकार की नाराजगी होने से जो वह दखलन्दाजी करती है उस दखलन्दाजी को रोकने के लिए और जनता को सही न्याय मिल सके, और यह तभी मिल सकेगा जब कि वे इस भय से मुक्त हों, इस तलवार के लटकने के भय से मुक्त हों, तो उस भय के निवारण करने के लिए मैंने अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है और यह अगर स्वीकार कर लिया गया तो सत्ता रूढ़ दल का कोई भी व्यक्ति इस रेवेन्यु बोर्ड में अपना दखल नहीं कर सकेगा और जो उसके सिर पर तलवार है वह भी दूर हो जावेगी। इससे उसके ध्यान में सिर्फ यही बात रहेगी कि या तो अगर होना है किसी गम्भीर कारण से तो बरखास्त ही होना है, नहीं तो कन्टीन्यूड यहां रहना है और सही सही न्याय करना है और इस प्रकार से सरकार की मर्जी से मनमाने ढंग से उसका ट्रान्सफर आदि नहीं हो सकता। तो इस तरह का विश्वास अगर आप उसमें जागृत करेंगे तो तभी उम्मीद उससे की जा सकता है रेवेन्यु बोर्ड से सही न्याय मिलने की।

दूसरा संशोधन मेरा जो है वह यह है कि जिस प्रकार मैंने अपने पहले संशोधन में यह अर्ज किया कि रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य इधर उधर पटके जाने के भय से मुक्त रहें, उसी प्रकार इस संशोधन में यह बात है कि वे प्रलोभन से भी परे रक्खे जावें। इस प्रलोभन से भी वे परेशान रहते हैं और वह प्रलोभन या है ?

[श्री भैरोंसिंह]

आज ही नहीं, गत पांच-चार सालों से यह देखा गया है कि जो सरकार के हिमायती हैं, नेता हैं, बड़े बड़े पदासीन लोग हैं, उन लोगों ने यों जब कोई अफसर, रेवेन्यु बोर्ड का सदस्य Retire होता है तो उस Retire होने वाले सदस्य ने अगर उनकी खुशामद की है, यदि अपने और कई सम्बन्ध उन्होंने उनसे बनाये हैं तो उन सम्बन्धों के कारण वह यह सोचता है कि फलां मन्त्रीजी की या उनके किसी हिमायती की अगर कृपा हो जावे और मुझे दूसरी बार फिर कहीं नौकरी मिल जावे तो रिटायरमेन्ट का पीरियड जो है वह मजे से कटेगा फिर हाकिम बना रहूंगा और सरकार के खजाने से तनखा लेता रहूंगा। तो यह प्रलोभन होता है और आजकल जो रिएम्प्लोयमेन्ट की मनोवृत्त पैदा हो रही है उसके कारण यह मनोवृत्ति, यह प्रलोभन की वृति भी दिनों दिन ज्यादा, बढ़ती जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो रिटायर्ड होने वाला है या तो शुरु से खुशामद करना शुरु करता है या नहीं तो दो तीन साल पहले से ऐसा एटमोस्फीयर बनाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि कम से कम इन एक दो वर्षों में तो मुझे न्याय अथवा अन्याय जो भी तरीका हो उसी तरीके से किसी न किसी प्रकार से इन मन्त्री महोदयों को खुश करना है, इन नेताओं को खुश करना है और उनको खुश करने के लिये वह किसी न किसी प्रकार का अन्याय भी कर सकता है, जनता को धोखे में भी डाल सकता है, किसी को मुकद्में जिता भी सकता है और किसी को गलत तरीकों से मुकद्मे में हरा भी सकता है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, इन प्रलोभन की मनोवृत्तियों को रोकने के लिए यह होना बहुत जरूरी है कि जो रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर रिटायर्ड होता है वह राजस्थान सरकार की सर्विस में न लिया जा सके। अगर उसे सर्विस नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि वह प्रलोभन की वृत्ति से काम नहीं करेगा, अफसरों द्वारा गलत रीति से अपने हाकिमों को खुश करने की मनोवृत्ति पनप नहीं सकेगी।

तो इस तरह से स्थानान्तर का भय, सीनियर से जूनियर बन जाने का भय और रिटायरमेन्ट के बाद रिएम्प्लोयमेन्ट का प्रलोभन ये दोनों बातें जब समाप्त हो जावेंगी, भय और प्रलोभन दोनों जब समाप्त हो जावेंगे तभी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर कुछ न्याय दे सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज यदि हम रेवेन्यू बोर्ड की वर्तमान स्थिति देखें तो मैंने ये जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं वे बहुत उपयुक्त मालूम पड़ेंगे।

अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और दो चार रोज पहले, मैंने भी जिक्र किया था कि रेवेन्यू बोर्ड से रिटायर्ड होकर कौन कौन मेम्बर कमिश्नर आदि के रूप में काम कर रहे हैं और उन पर क्या गुजर रही है वह तो है ही पर आज भी जितने भी मेम्बर हैं, उनके भी सिर पर अनुशासन की तलवार लटक रही है। इस स्थिति में उनसे भी हम ज्यादा न्याय की आशा नहीं कर सकते, पर अगर इन को भी यह आश्वासन दे दिया जावे, उनको भी अगर अपनी इस स्थिति का पूरी तौर से भान हो जावे कि हमारा तबादला नहीं होने वाला है, कानून के अनुसार अगर हम न्याय करेंगे तो हमारा कहीं कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, हमारा तबादला नहीं होगा, हम सेक्रेटरी या कमिश्नर बनने वाले नहीं हैं, हम और किसी पद पर जाने वाले नहीं हैं, तो वे भी कानून के अनुसार सही न्याय दे सकते हैं।

[श्री भैरोंसिंह]

लेकिन आज तो उनके दिमाग में भूत सवार हो रहा है, उनके दिमाग में डर समाया हुआ है कि कल चेयरमैन साहब रिटायर्ड होने वाले हैं, तो न मालूम कौन हम में से सीनियर होगा, कौन चैयरमैन होगा, कहीं कोई बाहर से तो नहीं आ जावेगा ? तो सभी यह सोचते हैं कि मैं ही इस पद पर क्यों नही बन जाऊं तो इस प्रकार की धुकड-पुकड उनमें लगी रहती है, इसके लिए दौड धूप लगी रहती है, सभी मेम्बर इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं बन जाऊं और इससे रेवेन्यू के न्याय पर भी असर पड़ता है, जनता की हैरानी बढ़ती ही है। लेकिन यह होता क्यों है ? इसलिये कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों को इस बात का पता नहीं कि सरकार किसको सीनियर समझेगी, तीन साल काम कर लिया उसको समझेगी या राजस्थान में जिस दिन से सर्विसेज़ शुमार की गई हैं उस दिन से। यह अनिश्चितता होने के कारण यह सारी दौड धूप मची है। इस पृष्ठभूमि में वर्तमान राजस्व मण्डल पर और उसके सारे कार्यों पर आप अगर दृष्टिपात करें तो मेरे संशोधनों की उपयोगिता और अहमियतता आपको मालूम हो जावेगी और मैं समझता हूं कि ये सारी बातें राजस्व मन्त्री महोदय को खुद को भी मालूम होंगी। मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री इस दौड-धूप से परे रहें, इस अनिश्चितता के वातावरण को दूर कर दें तो इस बोर्ड के द्वारा न्याय से काम होने का जो हमारा उद्देश्य है वह पूरा हो जावेगा। मैं फिर यही निवेदन करूंगा कि वे इस चीज़ को निश्चित कर दें। उनका कार्यकाल जितना है उसी के आधार पर चैयरमेन के लिए सीनियोरिटी रहेगी या राजस्थान की सर्विसेज़ के आधार पर सीनियोरिटी मानी जावेगी या कि रेवेन्यू के बारे में किसका कितना अनुभव है, ज्यूडिशियरी में कितना अनुभव है, एग्ज़ीक्युटिव में कितना अनुभव है इसके आधार पर सीनियोरिटी रहेगी, इन तीनों बातों के बारे में कोई अन्तिम स्थिति के निर्द्धारित हो जाने के बाद यह अनिश्चितता का वातावरण समाप्त हो सकता है और इसके बाद मैं समझता हूं कि यह जो रेवेन्यू बोर्ड का रूप इस समय हमारे सामने है उसमें इस प्रकार का परिवर्तन आ जावेगा तो न्याय की ओर अग्रसर करेगा।

इसलिये मेरा निवेदन है कि मैंने जो दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस तरह की व्यवस्था राजस्थान में ही नहीं होगी वरन् और भी ए. क्लास States में है। रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर होने के बाद उस मेम्बर की नियुक्ति उससे किसी भी जूनियर पोस्ट पर नहीं होती। पर यह दुर्भाग्य केवल हमारे इस राजस्थान प्रान्त का ही है। आप किसी भी और प्रान्त का ढांचा उठाकर देखें कि रेवेन्यु बोर्ड का एक बार सदस्य होने के बाद सारे अधिकारी उसकी हुकूमत को मानते हैं और यह जानते हैं कि रेवेन्यु की सत्ता किस व्यक्ति के हाथ में है। इसके साथ ही उस मेम्बर को भी इस बात का डर नहीं कि मेरे हाथ से यह सत्ता कोई छीनकर किसी जूनियर को दे रहा है। पर यह तो दुर्भाग्य इस राजस्थान का ही है कि राजस्व के उच्च सत्ताधारी व्यक्ति को अपनी स्थिति का पूरा ज्ञान न होने के कारण, अपने ओहदे के बारे में अनिश्चितता होने के कारण वह सरकार की ओर टकटकी लगाये बैठा रहता है कि कोई अधिकारी खुश हो जावे, कोई नेता खुश हो जावे और हमारी सिफारिश कर दे कि हमें मुस्तकिल मेम्बर बना दिया जावे, हम मुस्तकिल चैयरमैन हो जावें और हटें नहीं।

[श्री भैंरोंसिंह]

तो यह सब कहने का मेरा तात्पर्य वह है कि और प्रान्तों में जिस प्रकार का इनका स्टेटस रक्खा गया है उसी प्रकार, जिस प्रकार हाई कोर्ट के सदस्य ....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि मेरे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि और प्रान्तों में उनका क्या स्टेटस है या और जो प्रोवीज़न इस एक्ट में हैं, ऐसे ही सब जगह हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसे ही स्टेटस और जगह हैं क्या ? जो प्रावीज़न इस एक्ट में है ऐसे ही स्टेटस सब जगह हैं क्या ?

श्री भैंरूसिंह—आपने इसमें ज्यादा से ज्यादा यू. पी. की नकल की है।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने दूसरे प्रान्तों का हवाला दिया है, इसलिए पूछा है।

श्री भैंरूसिंह—जिस प्रकार का मैंने संशोधन दिया है ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था वहां है।

श्री दामोदरलाल व्यास—कौन से प्रान्त में किया गया है ?

श्री भैंरूसिंह—ऐसे आप बिहार का जो रेवेन्यू एक्ट है उसको उठाकर देखिये। उसमें जो संशोधन पेश हुए हैं उन संशोधनों की रिपोर्टों को देखिये और सरकार ने उन संशोधनों पर विचार प्रकट किये हैं उनको देखिये, हालांकि वह अभी एडजस्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी नया लेन्ड रेवेन्यू बिल वहां बिहार असेम्बली में प्रस्तुत नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से जिन्होंने इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन किया था उन्हें इस प्रकार का एश्योरेन्स दिया गया है कि रेवेन्यू बोर्ड में जो अनिश्चितता का वातावरण है उस वातावरण को दूर करने के लिए, रेवेन्यू बोर्ड की सर्विसेज़ को ज्यादा Secured करने के लिए प्रबन्ध कर लिया जायगा। वह बिल जब आयेगा तब आयेगा; लेकिन जो रिप्रेज़ेन्टेशन है वह आप चाहें तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा कि आप देख लें और अपने विचार बना लें।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितने इस प्रकार के लेन्ड रेवेन्यू बिल में Revenue Board के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें सारे सदन की, मैं खास तौर से जो सरकार के पक्ष वाले होते हैं, सरकार के कहने पर हाथ उठाने वाले होते हैं, उन सब सदस्यों की क्या राय है ? यह राय है कि रेवेन्यू बोर्ड की सर्विसेज़ को सिक्योर बनाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था हम कानूनों में कर सकते हैं की जावे उसी प्रकार की व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए मेरा संशोधन है।

[श्री भैरोंसिंह]

मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री दूसरे प्रान्तों के कानून या इस सम्बन्ध के कागजों को देखेंगे तो उनको अपना मस्तिष्क मजबूर होकर बनाना पड़ेगा कि इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिए।

एक और भी अर्ज कर दूं कि यदि कोई ऐसे सिद्धान्त आज तक दूसरे प्रान्तों में भी नहीं हों तो मैंने भी जैसे चार दिन पूर्व ही यह ज़िक्र किया था कि आज तक जितने भी कानूनों की हमने नकल की है और चूंकि नकल में अकल कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को छोड़कर राजस्थान को इस बात में आगे होना चाहिए कि रेवेन्यू बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ बनायें। यदि, दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है हो भी इस प्रान्त में हमें यह प्रबन्ध करना चाहिए। आज तक जितने भी कानून बने हैं और जिनके नकल करने का अभिमान करते हैं, उनकी हमने दूसरे प्रान्तों के कानूनों की नकलें की हैं। वह अभिमान बिल्कुल मिथ्या है। वे कानून अंग्रेज़ों ने काश्तकार और जमींदार, काश्तकार और राज्य के बीच में संघर्ष पैदा करने की प्रवृत्ति से बनाये थे। रेवेन्यू बोर्ड में किसी तरह से इन्टरफियरेन्स होता रहे जनता और काश्तकारों के संबंध, काश्तकारों और जागीरदारों के संबंध और यदि कोई अन्य बीच में इन्टरमीजियेरी हो उनके संबंध बिगड़ते रहें, उनमें लड़ाई राज्य करता रहे ; केपिटेलिस्ट वर्ग और लेबर class और एग्रिकलचरिस्ट class भी में किसी प्रकार से संघर्ष रहे। डिवाइड एन्ड रूल के आधार पर यह कानून बनाये हैं। उन्हीं कानूनों की नकल करना अगर आप अपना गौरव समझते हैं तो ऐसे राजस्व मंत्री के लिए शर्म की चीज़ है। अगर नकल करना ही है तो अंग्रेजों के बनाये हुए कानूनों के पहले के कानूनों की नकल करें, तो उनमें आप देखेंगे कि न्याय करने वाला अधिकारी कितना चिन्ताओं से मुक्त रहता था, सरकार के इन्टरफियरेन्स से कितना मुक्त रहता था? पहले कानूनों को आप उठाकर देखिये। वे अंग्रेजों से पहले का इतिहास पढ़ने से मिलते हैं, वह हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। वह सारी चीज़ देखें तो मैं समझता हूं कि उनके दिल में जो एक मिथ्या चीज़ पैदा हुई है वह निर्मूल सिद्ध होगी। अंग्रेजों की नकल करने की जो मनोवृत्ति हो रही है वह सारी मनोवृत्ति नष्ट हो जायगी। डिवाइड एन्ड रूल की पोलिसी जो होती थी वह अंग्रेजों की होती थी, इस समय की आजाद सरकार के लिए नहीं। यदि हमारी आजाद सरकार उसी तरह डिवाइड एन्ड रूल की पालिसी के ऊपर अपने कानून आधारित करती है तो वह दिन नजदीक आने वाला है, डिवाइड एन्ड रूल की पालिसी पर चलने वाली सरकार का हमें सामना करना पड़ेगा, ऐसी सरकार को समाप्त करना पड़ेगा, अहिंसात्मक काम करने पड़ेंगे और सरकार को मजबूर किया जायगा कि कानूनों की नकलों को छोड़कर जो न्यायपूर्ण कानून हैं उनकी रचना करें। यदि ऐसे कानूनों की रचना नहीं हुई तो मैं इस सदन को यह सूचना देने के लिए तैयार हूं कि काश्तकारों का संबंध जिनको कि हम खराब बताते हैं, काश्तकारों की स्थिति जिसको हम खराब कहकर लिटिगेशन से दूर रखना चाहते हैं उनको हम न तो लिटिगेशन से दूर कर सकेंगे, न उनका मुकद्मेबाजी से पिण्ड छुड़ा सकेंगे और न उनको किसी प्रकार की कोई राहत पहुंचा सकेंगे। लगान कम करने से राहत विशेष नहीं मिलती है। उनके जो अधिकार हैं, जमीन के साथ

[श्री भैरोंसिंह]

उनका जो संबंध है और उस संबंध के कारण सरकार से उनका संबंध है इन संबंधों को ठीक ढंग से निर्धारित नहीं कर देते, इन संबंधों को ठीक ढंग से रक्षा नहीं करते तो हमारे सारे के सारे कानन अधूरे रहेंगे और अधूरे कानून को सदन स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोनों संशोधनों पर मंत्रीजी गंभीरता से सोचेंगे। इसी तरह मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे दोनों संशोधनों को स्वीकार कराने में मेरा साथ दें और माननीय मंत्रीजी के मस्तिष्क पर यह प्रभाव डालें कि डिवाइड एन्ड रूल की पालिसी पर आधारित कानूनों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नकल में यदि अकिल लगायें तो एक कानून जो अधूरा हो रहा है वह पूरा हो जावेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे मित्र ने यह जो इस संशोधन सदन के सामने रखे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। यह जो क्लॉज़ ८ में आपने जो दो संशोधन रखे हैं जिनके संक्षेप में यह माने हैं कि एक तो रेवेन्यू बोर्ड के जो सदस्य हैं वे जब तक कि अपनी नौकरी से रिटायर नहीं हो जायं तब तक वे सदस्य बने रहें और दूसरा उन्होंने जो संशोधन रखा है वह यह रखा है कि "No Member of the Board of Revenue shall be appointed in any Government service after retirement.

इन दोनों संशोधनों को साफ करते हुए माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह साफ बतला दिया कि मौजूदा प्रोवीजन अभी बिल में जो है वह पास कर दिया जायगा और एक्ट में आगया तो इसमें काफी हानि हो सकती है। उन्होंने बहुत वजूहात दिये हैं, और वे बड़े मजबूत वजूहात हैं, जिनकी ताईद करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मैं सारी चीज़ें न कह कर दो-चार शब्द कहना इसलिए पसन्द करूंगा कि पिछले पांच साल से जबसे कि यह हमारी राजस्थान की विधान सभा बनी है और डेमोक्रेसी, फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी की कार्यवाही हो रही है, तो हमें मामूली तौर पर क्या दिक्कत आ रही है। एक तो जैसा कि मैंने पहले क्लॉज़ ५ के मुतल्लिक अर्ज किया था कि ऐसे सदस्य रेवेन्यू बोर्ड में नियुक्त कर दिए जाते हैं कि जो इतने बड़े राज्य में पद को सुशोभित करने के लिए कभी योग्य नहीं कहलाये जा सकते, सिवाय ऐसे मेम्बरों के जिनका कि अनुभव काफी रह चुका है और राजस्थान बनते ही जिनको कि इस स्थान पर नियुक्त किया गया वे सिर्फ अपने कार्य में कुशल थे और अनुभव प्राप्त किये हुये थे और एक या दो मेम्बर बाहर से बुलाये गये थे; वे भी अनुभवी थे। अपने कार्य को भली भांति जानते थे। लेकिन उसके बाद में पोलिटिक्स द्वारा और उसके कारण इस बोर्ड में नियुक्तियां हुई हैं। वे न तो किसी प्रकार इस पद को शोभा देती हैं और न जो राजस्थान की जनता है उनको पूरा न्याय मिला है और अब इस बिल में जो प्रोवीज़न किया गया है वह आज तक की जो प्रणाली चली आ रही है, उन प्रोवीज़न्स को मद्देनजर रखकर आगे कदम उठाया है, इस बात से होगा क्या? यह होगा कि आज राजस्थान की जनता यही महसूस करती है कि वह रेवेन्यु बोर्ड के पास जाय या न जाय। उनको न्याय किस हद तक मिलेगा, वह भली भांति जानती है और उसमें से जो पदाधिकारी हैं उन पर मैं दोषारोपण करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूँ।

Page No.74

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

उनकी गलती इसलिए नहीं है कि उनको इन बातों का अनुभव नहीं है। उनको दूसरे कामों, एक्जीक्युटिव प्रणाली का अनुभव था; उनको उठाकर रेवेन्यू बोर्ड में भेज दिया। हमारी सरकार यह ख्याल करती है कि चाहे अनुभव हो या न हो, कोई बात नहीं है। यदि अनुभवहीन आदमी को जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है इस पद पर बैठा दें तो वह काम निकाल लेगा, ऐसा वे शायद सोचते हों। मैं अदब के साथ कहूँगा कि सिर्फ मिनिस्टर्स का पद ऐसा है जिस पर हरेक आदमी काम कर सकता है। हमारे चपरासी या फर्राश जो हैं उनको भी जनता चुनकर अगले चुनाव में भेजे तो वे मन्त्री हो सकते हैं। यह ताज्जुब की बात नहीं हैं, यह लोकतन्त्रवाद का खेल है, हमें खेलना पड़ेगा। तो मन्त्री के पद पर कोई भी आदमी अनुभव रहित होते हुये भी बड़ी खूबी से वह कार्य कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे पद हैं जिनके लिए एडिमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स की जरूरत है, जिनके पास जनता के साथ न्याय करने का कार्य है उस पर यदि आप ऐसे मनुष्य को, ऐसे व्यक्ति को भेज दें जिनको कि इस लाइन का तजुर्बा नहीं है, जो कानून नहीं जानता, जो रेवेन्यू के काम से वाकफियत नहीं रखता, सेटलमेंट के काम से जानकारी नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को किसी कारण से इस पद पर रखा जाय तो उससे फायदा क्या होगा, जनता का उससे क्या लाभ होगा, उसको कैसे न्याय मिलेगा? इन वजूहात के कारण उनकी रिटायरमेंट का जो प्रोविजन है:—"All Members of the Board shall hold office during the pleasure of the Rajpramukh. यदि यह प्रोविजन रखा जायगा तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यह निकलेगा कि यदि कोई सदस्य रेवेन्यू बोर्ड का है और उसकी आत्मा यह गवाही नहीं देती कि मैं अमुक काम अपने न्याय के तरीके पर करूं और उस पर यह जोर दिया जाय सरकार द्वारा या दूसरे अफसर द्वारा कि यह काम और तरीके से ही करना पड़ेगा उस हालत में उसकी इच्छा नहीं होते हुए भी उसको बाध्य होकर वह काम और तरह से ही करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से तो यह कहा जायगा कि उनकी टेन्योर राजप्रमुख की प्लेज़र पर है। मैं समझता हूँ कि राजस्व मन्त्री कानून जानने वाले हैं। इसे पाइलोट करते समय इसके सपोर्ट में बहुत कुछ दलीलें देंगे, जो हम शायद नहीं दे सकते लेकिन उनकी चतुराई को दूसरे अनुभवी लोग जान सकेंगे कि उनकी चतुराई क्या है। वे यह दलील देंगे कि राजप्रमुख के हाथ में उनका रिटायरमेंट है इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा ......

श्री दामोदरलाल व्यास—यह दलील नहीं देंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हां, यह दलील तो नहीं देंगे।

श्री जसवन्तसिंह (भाषण जारी रखते हुए)—यह दलील दें या न दें, लेकिन उनके दिमाग में यह बात है जरूर। यदि आप यह समझते हों कि दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार के अधिकार गवर्नरों को दिए हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नरों की स्थिति और राजस्थान के राजप्रमुख की स्थिति एक सी नहीं है। कोंस्टिट्यूशन के माफिक अकेडेमिक या थ्योरिटिकल रूप में एक सी स्थिति हो सकती है

[श्री जसवन्तसिंह]

किन्तु प्रेक्टिकली देखें तो पता चलेगा कि एक प्रान्त का गवर्नर अनिश्चित समय के लिए उस पद पर है। वह एक साल, दो साल या चार साल के लिए उस पद पर है। यदि गवर्नर ऐसा कार्य मन्त्रियों की सहायता से करले जो उसे नहीं करना चाहिये तो वह फौरन हटाया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है लेकिन हमारे राजप्रमुख तो जिन्दगी भर इस पद पर रहेंगे, जब तक कि कांस्टिट्यूशन बदल न जाय। इसलिए हमारी सरकार जो उनसे करवाना चाहती है वह आसानी से करवा सकती है। वे इतने अकोमोडेटिव हैं या जेनरस हैं कि सरकार जो उनसे करवाना चाहे वह करवा सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो प्रणाली राजस्थान में है वही पद्धति या प्रणाली केन्द्रीय सरकार में है। बीसियों कानून जो पार्लियामेंट पास करती है उनको राष्ट्रपति बिना दस्तखत किये वापिस लौटा देते हैं और बतलाते हैं कि ये त्रुटियें रह गई हैं, इसलिए मैं इन पर दस्तखत नहीं करता। हिन्दू कोड आदि के कानून जो संसद ने पास किये थे उनको राष्ट्रपति ने वापिस कर दिया क्योंकि उनमें ये ये त्रुटियें रह गई हैं या जनता के हित का ख्याल नहीं किया गया है इसलिए इनको पास नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा कि ४ साल में हमारे यहां क्या एक भी कानून, जो कि विधान सभा द्वारा बनाया गया, ऐसा नहीं था कि जिनमें त्रुटियां हों और राजप्रमुख ने उसे वापिस लौटाया। हमारी विधान सभा में बहुत से गलत कानून बनाये हैं। अपोजिशन द्वारा जो कुछ कहा गया उस पर ध्यान न देकर जल्दबाजी की गई और नतीजा यह हुआ कि कोर्ट्स ने उनको अलट्रवायर्स करार दिया, यह देखने में आया है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनमें से एक भी कानून राजप्रमुख ने वापिस भेजा है यह कह कर कि इसमें फलां फलां त्रुटियां रह गई हैं......

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे लॉज़ हैं जिनको कोर्ट ने अल्ट्रावायर्स करार दिया है।

श्री जसवन्तसिंह—मैं पहले तो राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट्स रेग्युलेटिंग एक्ट का ही उदाहरण देता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—Solitary instance.

श्री जसवन्तसिंह—(भाषण जारी रखते हुए) एक ही नहीं, बहुत सी बातों पर। मुझे यह मालूम नहीं है कि राजस्व मंत्रीजी इतनी कम जानकरी रखते हैं।

हमारे कानूनों के बारे में कोर्ट्स के वकीलों से पूछिये, क्या मजाक हो रही है। ऐसी मजाक हो रही है कि हम लोग ऐसे अपशब्दों को सुनते हैं; शर्म आनी चाहिए कि कानून बनाने वाली हमारी विधान सभा है उसके बारे में आम जनता की क्या राय है? कानून जानने वाले हाई कोर्ट के जज आदि हैं उनमें से कइयों से मेरी बातें हुई हैं। उन्होंने हमारी मजाक उड़ाई। शर्म के मारे मुझे नीचे देखना पड़ा। यह हमारी विधान सभा की हालत है।

[श्री जसवन्तसिंह]

हमारे राजप्रमुख इतने कांस्टिट्यूशनल और इतने अकोमोडेटिंग तबियत के हैं कि सब कुछ कर देते हैं, आप जो भी कराना चाहें वे कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको फुर्सत भी कम मिलती है, वे साल में ८ महीने तो बाहर रहते हैं। उनके हाथ में रिटायरमेंट का होना यह कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार के ही हाथ में है। वह जैसा चाहे वैसा करा सकती है, फिर शक किस बात का है? ऐसी हालत में हम क्या उम्मेद करेंगे? उम्मेद यही करेंगे? कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य सरकार की तरफ हमेशा आंख उठाये रहेंगे। जब कभी भी उनको इशारा हो जायगा, वे उसके अनुसार काम करेंगे। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके कारण इस क्लॉज का पास होना ठीक नहीं होगा। यदि राजस्व मन्त्री हृदय टटोलें और निष्पक्षरूप से विचार करें तो उनके भी वे ही विचार होंगे जो मेरे हैं। (हिअर हिअर)

किन्हीं कारणों से उन विचारों को वे यहां नहीं ला रहे हैं। इन शब्दों के साथ मेरे मित्र भैंरूसिंहजी ने जो दो संशोधन रखे हैं उनका बहुत जोर से समर्थन करता हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि सदन इन संशोधनों को मानेगा, सरकार इनको मानेगी और आम जनता को राजस्थान में न्याय मिलने का मौका देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, लैंड रेवेन्यू बिल के क्लॉज़ ८ के सिलसिले में जो दो संशोधन इस सदन में पेश हुये हैं, उनमें से एक माननीय सदस्य का यह संशोधम है कि क्लॉज़ ८ को बिल्कुल ही इस कानून से हटा दिया जाय और दूसरे माननीय सदस्य का यह संशोधन है कि इस क्लॉज़ ८ को ऐसा कर दिया जाय कि "Pleasure of the Rajpramukh" को काट कर इसमें ऐसा रखा जाय कि जब तक वे रिटायर न हों इस बोर्ड के मेम्बर रहेंगे। ये दो संशोधन सदन में पेश हुए हैं और माननीय विरोधी दल के नेता ने उसमें से एक संशोधन का बड़े जोरों से समर्थन किया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आप जोरों से विरोध करें।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं दोनों संशोधनों का उतने ही जोर से विरोध करना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन इस क्लॉज़ के लिये इस प्रकार रखा है कि इसे बिल्कुल इस बिल से हटा दिया जाय, मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या वे फ्युन क्रियेट करना चाहते हैं? यदि बोर्ड का कोई मेम्बर खुद-ब-खुद बोर्ड से हटना चाहे या किसी वजह से उनको हटाने की जरूरत पड़े, वैसी सूरत में अगर ऐसा प्रोविजन बिल्कुल नहीं होगा तो उन्हें कैसे हटने की इजाजत दी जायगी या कैसे हटाया जायगा?

हमारे मुल्क का जो विधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेज़ के अपोइन्टमेंट और रिमूवल का प्रोविजन है। आर्टीकल १२४ के तहत यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेज़ को कैसे हटाया जा सकता है। यदि वे स्वयं हटना चाहें, या उनके खिलाफ कोई शिकायत हो और उनको हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है तो किस तरह उनको हटाया जायगा, इसका हवाला दिया है।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

अपने बिल में रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य को किस तरह हटाया जाना चाहिए। इसके बारे में अगर कोई प्रोविजन नहीं रखा गया तो, यह मेरी समझ में नहीं आता कि अगर किसी मेम्बर को हटाने की आवश्यकता हुई या वह मेम्बर खुद ही हटना चाहे तो उसके हटाने के लिए क्या प्रोविजन रह जायगा ?

कु० श्री जसवन्त सिंह—हटाने का नहीं, रिटायरमेंट का है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—इसमें यह लिखा है कि "All members of the Borad shall hold office during the pleasure of the Rajpramukh.

कु० श्री जसवन्त सिंह—उसको हटाने का क्या मतलब है।

श्री नाथूराम मिर्धा—यह तो माननीय विरोधी पक्ष के नेता के समझ में आ गया कि बिल्कुल हटाने का तो ठीक नहीं हैं। जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने बताया कि इस सदन में बैठ कर जल्दी में अन्धाधुन्ध कानून पास कर देते हैं और हाई कोर्ट में वे सैकड़ों कानून अल्ट्रावायर्स हो जाते हैं......

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैंने "सैकड़ों" नहीं "कई" कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा—"कई" कहा। पर उन्होंने एक कानून का हवाला दिया जो अल्ट्रावायर्स हो गया।

इसके लिए यह कहा जा सकता है कि हमारे पास किए हुए कानून अल्ट्रावायर्स हो जाते हैं, वह विरोधी दल के नेता के लिए शोभा की बात नहीं है।

जो दूसरा संशोधन इस सदन के सामने आया है, जिसमें राजप्रमुख की मर्जी को या प्लेजर को हटा कर जजेज़ के अपोइन्टमेन्ट के बाद टिल रिटायरमेन्ट तक उन्हें रखा जाय।...

कु० श्री जसवन्त सिंह—Subject to good bahaviour.

श्री नाथूराम मिर्धा—"Subject to good behaviour", इसमें तो है नहीं। माननीय विरोधी पक्ष के नेता के कोई दूसरा संशोधन दिमाग में हो तो यह दूसरी बात है, उन्होंने उसका ज़िक्र अपने भाषण में तो नहीं किया। जैसा कि संशोधन उनके दिमाग में है मैं उसका ही जिक्र करना चाहता हूँ। टिल रिटायरमेन्ट तक उन्हें रखा हो जाय, यह वाजिब संशोधन नहीं है। हमारे विधान में प्रोविज़न्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट्स के जजेज़, या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहें, अगर ऐसा प्रोविजन नहीं रखा तो उनका इस्तीफा भी मन्जूर नहीं कर सकते, या अगर उनके खिलाफ

[श्री नाथूराम मिर्धा]

कोई शिकायत हो जिसके कारण उनको हटाना जरूरी हो तो ऐसी सूरत में भी अगर ऐसा प्रोविजन नहीं रखा गया तो उन्हें नहीं हटाया जा सकेगा। तो यह भी गलत चीज होगी।

तो यह संशोधन बिल्कुल गलत है। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने इस कानून के क्लॉज़ ६ के बारे में पिछले दो दिनों से काफी चर्चा की। वह दर असल क्लॉज़ ५ है, उसके कई सदस्यों ने धारा ६ कहा है। क्लॉज़ ५ कोई बहस का विषय नहीं है। उसमें यह कहा है कि इस स्टेज का एक रेवेन्यु बिल होगा, इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि रेवेन्यु बोर्ड नहीं होगा। गलती से माननीय सदस्यों ने क्लॉज़ ६ को ही पांच कह दिया है।

श्री चांदमल मेहता—दोनों को एक कर दिया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा—कोई एक नहीं किया है। मेरे पास यह है, इसमें तो एक नहीं किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—सिलेक्ट कमेटी ने कर दिया है, आप सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए।

श्री नाथूराम मिर्धा—क्लॉज़ ५ और ६ दोनों एक कर दिये गये हैं। इसमें बह के दौरान में यह देखा, ज्यादा मेम्बरों की राय देखी कि रेवेन्यु बोर्ड को इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी रखा जाय और लोगों को विश्वास कराया जाय कि यह एक ऐसी बॉडी है जो इन्साफ करेगी। यह बात काफी सदस्यों ने काफी जोरों से प्रेस की है और हमारे माननीय रेवेन्यु मन्त्री ने इस बारे में सोचने का तय किया है कि मेम्बरों की इच्छा को किस तरह पूरा कर सकें, यह बात उनकी समझ में आई और अब इसके ऊपर कुछ निर्णय होने वाला है। तो अब मैं क्लॉज़ पर आता हूँ कि उनकी टर्म ऑफ ऑफिस राजप्रमुख की प्लेज़र पर होगी तो, यह क्लॉज़ इस विचार-धारा के बिल्कुल खिलाफ नहीं पड़ेगा। एपोइन्टिंग ओथेरिटी राजप्रमुख ही है और उनके रिमूवल की ऑथिरिटी भी राजप्रमुख को रखा गया है।

राजप्रमुख में और राजस्व मन्त्री में व राजस्थान सरकार में कुछ भी फरक नहीं; एक हैं, ऐसा बताने की विरोधी पक्ष के नेता ने कोशिश की और इसके लिए उन्होंने यह कहा कि आज तक कोई भी कानून राजप्रमुख के यहां से नामंजूर होकर बिना दस्तखतों के वापिस नहीं आया।

वास्तव में स्थिति यह है। विधान के अनुसार यह सदन कानून पास करता है तो सरकार उस कानून को राजप्रमुख के पास भेजती है और राजप्रमुख उस पर दस्तखत कर भेजते हैं। सदन में

[श्री नाथूराम मिर्धा]

पास होने के बाद वह कानून राजप्रमुख के पास जाता है और वह राजप्रमुख के दस्तखत होकर वापिस आ जाता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या हरेक बात के लिए यह लाजमी है, राजप्रमुख के लिए कि वे हर एक बात को मानें ही। आप कॉन्स्टीट्युशन देखिए।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैंने यह नहीं कहा कि राजप्रमुख हमेशा इसके लिए बाउन्ड हैं। राजप्रमुख और सरकार जुदा नहीं हैं और सारे कानून इसी तरह से चलते हैं। तो अपॉइन्टिंग ऑथोरिटी राजप्रमुख हैं और इसका कॉन्स्टीट्युशन कैसा होना चाहिए। इसके बारे में सरकार ही निश्चय करेगी कि इस बोर्ड का कॉम्पोज़िशन ऐसा बनाया जाय जिससे लोगों को विश्वास हो कि हमें इन्साफ ही इन्साफ मिलेगा।

अब उसको हटाने के लिए कि राजप्रमुख की प्लेज़र नहीं रहनी चाहिये तो मैं यह कहूँगा उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। हम क्लॉज़ ५ में हम रेवेन्यु बोर्ड को बहुत बड़े पॉवर्स देकर बहुत बड़ा बना रहे हैं तो अगर यह धारा इसी प्रकार रहे तो इस धारा के रहने से किसी प्रकार की कोई शंका पैदा होने की बात नहीं रहती। इन दोनों संशोधनों से पहले को हटाने से कोई मतलब हल नहीं होता और दूसरे अमेंडमेंट से कोई एमरजेन्सी मीट नहीं होती। अतः यह दोनों संशोधन सही संशोधन नहीं हैं। दर असल सदन में जो भाषण हुए हैं उनसे सदन की मंशा तो यह जाहिर होती है कि रेवेन्यु बोर्ड के सदस्यों को परमानेन्ट रखा जावे। दर असल मंशा तो यह है कि वे जल्दी जल्दी नहीं हटाये जावें, काबिल और अच्छे आदमियों को रखा जावे। इसके अलावा जब वे एक बात को कुछ दिनों के अनुभव के बाद पकड़ पाते हैं तो उनके तबादले नहीं किए जाने चाहिए। जहां तक मैं समझ सका हूँ यह सदन की बहस है और सरकार इस पर विचार कर रही है और मैं समझता हूँ कि इस विचार-धारा से कोई किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचेगी। हर सरकार को यह डिसाइड करना चाहिए कि जो व्यक्ति इस बोर्ड में रखे जावें और जो इस बोर्ड के सदस्य हों वे रेवेन्यु काम के जानने वाले और न्याय के धुरन्धर हों और वे वहां पर बहुत अच्छी तरह से, जहां तक हो सके, बने रहें। कायम रहे जब तक ऐसा कोई ग्राउन्ड नहीं हो जिससे उनको बदलना जरूरी हो। तो ऐसी सूरत में माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहूँगा कि यह संशोधन सही नहीं है। इन संशोधनों के पास होने से इस दफा का असली मकसद फेल हो जावेगा। मेरे ख्याल से इन्हें सदन को अस्वीकार करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जो व्यूज़ मैंने सदन में रखे हैं उससे आप सहमत होंगे।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने दोनों संशोधनों को अस्वीकार करने के लिए कहा, तब मैं समझता था कि जरूर उनके द्वारा एक नया संशोधन आने वाला है, जो इन दोनों संशोधनों में खामियां हैं उनको पूरी करेगा।

श्री गोपीलाल यादव—आयेगा।

श्री तनसिंह—अगर आयेगा तो यह अच्छा रहेगा कि माननीय सदस्य महोदय उसे प्रस्तुत कर दें। मगर उन्होंने कोई संशोधन पेश नहीं किया। इसके अलावा मैं यह नहीं समझ सकता कि उन्होंने एक तरफ तो इस बात की ओर अपने भाषण में संकेत किया है कि माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर इस पर निर्णय करने का गौर कर रहे हैं और दूसरी ओर यह कह रहे हैं कि इन दोनों संशोधनों को अस्वीकार करके इस क्लॉज़ को, जिस प्रकार यह है उसी प्रकार पास किया जावे। मैं नहीं समझ सकता, उनका मतलब क्या है? अगर इसी रूप में क्लॉज रहे तो एक बात वे इस क्लॉज़ के पक्ष में और दूसरी बात इसी के विपक्ष में, कही है उसका मतलब नहीं समझ सका। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि "at the pleasure of Rajpramukh"; राजप्रमुख की इच्छा पर रेवेन्यु बोर्ड का कार्यालय हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी इच्छा पर इसे रखें या इस पर कुछ विचार करें यह एक विचारने की चीज़ है। यह इच्छा ऐसी है जो शुभेच्छा और दुरेच्छा भी हो सकती है। राजप्रमुख सरकार के द्वारा पास किए गए कानूनों पर छाप लगाने के लिए है जैसा कि अभी माननीय वक्ता महोदय ने खुदने बताया है, तो फिर समझ में नहीं आता कि उनको (राजप्रमुख को) इसके लिए क्यों परेशान किया जावे। बहतर यह हो कि उनके दस्तखतों की सील तैयार करा ली जावे और जब सरकार चाहे उनके नाम की सील लगा दे तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। (हिअर हिअर की विरोधी पक्ष की ओर से आवाज) इसलिए यदि सरकार की इच्छा और दुरेच्छा, जैसी भी हो उसकी इच्छा से इस बोर्ड का कार्यकाल रहे तब तो मैं नहीं समझता कि जनता को पूर्णतया न्याय मिलेगा। मैं तो यह समझता था कि इसको हटाने का संशोधन माननीय सदस्य स्वयं रखते तो ज्यादा अच्छा था। ऐसा हम कह सकते हैं कि रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बरों की कठिनाई और हाई कोर्ट के जजों की कठिनाई में कोई अन्तर नहीं है। अतः इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें इन दोनों संशोधनों का विरोध करना चाहिये था। अतः मेरी समझ में जो प्रस्ताव की भावना है उसके पीछे कोई सद्-इच्छा नहीं है जिसके लिये बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल को बनाये रखना है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ८ में दो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं आपके सामने जो बहस दो दिनों से सदन में चली आ रही हैं, रेवेन्यू बोर्ड के कम्पोज़िशन और उनके सदस्यों के स्टेटस पर, उनको किस तरह से हटाया जा सकता है, किस तरह से उनके तबादले किये जा सकते हैं, उस विषय पर जो बहस हुई है उसको वापिस दोहराना नहीं चाहता। सदन के सामने जो जो विचार प्रकट किये गये हैं उससे स्पष्ट है कि रेवेन्यू बोर्ड एक आज़ाद अदालत होनी चाहिये, जिसमें किसी किस्म का सरकारी इन्टरफिअरेन्स न हो। क्लॉज़ ५ पर विचार व्यक्त किये गये थे, उस समय भी यही विचार व्यक्त किये गये थे और माननीय राजस्व मंत्री ने यह महसूस करते हुए कि जो कुछ विचार इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं उनके कथन में वजन है जो दलीलें दी गई हैं वे ठोस हैं, इसलिये उन्होंने क्लॉज़ ५ को डेफर करने की इजाजत चाही है।

श्री गोपीलाल यादव—५ वें क्लॉज़ को ही नहीं बल्कि इस सम्बन्ध में सारे चेप्टर को डेफर करने की। एमेन्डमेन्ट्स पर यह जो बहस हो रही है यह लोगों के कहने पर कि विचार व्यक्त हो जावें तो वे अपनी अपनी पार्टी में इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लें।

It has been deferred already.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मुझे मालूम नहीं कि सारा चेप्टर ही डेफर किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इस पर एमेंडमेंट डिस्कस कर लिये जावें तो सब की राय मालूम हो जाती। क्लॉज़ ५ को डेफर किया गया।

एक माननीय सदस्य—The whole chapter?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने तो क्लॉज़ ५ पर ही कहा था।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Let us hope, by the time we finish, some good counsel will prevail.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसलिये हम सोचते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड को आज एक आजद अदालत की बात कही जाती है और क्लॉज़ ८ में यह कहा जाता है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर रहेंगे और जब उनको हटाना होगा हटा दिये जावेंगे और यह राजप्रमुख की सुएच्छा पर है; तो मेरे खयाल से यह इन भावनाओं के प्रतिकूल है, उनके खिलाफ है जो हम क्लॉज ५ की बहस करते हुए व्यक्त कर चुके हैं।

इस पर खास तौर पर यह सोचना पड़ेगा कि दरअसल हमारे रेवेन्यू के उच्च से उच्च न्यायालय का क्या स्तर होना चाहिए, क्या उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उसके मेम्बर्स किस तरह से हटाये जाने चाहिए या ट्रान्स्फर किये जाने चाहिए। मान लीजिये कि हम क्लॉज़ ५ में यह मान लेते हैं कि जुडिशियल अफसर होना चाहिए, सीनियर एडवोकेट्स में से अफसर होना चाहिए और अगर उनका तबादला राजप्रमुख की मर्जी पर रखा जाय तो जो एडवोकेट रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बनने के लिए इस कानून के तहत लिया गया है उसको वापिस कलेक्टर या कमिश्नर किया जा सकता है और इसी तरह से जिन आदमियों को नौकरी में कानून और तरीकों से नहीं रखा जा सकता है तो यह भी उनकी एक तरकीब नौकरी दिलाने की हो सकती है।

(विपक्ष द्वारा "हियर, हियर")

हो सकता है कि मैं इस कानून को सही समझने में सही रहा हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—सही समझ रहे हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) All Membe Board shall hold office during the pleasure of the Rajpramukh."

तो मैं जितना इसको समझ सका हूँ कि अगर किसी एडवोकेट को कानून के तहत, दफा पांच के तहत, रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बनाया जाय और छः महीने के बाद उसको वापिस कमिश्नर बनाने में क्या कठिनाई हो सकती है; जब कि क्लॉज़ ६ में यह है कि बनाया जा सकता है, तबादला किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य—आपकी समझ बिलकुल ठीक है।

(हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हो सकता है...

श्री हरिकृष्ण व्यास—मोतीलालजी से पूछ लें।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—वे उम्मदीवार हैं।

(हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसलिए इस बात को कन्वेन्शन पर नहीं छोड़ा जा सकता है, कि ये बातें कानून में पास की जानी चाहिए। जिस बात के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए कन्वेन्शन डालें या कोई कन्वेन्शन की बात कहें, तो यह सही प्रणाली नहीं होगी। देखना तो यह है कि हम कानून बनाने जा रहे हैं, कानून के द्वारा पब्लिक में नई भावना पैदा करना चाहते हैं, पब्लिक के दिमाग से सन्देह को मिटाना चाहते हैं जिससे कि इस न्यायालय के प्रति कोई भी भावना रही हो पब्लिक की, कि उनको वहां न्याय नहीं मिलता। यह दुर्भावना, यह गलत सन्देश हम जनता के दिमाग से हटाना चाहते हैं। तो हमको क्यों शंका हो, हम क्यों जिद करें कि वे इस तरह से हटने चाहिये और इस तरह से रहने चाहिये। हम तो उनको इस तरह से रखना चाहते हैं कि उससे जनता को कोई सन्देह न हो।

(विपक्ष द्वारा "हियर हियर")

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करूं कि जो अमेन्डमेन्ट पेश हुआ है वह अधूरा है। यह आपत्ति कि वे रिटायरमेन्ट तक नहीं हटेंगे, यह भी गलत है। कोई मेम्बर, यह लिखा जाय कि करप्ट है, अनसाउन्ड माइन्ड का है या किसी किस्म की उसके खिलाफ चीज़ है; तो किस तरह से हटाया जायगा? अगर वह कहता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इस्तीफा पेश कर दो, तो क्या उसको इस्तीफा पेश करने की इजाजत नहीं दी जायगी, Retirement is something else than resignation.

(विरोधी पक्ष से "हियर, हियर")

रिटायरमेन्ट और रिप्लेसमेंट की एक सी परिभाषा कर देंगे तो और भी गलत हो जायगा। महज कह देना कि इस क्लॉज को देखेंगे, तो काम नहीं चलेगा; ठीक नहीं। इसमें "शैल" शब्द है। All members of the Board shall hold office till retirement.

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

कोई आदमी हैल्थ के ग्राउन्ड पर जाना चाहेगा, किन्तु यह कह दिया जाय कि तुमको रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं ले सकते, तो यह बात समझ में नहीं आती है। जिन माननीय सदस्य ने यह अमेन्डमेन्ट रखा है उन्होंने पूर्ण रूप से विचार नहीं किया, उनके सामने तो यह बात थी कि सरकार के हाथ में ताकत नहीं दें कि उनको हटा दें। आगे क्या व्यवस्था होनी चाहिये, उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। उनकी तो भावना यही थी कि आज कल जिस तरह से हटा देते हैं उसको रोकने के लिये यह सोचा गया है, आगे कैसी व्यवस्था बदली जायगी और इससे किस तरह की गलत बातें हो जावेंगी, यह माननीय सदस्य ने नहीं सोचा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह उन्होंने आप पर छोड़ा है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुये) उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर छोड़ते तो पहले कन्सल्ट करते। उन्होंने तो मुझसे बगैर पूछे ही एक संशोधन पेश कर दिया। इसलिये यह गलती रह गई है।

(हंसी)

इसलिए मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष, कि जिस हालत में माननीय सदस्य ने तरमीम रखी है वह सही नहीं है और उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। इसके साथ २ क्लॉज ५ पर रेवेन्यू मिनिस्टर ने यह कहा है कि उस पर फिर विचार किया जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—विचार नहीं किया जायगा, सिर्फ वोट लिये जावेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सही रूप में तरमीम रखी जायगी और जैसा कि उनका ख्याल है एक रिड्राफ्टेड क्लॉज़ सामने आयगा; तो क्यों नहीं विचार किया जायगा। विचार करने की क्षमता है तो विचार बन्द नहीं करना चाहिये।

(हियर, हियर, की आवाज)

फिर विरोधी पक्ष के नेता की दलीलें आती हैं कि हाई कोर्ट में शर्म के मारे माथा झुक जाता है, वहां पर यह जायगा; विचार बन्द कर देंगे। विचार बन्द नहीं किये जाने चाहिये जब कि ताकत है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I will be in a good company with one hundred and sixty Members.

Page No.84

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरा यह कहना है कि जब तक ताकत है, विचार करना चाहिये, क्षमता है जब तक विचार करना चाहिये, बन्द नहीं किया जाना चाहिये; this is what I say ; आप सहमत होंगे ।

इसलिए मेरी गुजारिश है, माननीय उपाध्यक्ष, कि क्लॉज ५ पर जब विचार किया जाय तो इस क्लॉज पर भी विचार कर लिया जाय ताकि और भी बातें साफ हो जावें ।

श्री मोतीलाल चौधरी —माननीय उपाध्यक्ष जी,.........

श्री विशम्भरनाथ जोशी—उपाध्यक्ष महोदय.... ..

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir......

श्री विशम्भरनाथ जोशी—I think I am in possession of the floor, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—Mr. Joshi.

श्री विशम्भरनाथ जोशी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित कानून के क्लॉज़ ८ तथा उसके सम्बन्ध में जो संशोधन सदन में प्रस्तुत हुआ है उनके विषय में भी अपनी राय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये कौन से संशोधन के पक्ष में बोल रहे हैं ? ये पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी—(अपना भाषण जारी रखते हुये) यह आपको मालूम पड़ जायगा । यह बहस रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल के संरक्षण (Security of tenure) के बारे में खास तौर पर चल रही है । हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत के संविधान में प्रोपर्टी के अधिकार के बारे में हर प्रकार के वैधानिक संरक्षण दिये हैं । अब सवाल यह उठता है कि ये मामले या इन क्लेम्स से सम्बन्धित मामलात जो अदालत माल के समक्ष आते हैं तो क्या वे दूसरी सम्पत्ति के क्लेम्स से कम महत्वपूर्ण हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—टेन्योर ऑफ ऑफिस किसकी सम्पत्ति है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह तो समझते हैं ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य कुछ सब्र और समझदारी के साथ काम नहीं ले रहे हैं ।

Page No.85

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि उस सर्वोच्च न्यायालय तथा उन हाई कोर्ट्स को, जिनमें कि दूसरे किस्म के सम्पति के मामले जाते हैं, वहां के जजेज़ को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है तो वे अन्य प्रकार के सम्पति के मामले जो कि अदालत माल के सामने जावेंगे इतने ही महत्वपूर्ण होंगे और उतनी ही कीमती वह सम्पति के हैं। वे अदालतें दूसरी किस्म की सम्पत्ति का फैसला करने में आजाद हों और सरकारी प्रभाव से मुक्त हों; चूंकि जमीन भी हमारे देश की महत्वपूर्ण सम्पत्ति है, इसके फैसले के लिए भी उच्च न्यायालय होना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—समझ में अब आ गया।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—देर से आता है आपकी समझ में।

इस बारे में एक बात और मुझे कहनी है और वह यह कि इस कानून में अन्य क्लॉज़ भी है, जिसमें यह निश्चित किया हुआ है कि रेवेन्यू बोर्ड को महज जुडिशियल नेचर के मामलों को निपटाने का अधिकार है, एक्ज़ीक्यूटिव नेचर की पॉवर तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। यह जब साफ तौर से इसके अन्दर दिया हुआ है तब मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रखने का असर रखने की कोई आवश्यकता रह जाती है। महकमा माल के उच्च न्यायालय के सामने ऐसे मामले आयेंगे जिसमें दो फरीकों के मामले हों; उनका तस्फिया माल विभाग का न्यायालय करेगा। इसके अलावा एग्ज़ीक्युटिव नेचर के जितने भी फंक्शन्स होंगे उसकी कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी सरकार होगी। महज इस प्रकार सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बोर्ड के मेम्बरों को देने से जनता में इस बात का विश्वास पैदा हो जायगा कि हमारे मामले जो भी इस अदालत द्वारा फैसल होंगे उनमें किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का कोई असर नहीं रहेगा और न माना जा सकता है।

यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर बोर्ड का कोई भी मेम्बर यह समझ कर काम करता है कि उनका हटना और रहना उनकी स्वेच्छा पर है; तो वह इतनी आजादी से अपना काम नहीं कर सकेगा, इतनी आजादी से सारे मामलों का फैसला नहीं कर सकेगा जितना कि वह उस अवस्था में करेगा जब कि सरकार के पास उसको हटाने या रखने के अधिकार पूरे तौर से न हों।

इसके अलावा एक बात मुझे और निवेदन करनी है जो यह है कि जितने भी कानून हमारे समक्ष आते हैं उन पर विचार करने में जल्दबाजी से काम लिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि करीब २ बहुत से कानूनों के बारे में संशोधन हमारे सामने आते रहते हैं; इससे समय का दुरूपयोग होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों की कार्यकुशलता और कार्य-क्षमता का अच्छा परिचय जल्दबाजी में कानूनों पर पूर्ण रूप से विचार न करने से नहीं दीखता व इसी से ये दिक्कतें आती हैं। इसलिये मुझे यह कहना है कि इन सारी बातों को, इस सारे बिल को न सिर्फ

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

आज की परिस्थिति के अनुकूल ही बनाना है बल्कि हमें यह सोचना चाहिये, कानून बनाते वक्त इस बात का खयाल रखना चाहिये कि आगे आने वाली परिस्थितियों के अनुकूल भी इस कानून को किस प्रकार बनाया जा सकता है ! आज हम जो कानून बना रहे हैं आने वाली परिस्थियों में उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, यह सब बातें हमें ख्याल में रखनी हैं। आज हमारी सरकार है लेकिन इस बात को सब जानते हैं, प्रजातंत्र में इस बात का ठेका नहीं रहता कि एक ही पार्टी की सरकार सदा बनी रहे। इसलिये हो सकता है आगे चलकर दूसरी तरह की सरकार हो। सरकार बदल सकती है लेकिन कानून हमेशा बदला नहीं करते। उसको बदलने के लिये धारासभा में संशोधन रखे जाते हैं तभी कानून बदले जा सकते हैं। सरकार आये या जाये, किन्तु कानून हमेशा कायम रहते हैं। यद्यपि आज हमारे दल की सरकार है और हो सकता है यह अपने अधिकार व्यक्ति गत मामलों में जजों पर किसी प्रकार का असर डालने का प्रयत्न नहीं करेगी किन्तु कौन कह सकता है आगे आने वाली सरकार इस चीज़ का दुरुपयोग न करेगी, व्यक्तिगत मामलों में जजों पर प्रभाव नहीं डालेगी ऐसा संभव हो सकता है इसलिये हमें चाहिये अदालत माल में इस प्रकार के अधिकारों के दुरूपयोग होने की बात से वंचित रखने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भविष्य में आगे चलकर इस कानून के दुरूपयोग होने का तो अन्देशा नहीं है। इस प्रकार दूरन्देशी होना प्रत्येक कानून वेता का और लेजिस्लेटर का फर्ज है, और खासतौर से लेजिस्लेसन के समुदाय को तो इतना जरूर दूरन्देशी होना चाहिये। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए फिक्सिटी ऑफ टेन्योर का होना रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य के लिये आवश्यक है और इस प्रकार के अधिकार माल विभाग की सर्वोच्च अदालत को अवश्य मिलने चाहिये और मेरा यह दिवेदन है कि इस प्रकार के संशोधन के साथ सहानुभूति के साथ विचार होना चाहिये। साथ ही हम यह भी महसूस करते हैं कि टिल रिटायरमेन्ट ये शब्द जोड़ने से काम नहीं चलेगा। मुझे से पूर्व बोलने वाले एक सदस्य ने यह भी कहा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें बोर्ड के सदस्य को, जो ठीक काम नहीं कर रहा हो या किसी बीमारी की वजह से कार्यक्षमता न रख सके या किसी प्रकार से अयोग्य आचरण करता हुआ पाया जाय तो जब उसको हटाने के अधिकार सरकार के पास नहीं होंगे तो क्या उस आदमी को रहने दिया जाय इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार हाई कोर्ट के जजेज को हटाने के बारे में, विधान में, जिस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं कि वे टिल रिटायरमेन्ट (till retirement) ऑफिस होल्ड करते रहेंगे तावक्ते कि लोकसभा या प्रान्तीय हाई कोर्ट के लिये, प्रान्तीय धारा सभा यह तय न कर दे कि इनको हटा दिया जाय। इस प्रकार के शब्द इसमें जोड़ दिये जांय ताकि इस क्लॉज़ का साफ अर्थ निकल सके। अयोग्य आचरण करने वाले व्यक्ति को हटाने का अधिकार अगर सरकार के पास नहीं रहता है तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार हाई कोर्ट के जजेज़ के हटाने का अधिकार प्रान्तीय विधान सभाओं को दिया हुआ है उसी प्रकार बोर्ड के मेम्बर्स को हटाने का अधिकार भी विधान सभाओं को दिया जा सकता है क्यों कि विधान सभायें चुनी हुई होंगी और वह भी प्रजातन्त्रीय आधार पर तो ऐसी हालत में अधिकारों के दुरूपयोग की संभावना नहीं रहेगी। इस आशय के शब्द इसमें जोड़ देने चाहिये। ये सब बातें निवेदन करते हुए मैं यह चाहता हूँ कि महकमा माल के सर्वोच्च न्यायालय को इन सारे प्रभावों से

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

मुक्त रखना आवश्यक है ताकि आम जनता का विश्वास इस न्यायालय पर जम सके और जनता को योग्य जजों द्वारा न्याय मिल सके।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूँ कि इस क्लॉज़ पर विचार किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, जिस क्लॉज़ पर बहस चल रही है उस सिलसिले में दाता-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं आपका समय और आपके द्वारा सदन का समय लेना चाहता हूँ।

अब तक जिन माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये उनको मैंने सुना। उससे ऐसा पता लग रहा है कि कहीं हम बाथ के साथ साथ बच्चे को ही न फेंक दें। रिटायरमेन्ट के बारे में खास कठिनाई नहीं, मुख्य मुद्दा वह नहीं है ? उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय राजस्व मंत्री अब यह महसूस करने लगे हैं कि हमारी बातों में तथ्य हैं और वे लॉबी से उठकर हमारी बात सुनने यहां आये हैं

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जैसा कि अभी मेरे माननीय सदस्य ने कहा कि मैं उनके आरगूमेन्टस पर कन्वीन्स हो गया हूँ या उनके आरगूमेन्टस साउन्ड हैं इन सब बातों का तो मैं अपने जवाब में उत्तर देउंगा। लेकिन यह सच है कि माननीय सदस्य के न तो आगुमेन्टस ही कन्विसिंग है और न साउन्ड ही। I never Committed to that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए)माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी को जरा मुगालता हो गया। मैं तो केवल इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। अभी लॉबी से उठ कर हमारे विचार सुनने के लिये माननीय मंत्रीजी आगये। यही बात मैं कर रहा था, इतनी घबराहट होने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। अगर वे मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे तो उन पर किसी प्रकार का डिसिप्लिनेरी एक्शन सदन लेने वाला नहीं है। राजस्व मंत्री इस बात को जरूर मानेंगे कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल अवधि की समाप्ति के अधिकार, राजप्रमुख को नहीं होने चाहिये। अपने आप अगर वह समाप्त हो जाता है, उसका इन्तकाल हो जाता है तो दूसरी बात, इसमें हाथ की बात नहीं, लेकिन जहां तक कार्यकाल, अवधि की समाप्ति के अधिकार का प्रश्न है, इस प्रश्न का ताल्लुक है सरकार के इन्तजामी मामले से, और वह तभी हो पायेगा जब कि इस कानून में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि नियुक्ति, पोस्टिंग और कार्यकाल की अवधि की समाप्ति इन तीन बातों का अधिकार किसी न किसी ऐसी बोडी को देना पड़ेगा जो कि सरकार के दबाव में न आने वाली हो।

अब यह जरूर कहा जावेगा यहां पर कि हमारी जो पहले की सरकारें हैं और अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे दल की सरकार है। उन माननीय सदस्य का मतलब इस दल की

Page No.88

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सरकार से, कांग्रेस दल की सरकार से है या जैसा कि सुनने में आया है कांग्रेस में भी दो दल हैं उनमें से एक दल की सरकार है पर कौनसी ? अगर कांग्रेस पार्टी के रूप में भी समझें, जिसकी उन्होंने इतनी तारीफ की, तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ माननीय उपाध्यक्षजी, क्योंकि हकीकत यह है कि पुराने जमाने की जो सरकारें थीं, वे तो इस प्रकार की दस्तन्दाजी खुले आम करती ही थीं, वे तो कानून ही नहीं जानती थीं लेकिन इस दल को यह जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसके कार्यकाल की जो अवधि रही है, इन पांच वर्षों में चार वर्षों में या विधान सभा बनने के पहले के समय को भी जोड़ लिया जावे तो राजस्थान बनने के बाद तक इस कांग्रेस सरकार से भी यह साबित हो गया है कि मौके-बे-मौके सरकारी अधिकारियों पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का जी-जान से इसने प्रयत्न किया है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिये सदन का ध्यान उस एक फैसले की ओर फिर से आकर्षित करना चाहता हूँ जिसका कि उल्लेख कोटा से आए हुए माननीय सदस्य ने पिछले अधिवेशन में किया था कि कैसे एक मन्त्री महोदय के जाने से वहां के कलेक्टर या एस. डी. ओ. ने वह फैसला इधर से उधर कर दिया और जिस पर यह ऐतराज काबिल है, ऐसा हाई कोर्ट तक ने अपने फैसले में दर्ज किया है । पर वह फैसले की बात भी अगर एक मिनिट के लिए अलग रख दें तो भी यह हकीकत है कि उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने का जी-जान के प्रयत्न किया है और इसके सम्बन्ध में एक-दो दृष्टान्त भी में प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे कि हमें आगे चलकर इस बात की तसल्ली हो जाये कि वे आगे ऐसी हरकतें न कर पायेंगे ।

आपने देखा है कि जयपुर शहर के आस पास दस मील के क्षेत्र में बहुत सी जमीन है और उस जमीन के लेने देने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में कर रखा है । सरकार ने सन् ५३ में वह अधिकार कमिश्नर को भी दे दिया और थोड़ा बहुत अपने हाथ में भी रखा और उसके रूल्स बनाये, माननीय उपाध्यक्षजी, रूल्स बनाने के बाद की स्थिति यह है कि उन सरकारी अधिकारियों को टेलीफोन करके, इशारे करके और सरकार के नजदीकी लोगों को एक के बाद एक नाजायज तरीके से वे जमीनें अलॉट कर दीं । इतना ही नहीं, अलॉट तो की गई सो की ही गई लेकिन कितनी जमीन दी जांय यह रकबा मुकर्रर करने के बाद, कहां दी है, इसकी रूप रेखा भी इस ऑर्डर में नहीं और एक उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जो राजस्व मन्त्री तो नहीं है, पर आजकल पी. डब्लू. डी. मन्त्री हैं आजकल, यानि पांच दस दिनों से, पहले वे स्वायत शासन मन्त्री थे श्रीमान् कुम्भाराम जी ?

एक माननीय सदस्य—सब बता दिया आपने तो !

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब तो नहीं बताया ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह रिलेवेन्ट तो है नहीं। अलोटमेंट ऑफ लेन्ड का इसके साथ क्या सम्बन्ध है? It is not a general disscussion on a Budget जिससे कि पोलिसी को क्रिटिसाइज़ किया जावे। मैं समझता हूँ कि वे कन्फाइन करें इस क्लॉज ८ से ही, otherwise there is no end to it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह बहुत रिलेवेन्ट है। मैं बताऊं, कैसे? यदि हम...

श्री दामोदरलाल व्यास—यह क्लॉज से किस तरह से रिलेवेन्ट हो सकता है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह प्रूव करता हूँ। मैं इर्रिलेवेन्ट बात कहने के लिए सदन का एक मिनिट भी नहीं लेना चाहता। यदि पांच-सात साल से यह अनुभव नहीं होता इनकी नाजायज कार्यवाहियों का तो मेहनत नहीं करता यह कहने की, लेकिन अगर इतनी गम्भीर हालत पैदा होगई है कि एक दिन भी इसमें देर करना खतरनाक है तो आज ही सदन में निर्णय लेना जरूरी हो जावेगा और मैं संकेत कर रहा हूँ कि वह गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है और इस बारे में सदन को आवश्यक निर्णय ले लेना चाहिये तो इसके लिए ही मैं यहां मिसाल दे रहा था। यह अनकम्फर्टेबल तो अवश्य है और इससे भी मेरी ही बात साबित होती है और इसलिए यह जो नमूना मैं पेश कर रहा हूँ वह पेश करना भी जरूरी है। अब अगर माननीय मन्त्री जी खड़े होकर यह कहदें कि उन्हें यह संशोधन स्वीकार है तो यह बात मेरी यहां की यहां ही रह जावेगी, पर स्वीकार न करें तब तक तो कन्विन्स कराने के लिए यह मिसाल देना मेरे लिये लाजिमी है। तो यह जमीन का रकबा मुकर्रर नहीं होने से नतीजा यह होता है कि एक व्यक्ति तहसीलदारजी के यहां पहुँचता हैं तो उसके रोज कान ऐंठे जाते हैं और सरकार का वह रकबा है और जो रास्ता लोगों का दूसरे खेत में जाने के लिए वह है वह भी बन्द हो जाता है। बेचारे हैरान होते हैं और पी. डब्लू. डी के, बिजलीघर के सब स्टेशन की ओर जाने का भी वह रास्ता है। वहां नाजायज तरीकों से जबर्दस्ती कब्जा कर लिया जाता है : इसके ऊपर कब्जा किया इतना ही नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर विभाग का चैन वाला ट्रेक्टर और बुल डोजर काम करने के लिए वहां जाता है। कितने घण्टे काम किया, एक दिन दो घण्टे, एक दिन चार घण्टे और एक दिन फिर दो घण्टे काम किया गया और उसका अभी तक बिल नहीं बना है।

राजस्व मन्त्री जी अगर बहुत जोर से इसके बारे में चेलेन्ज स्वीकार करने की मनःस्थिति में जावें, जैसे डीडवाना से आने वाले सदस्य हैं तो उनके फार्म पर छोड़े हुए उस ट्रेक्टर का फोटो भी इस सदन की मेज पर रखने को मैं तैयार हूँ। सरकारी ट्रेक्टर कुम्भाराम जी की फार्म के पास खड़ा हुआ है और उसका फोटो भी मौजूद हैं। लेकिन शर्त यह है कि वे जरा जोश में आकर इस चैलेन्ज को स्वीकार करें, नहीं तो मैं भी अपना और सदन का वक्त जाया करूं, यह तो काम की बात नहीं है। वे चाहें तो मुख्य मन्त्रीजी से परामर्श कर लें। कौन आदमी कहां, कब, कितने समय के लिए भेजा गया और कहां पर उनके मुंशीजी और मुनीमजी ने दस्तखत करके दिये कि इतने घण्टे ट्रेक्टर चला, इतना पैसा होता है; मौका आवेगा तो यह सब कागजात भी पेश कर दूंगा। पर कोई चैलेन्ज स्वीकार करे तो?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि इस प्रकार से जिस रूल के मातहत यह जमीन दे रहे हैं, इसमें यहां तक है मानमीय उपाध्यक्षजी, कि इस जमीन पर कोई मकान नहीं बनाया जावेगा। पर मकान बनाया गया और अब इस मकान के पट्टे की दरख्वास्त दी गई है। अगर कानून को दबाने वाले लोगों के दबाव में न आने वाली सरकार हो तो इस दरख्वास्त को भी रोक कर बतावे जरा ?

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

यह बहुत गम्भीर केस है माननीय उपाध्यक्ष जी। उसमें जो दो कूए हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, व सरकार के बनाये हुए हैं और मुफ्त में हजम हो गए और अगर आप कहें तो मैं किसी और दिन के लिए रिज़र्व कर लूं इन बातो को, क्योंकि ये तो छिपने वाली बातें तो हैं नहीं; एक न एक दिन सामने आवेंगी। आज नहीं तो कल आवेंगी, आवेंगी जरूर, रुकेंगी नहीं।

श्री उपाध्यक्षजी—हां, किसी और मौके पर कहना आप इनको।

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—एक मिनिट ले लूं मैं भी आपका। जो जन-सेवा करते हैं उसके लिए सरकार अगर कोई प्रबन्ध करती है तो इसमें आपको एतराज क्यों ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने न मालूम क्या बात कह दी ? मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है ? वहां एक फौजी बैठा है उसको एतराज है। वह कहता है कि मेरा तो आने-जाने का रास्ता ही बन्द हो गया और एतराज है तो उन विचारे भूमिहीन किसानों को है जिनके नाम पर यह जमीन रिज़र्व करके रक्खी गई और बाद में यह भूमिहीन किसान को, यह तो मेरा फर्ज है भूमिहीन किसान की ताईद करने का, जो सौ पीढ़ी तक भूमिहीन रहा, उनके हाथ में पहुँच गई, एतराज होगा तो उनको होगा जिनके पीछे कि जमीन का रिज़र्वेशन किया गया था। उनका वह साढ़े सतरह पर्सेन्ट का रिज़र्वेशन तोड़कर नए-नए लोगों को दिया गया, उनको एतराज होगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

यह तो मैंने इसलिये कहा कि मेरे एतराज की बात पूछी गई है। तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है ? ऐतराज लोगों को हो सकता है कि कमिश्नर ने कैसे यह किया ? सैक्रेटेरियट में जिन लोगों ने मन्जूरी दी उसको लेकर जिन पर केसेज़ चलेंगे और जवाबदेही होगी उनको ऐतराज होगा ? लेकिन चूंकि इतने लोगों को ऐतराज होगा इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि यह हम बतावें कि यह लेने वाले की भारी गलती है और सरकार की भी निहायत गलती है, जिन्होंने दबाव में आकर यह सब किया। पर करें क्या विचारे ? नहीं करें तो आज तबादला कर दें। अगर नहीं करें तो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इधर उधर फेंक दें। यह एक बड़े अफसर जो कमिश्नर जयपुर डिविज़न के हैं उनकी स्थिति है। अगर उनकी स्थिति ऐसी है तो कल जाकर वे रेवेन्यु बोर्ड में बैठेगें और रेवेन्यु बोर्ड में गड़बड़ करेंगे तो टान्सफर करके फिर किसी डिविज़न में कमिश्नर बनाकर भेज देंगे। ऐसी स्थिति में मैं आपके जरिये सदन के हर माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूँगा कि वह दरअसल में इस पर विचार करके अपने खुद का निर्णय अपने आप करें कि कौन आदमी सही माने में कार्य कर सकता है। मैंने एक छोटी सी मिसाल अपनी बात के तथ्य को साबित करने के लिए दी। बाकी इस सिलसिले में खुलासा जैसा कि आपने फरमाया और किसी दिन किया जायगा ; इस सदन में वह आयेगा अवश्य। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन सब बातों को हमें हटाना है। तो मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन दिये हैं और नीम के थाने से आये हुए सदस्य उनको दुरुस्त कर दें, ऐसी भी सलाह दें ; कानूनी कमियां दुरुस्त कर ली जायं, उसको रिड्राफ्ट कर लिया जाय; लेकिन इसके तत्व कोर स्वीका किया जाय। यह जो इन संशोधनों की मन्शा है कि उनकी नियुक्त के अवधिकाल को दूसरा कोई समाप्त न करे। नोर्मली ये वाजिब कारणों से अपने आप सामप्त हो जांय तो बात दूसरी है। इन संशोधनों को सदन द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।

कमी २ जैसा कि राजस्व मंत्रीजी कह रहे हैं कि क्लॉज़ ५ को इसलिए स्थगित कर दिया कि मैं फिर से विचार करूंगा। अब यह क्लॉज़ भी इसीलिये स्थगित कर दिया जायगा, वे फिर से विचार करेंगे। लेकिन इतना कहना काफी नहीं होगा, यह सदन का अपमान होगा, सदन के सदस्यों का अपमान होगा और उधर बैठने वाले सदस्यों का खास अपमान होता है, हमारा तो रोज ही होता है ; मगर जिन बेचारों ने एकमत से यहां राय दी और उनकी राय.........

श्री कपिलदेव अग्रवाल-माननीय उपाध्यक्षजी, यह लफ्ज 'बेचारा' "विथ्ड्रॉ" कराइये। बेचारे आप होंगे ?

श्री वेदपाल त्यागी—ये तो हैं ही, आपको और बना दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो 'बेचारा' स्क्वायर हूँ क्योंकि मेरी तो पैसे भर भी नहीं चलती है। आपकी थोड़ी बहुत चलती है। मैं तो 'बेचारा' स्क्वायर ही नहीं 'बेचारा' रेज टू दी वार १०० हूँ। असल में आप २, ३ ही लोग हैं, बाकी की चलती नहीं है। लेकिन पार्टी मीटिंग में कैसी गड़बड़ होती है इसलिये उसमें (घन्टी) बीच में इन्टरफियरेन्स करते हैं इसलिये कहा है।

श्री लक्षमण हीरात—बिल्कुल झूठ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिन माननीय सदस्य ने यह खड़े होकर कहा कि बिल्कुल झूठ है उन माननीय सदस्य के लिए ऐसे बहुत अंश में सही है। ऐसा मैं बराबर दावे के साथ कहना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, उनकी जुबान इसलिये बन्द है कि मारे भी और रोने भी न दे।.....

Page No.92

श्री लक्ष्मण हीरालाल—जी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यही तो बहस है कि मारे भी और रोने भी न दे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप तो कानूनी बहस कीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो दरअसल कानूनी बहस कर रहा हूँ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, इस तरह तो खत्म इनकी बहस कभी नहीं होगी। उम्र गुज़र जायगी तो भी नहीं होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो माननीय राजस्व मन्त्री कुबूल कर लें, तो इसी वक्त बैठने के लिये तैयार हूँ। नहीं कुबूल करेंगे तो मुझे बहस खत्म करनी होगी, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, या तो कुछ बोलें या बैठ जायं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह लाउड स्पीकर कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं लगातार बोल रहा हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस संशोधन की जो मंशा है उस मंशा को हम स्वीकार करते हैं, ऐसा आश्वासन राजस्व मंत्रीजी यहां पहले दें, भाषा फिर उसकी कैसी ही हो। कानूनी परिवर्तन के लिये इधर उधर थोड़ा बहुत आज की स्थिति में हो सकता है। पूरी बहस में वह सोचेंगे, नहीं तो हमारा तो यह काम चालू रहेगा। राइट ऑफ रिप्लाई क्या होगा? तो इसलिये यह स्थगित करने का अभी सुझाव आयेगा और उस सुझाव को मंजूर करेगा सदन, यह मैं जानता हूँ। हालांकि सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र ..

एक माननीय सदस्य—आप जल्दी कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। (घंटी)। मैं उनसे कहता हूँ कि जल्दबाजी को रोकने के लिये मेरी बात मान लेते उस वक्त तो अच्छा था। (घंटी) एक मिनिट।

तो यह आश्वासन वह दें तभी यह स्थगित किया जाय, नहीं तो जो बहुमत इसके पक्ष में है कि इन संशोधनों की मंशा को पहले यहां स्वीकार किया जाय इसके बाद और कार्य होता रहे। ऐसी मेरी आपके जरिये इस सदन से प्रार्थना है।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज़ ८''

श्री वेदपाल त्यागी—सब क्लॉज़ नहीं, क्लॉज़ ८ है।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्लाज़ ८ ही कहा है। (जारी रखते हुए) का ५ के साथ संबंध है। क्लाज़ ५ के अन्दर सर्विसमैन बोर्ड में कितने होंगे ? कौन इसका मेम्बर होगा ? उसके बारे में अब तक हाउस के दो मत हैं। कुछ सदस्यों ने गलती से मान लिया कि उनकी आज राय हाउस ने मान ली होगी, कतई उसके संबंध में हाउस में मत नहीं हुआ है इसलिए उसको स्थगित कर दिया जायगा, अलग से सारी बातों पर निर्णय किया जायगा। यह सेक्शन (क्लाज़) जो है वह पांचवे सेक्शन (क्लॉज़) से संबंध रखता है। उसके अन्दर जो निर्णय होंगे कि एक अलग रेवेन्यू बोर्ड इन्डिपेन्डेन्ट कर दिया जाय या उसको जुडीशियल पॉवर दिया जाय या उसके फन्कशन का निर्णय कर दिया जायगा ; उसके बाद में सिफारिश होगी। मेम्बर्स के टेन्योर के संबंध में तय हो सकता है. उससे पहले नहीं। माननीय उपाध्क्षजी, हाउस में इसलिये मैंने पहले भी अपील की थी कि हमें वास्तव में रेवेन्यू बोर्ड को अलग करना चाहिये या जुडीशियल पॉवर देने चाहिये या उसके फन्कशन्स का निर्णय करना पड़ेगा निश्चित रूप से कि उसके फन्शन्स क्या २ होंगे। अपील सुनने का, रिवीज़न सुनने का होगा और उसके थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव या एक्जिक्युटिव पॉवर्स भी रहेंगे, रेवेन्यू कोर्ट्स को कन्ट्रोल करने का होगा। अगर वैसा होगा तो उसका ढांचा दूसरा आयेगा। अगर सिम्पली रेवेन्यू के केसेज़ के संबंध में होगा तो हाउस में उस तरह का निवेदन करेंगे। उसके लिए एक अलग बोर्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि हाई कोर्ट को पूरे अलग पॉवर दिये गये हैं तो रेवेन्यू बोर्ड के फैसलों को चेलेन्ज करने के लिए हाई कोर्ट में जाने के लिए प्रोवीज़न है। कॉस्टीट्यूशन में कोई बार नहीं है कि हाई कोर्ट कोई खिलाफ ऑर्डर रेवेन्यू केस के अन्दर नहीं दे सकते हैं। यह मानते हैं कि कुछ आदमियों को फिटइन करना है, एक एस्टेब्लिशमेंट बनाना है और उस ढांचे का नाम रखते हैं कि "Revenue Board is high in revenue Cases" ; तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है।

(हंसी)

श्री मोतीलाल चौधरी— (जारी) तो माननीय......

श्री भैरूसिंह (१६)—समझ में नहीं आया।

श्री मोतीलाल चौधरी—समझ में आ जायगा।

श्री भैरूसिंह (१६)—कैसे ?

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर उसको अलग करना है तो अच्छी तरह से करो या सिर्फ अगर नाम मात्र ही रखना है तो बात अलग है। मैं कहूँगा कि नाम मात्र का मत रखो। हाई कोर्ट की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। अगर यह एक्जीक्यूटिव साइड है तो तहसीलदारों और दूसरे लोगों पर सैटलमेन्ट वालों का कंट्रोल होगा और सैटलमेन्ट पर रेवेन्यू बोर्ड का कंट्रोल होगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें कन्फ्युजन मत डालिये, उन पर इतना बोझ मत डालिये। बोझ डालने के बाद अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। अगर इन्डिपेन्डेन्ट रहेंगे तो करपशन को चेक नहीं करेंगे। गवर्नमेन्ट की व्यूज़ के अगेन्स्ट जायेंगे तो चेक

[श्री मोतीलाल चौधरी]

नहीं कर सकेंगे और कतई निर्णय नहीं कर सकेंगे, इसलिये मेरा सबसे पहला यह निवेदन है कि सबसे पहले क्लॉज नंबर ५ का निर्णय कर लिया जाय, उसके बाद यह तय किया जाय कि उनकी पॉवर्स क्या होंगी, क्या नहीं होंगी। जैसे क्लॉज ५ को स्थगित किया है उसी तरह इसमें भी तय किया जाय। उनका रिटायरमेन्ट कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा; इन सब बातों का क्लॉज ५ के साथ ही संबंध है। जैसे क्लॉज ५ को डेफर किया है वैसे ही इसे भी किया जाय। क्लॉज ५ पर जब हाउस का मत ले लिया जायगा तब इस पर भी लिया जा सकता है। हाउस के अन्दर १६० मेम्बर हैं और अभी केवल ७ मेम्बर्स ने उस पर राय दी है।

श्री वेदपाल त्यागी—अब आपके हाथ में निर्णय है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाउस आप ही हैं क्या ?

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज के बारे में मेरा इरादा तो विरोध करने का ही था लेकिन मेरे मित्र नीम के थाने से आनेवाले सदस्य ने एक-दो बातें ऐसी कह दीं जिससे मैं समझता हूँ कि हमको इस क्लॉज का समर्थन करना चाहिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह कानूनी मामला है।

श्री मानसिंह महार—(भाषण जारी रखते हुए)मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि नीम के थाने से आये हुए जैसे माननीय सदस्य भी इतने कम समझते हैं और हमसे भी गये बीते हैं। यह बात इस तरह महसूस होती है कि मेरे मित्र का जो अमेन्डमेन्ट आया उसमें यह नहीं लिखा कि बोर्ड के मेम्बरों को किस तरह हटाया जायगा और क्या किया जायगा। यदि बोर्ड के मेम्बर पागल हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो सर्विस रूल्स की तहत भी अपने आप ही हट जायेंगे; तो उनकी यह आपत्ति उठ नहीं सकती। इस्तीफे दिये बगैर नहीं हट सकते। यह बात तो मानने में कहीं नहीं आती, न मालूम उन्होंने कैसे कही ? नीम के थाने से आये हुए सदस्य के नजदीक जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनका दिमाग भी उसी माफिक चल रहा है।

श्री भैरूसिंह—यह हाई क्या है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—बहुत अक्ल का काम है।

श्री मानसिंह महार—बोर्ड हाई कैसे होगा ?

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय सदस्य को मैंने समझा दिया था, अगर नहीं समझे तो यह उनकी गलती है।

श्री वेदपाल त्यागी—This is no explanation.

श्री मानसिंह महार—मैं मानता हूँ कि उनका मतलब हाय-तोबा से है लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड का मसला है इसको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिये और इसके कॉस्टिट्यूशन में यह नीयत नहीं रहनी चाहिये कि हम यदि अपना पंजा इस पर से हटा लेंगे तो हमारे अख्त्यार कम हो जायेंगे और जोधपुर के कमिश्नर को इधर से उधर कैसे फेंक सकेंगे यह बात ध्यान में नहीं रखें। उस जमाने की तरफ ध्यान दें जब ऐसा भी जमाना आ सकता है जब हमारी सरकार न रहे; ५ या १० वर्ष के बाद में दूसरों की सरकार आयेगी तो आप ही लोगों को यह बात बहुत अखरेगी।

श्री कपिलदेव—जब से आप इधर आये हैं तभी से अखर रही है।

श्री मानसिंह महार—(जारी) वे दुखी हो रहे हैं! जैसे जोधपुर से आये हुए माननीय मित्र बहुत दुखी हो रहे हैं, उसी प्रकार का अनुभव हमारा होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो छोटा सा संशोधन रखा है वह बहुत वाजिब है। मैं समझता हूँ जब कि ५ वें क्लॉज़ को डेफर किया है तो ८ क्लॉज़ को भी डेफर करना चाहिये। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि डेफर करने का अर्थ मंत्रीजी क्लेरिफाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसका अर्थ यह है कि हम इसमें सुधार लाना चाहते हैं। इस प्रकार सदन में काफी सदस्यों ने, इस पक्ष के और उस पक्ष के, भावना व्यक्त की है उसे ध्यान में रखना हम चाहते हैं। रेवेन्यु बोर्ड जितना इन्डिपेन्डेन्ट बनेगा जनता के लिये उतना ही अच्छा होगा।

मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, जो किसी सदस्य ने नहीं कही। दफा ५ में अगर किसी एडवोकेट को रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकेगा, ऐसा प्रोविजन रखा जाय तो यह बात ध्यान में रखने की जरूर है और उसमें यह बाधा लगाना जरूरी है कि वह एडवोकेट इस सदन का सदस्य नहीं है क्योंकि सदन के सदस्य को रखा जायगा तो एडवोकेट जनरल वगैरह का पद जैसा राजनैतिक है वही बात इस बोर्ड में आ जायगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी एडवोकेट को लेना है तो वह एडवोकेट कम से कम २ साल पहले तक इस सदन का सदस्य न रह चुका हो ताकि सदन के सदस्यों को इस प्रकार का कोई प्रलोभन न हो।

दूसरी बात यह है कि सदन का सदस्य होने के नाते समय समय पर जैसे नीम के थाने से आये हुए सदस्य के समझ में अब आ रहा है कि दबाव से काम हो सकता है, इसलिये कम से कम २ वर्ष तक सदन के सदस्य न रहे हों तो मैं कहूंगा कि पोलिटिक्स को ऊंचा उठाने में सहयोग देंगे। इसलिये मैं कहूंगा कि इन दोनों क्लॉजेज़ को अहमियत दी जाय, यह न समझा जाय कि यह ऐसी वैसी बात है। यह राजस्थान की जनता की जिंदगी और मौत का प्रश्न है। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। कई लोग कहते हैं कि राजस्थान का रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान की जनता को सही तरीके से न्याय

Page No.96

[श्री मानसिंह महार]

नहीं दे रहा है। जल्दी जल्दी उनकी ट्रान्सफर्स होती है। इसलिये रेवेन्यु बोर्ड के सदस्यों को इतनी वकफियत रेवेन्यू काम की नहीं होती है जितनी होनी चाहिये। इसलिये उनके फैसले जब हाई कोर्ट में आते हैं तो स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं और फैसले वापिस आते हैं। हमको यह दिखलाना है कि हमारी सर्विसेज़ इतनी एफिशियेन्ट है कि हाई कोर्ट भी उनको मानता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सेक्शन ५ और ८ को डेफर करके अमेन्डमेन्ट्स की भावना को देखते हुए उनमें और भी सुधार करें और उसको नये रूप से पास करें यह मेरा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अब आज का समय पूरा हो चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं इससे सहमत हूँ कि क्लॉज़ ५ और ८ एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं कि ५ को जब डेफर किया है तो ८ को भी डेफर करना जरूरी है (हिअर-हिअर)।

राज श्री हिम्मतसिंह—कुल चेप्टर ही डेफर हो चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। Only clauses 5 & 8 and not the whole Chapter.

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की सम्मति है कि इस सारे चेप्टर को डेफर किया जाय; क्या इसकी अनुमति दे दी गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास—No no, only five and eight.

श्री हिम्मतसिंह—मेरा ख्याल है कि सारे चेप्टर को डेफर किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की सम्मति है कि क्लॉज़ ८ को डेफर किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लाज़ ८ को मुल्तवी रखा गया

(विराम)

आज का समय हो गया है, अतः सदन की बैठक कल दिनांक ५ अक्टूबर, १६५५ के ८.३० बजे तक लिये स्थगित की जाती है।

Page No.97

[श्री उपाध्यक्ष]

(सदन की कार्यवाही रात्रि के ८ बजे, कल दिनांक ५ अक्टूबर; १६५५ के ८. ३० प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन
जयपुर
दिनांक-४अक्टूम्बर, १६५५

मनोहरराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २०१ का उत्तर देखिये)

सूची अध्यापक गण किशनगढ़ वृत्त जिनके कि फिक्शेसन पूर्णतया नहीं हो सके हैं।

क्रम		नाम अध्यापक	नाम स्कूल
१.	श्री	अम्बालाल माथुर	मि० स्कूल मदनगंज
२.	श्री	भंवरलाल शर्मा	,, किशनगढ
३.	,,	लक्ष्मीनारायण	प्राइमरी स्कूल रामपाली.
४.	,,	बिहारीलाल	,, ,, नरवर.
५.	,,	हरीराम	,, ,, नरबर.
६.	,,	श्यामसुन्दर	,, ,, बिडला.
७.	,,	बजरंगदास	जे.टी. सी. पावटा: सांवत्सर
८.	,,	कल्याणमल	,, ,, ,, सलावता
९.	,,	सामस्वरूप	मि० स्कूल अराई.
१०.	,,	हंसदास	प्राइमरी स्कूल मिलावट.
११.	,,	रामधुन	,, ,, सीतारामजी.
१२.	,,	रामगोपाल	,, ,, सिंगारा.
१३.	,,	रामनिवास	,, ,, बरना.
१४.	,,	देवीलाल	,, ,, बांरसींघरी.
१५.	,,	देवकृष्ण	स्थानान्तर कोटा डिविजन
१६.	,,	जुगलकिशोर	प्राइमरी स्कूल टांकरडा.
१७.	,,	प्रह्लादलाल	जे. टी. सी. पावटा (टांकडा)
१८.	,,	निरंजनलाल	जे. टी. सी. पावटा (नलू)
१९.	,,	धन्नालाल	जे. टी. सी. पावटा (सलैमाबाद)
२०	,,	धन्नालाल	छोटा नरायना.
२१.	,,	विजयचन्द	नलू.
२२.	,,	लालचन्द	सांवतसर.
२३.	,,	भंवरलाल	भुवारू.

क्रम	नाम अध्यापक	नाम स्कूल
२४. श्री	श्रीकिशन	स्थानान्तर दौसा वृत
२५. ,,	शिवसिंह	जे. टी. सी. पावटा (नौसल)
२६. ,,	सोहनलाल	प्राइमरी स्कूल सिरोंज
२७. ,,	रामानन्द	भिदून.
२८ ,,	मदनसिंह	पिंगलौप.
२६. ,,	छितरमल	मिलावट.
३०. ,,	अब्दुल गफ्फार	सांपता
३१. ,,	हिरालाल	ढसूक.
३२. ,,	जहूर मोहम्मद.	फतहगढ़.
३३. ,,	मदनलाल	हिंगोनियां
३४. ,,	रतनलाल	हिंगोनियां
३५. ,,	मोहनलाल	फतेहगढ.
३६ ,,	मदनलाल	फतेहगढ.
३७. ,,	जमनालाल	फतेहगढ.
३८. ,,	श्रीकिशन	कुचील.
३३. ,,	अलादीन काजी.	बोराडा.
४०. ,,	अलीमोहम्मद.	मदनगंज.
४१. ,,	मूलचन्द.	सांपला.
४२. ,,	रामनिवास	टिकावडा.
४३. ,,	रामस्वरूप	स्थानान्तर मि० स्कूल फागी
४४. ,,	उम्रसिंह	लीरिया
४५. ,,	गुलाम मोहम्मद	भगवानपुरा.
४६. ,,	देवकी नन्दन	रूपनगढ.
४७. ,,	लक्ष्मीनारायण.	रलावता.
४८. ,,	विद्याधर	छोटा लाम्बा.
४६. ,,	हरदेवदास	आकोडिया.
५०. ,,	गोकुलसिंह	नौसल.
५१. ,,	मदनगोपाल	दादिया.

Page No.100

क्रम	नाम अध्यापक	नाम स्कूल
५२.	श्री हाथीराम	सरवाड.
५३.	,, लादूराम	मामोलाद.
५४.	,, भंवरलाल	जे. टी. सी. पावटा सिरोंजः
५५.	,, जमनालाल	देवपुरी.
५६.	,, जगदीशप्रसाद	भोगादीत.
५७.	,, नरसिंह लाल	सांपला (डिस्चार्ज)
५८.	,, मोहम्मद यासीनखां	मि० स्कूल अराई.
५९.	,, मोहनलाल	अराई.
६०.	,, जमनालाल भटनागर.	मि० स्कूल सरवाड.
६१.	,, रतनलाल गुप्ता	सरवाड़.
६२.	,, रामनिवास छीपा	सरवाड़.
६३.	,, बंशीलाल शर्मा	सरवाड़.
६४.	,, नाथूलाल जोशी.	सरवाड़.
६५,	,, राजमल पायक.	सरवाड़.
६६	,, हरीप्रसाद	सरवाड़.
६७.	,, जमनालाल	सरवाड़.
६८.	,, रामरतन	रूपनगढ.
६९.	,, कल्याणसिंह	रूपनगढ.
७०.	,, तेजपाल	रूपनगढ.
७१.	,, धूलीलाल	रूपनगढ.
७२.	,, नन्दलाल	रूपनगढ.
७३.	,, महावीर प्रसाद	करकेढी.
७४.	,, वेदव्रत	करकेडी.
७५.	,, बद्रीलाल	करकेडी.
७६.	,, ओंकार	करकेडी.
७७.	,, घीसीलाल शर्मा	करकेडी.
७८.	,, बद्रीलाल जोशी,	करकेडी.

क्रम	नाम अध्यापक	नाम स्कूल
७६. ,,	चतुर्भुज	करकेडी.
८०. ,,	घीसालाल	करकेडी.
८१. ,,	कल्याण शर्मा	करकेडी.
८२. ,,	सुगनलाल	करकेडी.
८३. ,,	गोपीलाल	मि० स्कूल किशनगढ.

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं को अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिनको प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

२०३ (६० आर० एम०) श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु, एम० एल० ए०, डिवीजन नम्बर ४९:—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर के आस-पास कितनी सरकारी भूमि पर साधुओं ने कब्जे करके मन्दिर और मठ बना रखे हैं ?

(ख) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(ग) सिक्खों के ऐतिहासिक स्थान बुड्ढा जोड़ पर क्यों जुर्माना लगाया गया है ?

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने के लिये तैयार है ?

उत्तर

(क) गंगानगर के आस-पास की भूमि पर निम्नलिखित लोगों ने सरकारी कब्जा करके मन्दिर और मठ बना रखे हैं।

१. महावीर जी का मन्दिर बनाया गया।

२. पुजारी शाहनी मन्दिर ने सरकारी जमीन पर दीवाल बनाली।

३. निर्वाण बाबा ने महादेवजी का मन्दिर बना लिया।

४. गुसांईजी ने समाधियों के लिए निश्चित जमीन पर देवीजी का मन्दिर बनाना शुरू किया।

५. हंसराज ने प्याऊ और एक कमरा बना लिया।

६. हरिजनों ने सरकारी जमीन पर मन्दिर बना लिया है।

(ख) इनमें से कुछ के खिलाफ जुर्माना किया गया कुछ का काम रोका गया।

(ग) जिन्होंने भी सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया उन सब के खिलाफ कार्यवाही की गई है और ऐसा ही कुछ जोड़ के मामले में किया गया है।

(घ) यह सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न

२०५ (३१ पी० डब्ल्यू० एम०) **श्री किशनलाल शाह, एम० एल० ए०, डिवीजन ८८** :—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या मीठड़ी स्टेशन से मीठड़ी ग्राम (तहसील नावां) तक बनाई गई सड़क के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्रस्तुत हुई है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ग) क्या उक्त सड़क ग्रेवल रोड बनाई गई है ?

(घ) उक्त सड़क पर कितने रुपये खर्च किये गये और सरकार द्वारा कितने रुपये स्वीकृत किए गए थे।

(ङ) उक्त सड़क कितनी लम्बी बनाई गई ?

उत्तर

(क) हां।

(ख) शिकायतों के बारे में पूरी जांच की गई और सरपंच व अन्य कार्यकर्ताओं से शिकायत के बारे में पूछा गया और कहा गया कि साथ चलकर सड़क की त्रुटियां बताई जांय लेकिन कोई भी मौके पर नहीं चला। सड़क पूरी बन चुकी है और अब कोई शिकायत नहीं है।

(ग) हां।

(घ) सरकार द्वारा ११३१६ रुपये स्वीकृत किये गये और करीबन ११३०० रुपया खर्च हो गये है।

(ङ) सड़क की लम्बाई १ मील और ३ फर्लांग है।

प्रश्न

२११ (३२।पी० डब्ल्यू० एम०) श्री किशनलाल शाह, एम०एल०ए०, डिवीजन नम्बर ७८:—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मारोठ से सीकर तक सड़क बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है?

(ख) यदि हां, तो किधर से प्रारम्भ किया गया है?

(ग) अब तक कितने रुपये खर्च हो चुके हैं?

(घ) मारोठ के लिए सड़क कौन कौन से गांवों में से होकर पहुँचाई जावेगी?

(ङ) कब तक यह कार्य सम्पन्न हो जाने की आशा है?

उत्तर

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक कुछ नहीं।

(घ) सीकर से खूड, खूड से दांता, दांता से रामगढ़ होती हुई मारोठ पहुँचाई जावेगी।

(ङ) अनुमान, तीन वर्ष में हो जाने की आशा है।

प्रश्न

२१४ (६४।सी० एम०) श्री किशनलाल शाह, एम० एल० ए०, डिवीजन नम्बर ७८:—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्री-मरजर अध्यापकों का वेतन काटा गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(ख) कितने अध्यापकों का वेतन काटा गया ?

(ग) अब उनकी तरक्की क्यों रुकी हुई है ?

(घ) नागौर जिले में कितने अध्यापकों का ग्रेड रुका हुआ है ?

(ङ) क्या उनके कागजात पर कोई विचार किया जा रहा है ?

(च) यदि विचार किया जा रहा है तो कब तक उनका ग्रेड बढ़ा दिया जावेगा ।

उत्तर

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) किसी भी अध्यापक की तरक्की नहीं रुकी हुई है ।

(घ) किसी का भी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न

२२० (७५।सी० एम०) श्री किशनलाल शाह, एम० एल० ए०, डिवीजन नम्बर ७८ :—क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार के पास नावां तहसील में समाज कल्याण केन्द्र खोलने की कोई योजना प्रस्तुत है ?

(ख) यदि कोई योजना है तो उस पर क्या विचार किया जा रहा है ?

(ग) यह केन्द्र कब तक खोलने का विचार है ?

(घ) इस वर्ष कितने और कहां कहां केन्द्र खोले जावेंगे ?

उत्तर

(क) हां।

(ख) अभी ऐसी योजना विचाराधीन है।

(ग)- द्वितीय पंच वर्षीय योजना में।

(घ) इस वर्ष कुल १० केन्द्र खोलने को थे, अब तक ७ केन्द्र खुल चुके हैं। उनके नाम ये हैं। तीन केन्द्र और खुलेंगे :

१. महिला मण्डल, अलवर।

२. गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर :

३, महिला मण्डल, उदयपुर।

४. महिला उत्थान समिति, झुन्झुनू।

५, बाल विकास समिति, जयपुर।

६. किसान बोर्डिंग हाउस, छोटीखाटू।

७. ग्रामोत्थान विद्यापीठ, सगंरिया।

तीन अन्य केन्द्रों में से भीलवाड़ा के लिये योजना केन्द्रीय बोर्ड के विचाराधीन है। दो अन्य केन्द्रों का अभी निश्चय नहीं किया गया है।

प्रश्न

२२२ (३३ पी० डब्ल्यू० एम०) श्री किशनलाल शाह, एम० एल० ए० डिवीजन नम्बर ७८:—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार के पास कुचामन से दांता तक सड़क बनाने के कोई कागजात विचाराधीन हैं ?

(ख) यदि है, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है और उक्त सड़क कब तक बनाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(क) कुचामन से दांता तक सीधी सड़क बनाने के कागजात विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न

२३२ (३४। पी० डब्ल्यू० एम०) श्री किशनलाल शाह, एम०एल०ए०, डिवीजन नम्बर ७८:—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर से मकराना तक बिजली की लाइन का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

(ख) उक्त लाइन से किन किन गांवों को बिजली मिलेगी ?

उत्तर

(क) जयपुर से मकराना बिजली की लाइन का कार्य इस साल के अन्त तक प्रारम्भ किया जावेगा। लाइन की डिज़ाइन तैयार करके उसके लिए टेण्डर आमंत्रित किए जा चुके हैं।

(ख) इस लाइन से निम्नलिखित स्थानों को बिजली मिलेगी :—

१. फुलेरा।

२. साम्भर सिटी।

३. साम्भर नमक विभाग।

४. कुचामन रोड।

५. कुचामन सिटी (नांवा)

६. मकराना।

७. अन्य ग्राम भार (Rural Loads)

(ग) नावां को बिजली देने का निश्चय कर लिया गया है और बाकी गांवों को लाइन डालने पर उनकी आवश्यकता देख कर निश्चय किया जावेगा।

(घ) इन गांवों को सन् १९५६ ई० के अन्त तक बिजली दी जा सकेगी।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २१० का उत्तर देखिये उत्तर का शेष भाग)

६३४३ रु० का माल बेचा गया।

७००६ रु० छात्रवृत्ति दी गई।

४८९५ रु० का कच्चा सामान खरीदा गया।

भेड़ व ऊन विभाग

ऊन की गांठ बांधने के लिये एक बेलिंग प्रेस लगाया गया और उसी के साथ एक कार्डिंग मशीन भी लगाई गई।

भेड़-पालकों के ३६ सम्मेलन बुलाए गए जिसमें ४५०० भेड़-पालकों ने भाग लिया।

इस शाखा के सुपरवाइजर ने रेग्युलर गांवों में जाकर जांच की। एक नये भेड़-पोषक संघ का संगठन किया गया।

भेड़ के रोगों के सम्बन्ध में १३ बार गांवों से सूचना आने पर आवश्यक कार्यवाही की गई।

भेड़ प्रदर्शनी सांकड़ा में संयोजित की गई, जिसमें भेड़ की अच्छी नस्ल को ३० रु० पारितोषिक दिया गया।

पशु मेला के समय में नागौर में १५०० भेड़ों का प्रदर्शन कराया जाकर तत्सम्बन्धी विस्तीर्ण जानकारी भेड़-पालकों को दी गई।

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २३१ का उत्तर देखिये)

Baseri N.E.S. Block.

S. No.	Head	Work done.
	AGRICULTURE	
1.	Compost pits dug.	1477
2.	Fertilisers distributed (mds)	37
3.	Seeds distributed (mds)	180
4.	Agricultural implements distributed	42
5.	Demonstrations held-	70
6.	Cultivation of Vegetables. (acres)	36
7.	Cultivation of Fruits (acres)	29½
8.	Eradication of Field rats and white ants (acres)	22½
9.	Crop competition entries received.	73
10.	Compartment and contour bunding- of fields	125
11.	Trees planted.	17500
12.	Cattle Service.	1041
13.	Castrations done.	44
14.	Pedigree supplied.	1
15.	Inoculation and vaccination.	1020
16.	Treatment or general diseases of cattle.	711
17.	Cattle sheds improved.	39
18.	Cattie sheds constructed.	11
	RECLAMATION	
19.	Land reclaim. (acres)	97
	IRRIGATION.	
20.	Kucha wells constructed.	15
21.	Pucca wells constructed.	9

S. No.	Head.	Work done.
22.	No. of tanks constructed.	15
23.	Wells repaired and deepened.	64
24.	Total additional irrigated area. (acres)	4
	HEALTH AND RURAL SANITATION.	
25.	Sokage pits constructed.	26
26.	Drains constructed. (yds)	181
27.	Villages cleaned.	132
28.	Inoculation and vaccination of men.	42
29.	Medical aid given to. (persons)	966
30.	Urinal pits constructed.	1
31.	Treating of pits and breeding places.	20
	DRINKING WATER SUPPLY.	
32.	Wells constructed.	6
33.	Wells repaired.	18
34.	Wells disinfected.	33
35.	Diggis and nadis constructed. (yds)	82
	EDUCATION.	
36.	Adult education centres started.	30
37.	Adults under training.	542
38.	Adults trained.	55
39.	Physical and recreation centres.	32
40.	Community meetings.	186
41.	Vikas Mandals started.	54
42.	Library opened.	10
43.	Vidyarthi Sanghs organised.	21
44.	Young farmer club organised.	88

S. No.	Head.	Work done.
	COMMUNICATION.	
45.	Pucca road constructed. (miles)	1
46.	Kucha road constructed. (miles)	65
47.	Culverts and causway constructed.	10
	CO-OPERATION.	
48.	Co-operative Societies Opened.	35
49.	No. of Panchayats which took work.	14
	HOUSING.	
50.	Village Houses constructed.	75
51.	Village House reconditioned.	961
	PEOPLE'S PARTICIPATION.	
52.	Labour Value in Rs.	61,870/-
53.	Labour Value in cash and other contribution.	7,133/-

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१. (१७ आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, विभाजन संख्या ८७—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) देवस्थान विभाग द्वारा किन किन मन्दिरों की कितनी कितनी रकम औद्योगिक कारखानों को कब कब किन शर्तों पर उधार दी गई है।

(ख) ऐसे कितने कारखाने हैं जिन्होंने कर्ज लेने की शर्तों की अवहेलना की है ?

(ग) जिन औद्योगिक कारखानों को कर्ज दिया गया है और अभी तक रकुमात बाकी है उनमें से इस वक्त कौन कौन कारखाने बन्द हैं ?

(घ) किन किन औद्योगिक कारखानों के खिलाफ देवस्थान द्वारा सिविल सूट चलाये गये हैं ?

उत्तर

(क) देवस्थान विभाग द्वारा किसी मन्दिर की कोई रकम किसी औद्योगिक कारखाने को कर्ज नहीं दी गई है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

प्रश्न

२. (१८।आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, विभाजन संख्या ८७—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) देवस्थान विभाग द्वारा किन किन मन्दिरों की कितनी कितनी रकम किन किन व्यक्तियों या फर्मों को कब किन किन शर्तों पर उधार दी गई ?

(ख) उक्त व्यक्तियों व फर्मों में से किन किन शर्तों की अवहेलना की है ?

(ग) १ जून सन् १९५५ तक किस किस फर्म या व्यक्ति में कितनी कितनी असल रकम व ब्याज की रकम बकाया रहती है ?

(घ) ऐसी कितनी फर्म्स हैं जिनका अब अस्तित्व तक नहीं रहा है ?

(ङ) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनमें रुपया बाकी है और राजस्थान छोड़कर बाहर चले गये हैं या मर गये हैं ?

उत्तर

(क) देवस्थान विभाग द्वारा जो रकम उधार दी हुई है उसकी सूची संलग्न है।

(ख) लगभग सब ही कर्जदारान ने अवहेलना की है।

(ग) प्रश्न संख्या (क) के साथ जो सूची संलग्न है उसके कोस्टक संख्या में अंकित है।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) कोई नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

प्रश्न

३. (१३आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, विभाजन संख्या ८७:—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, सन् १९५४ के बाद कितनी नई तहसीलें बनाई गई और कितनी तहसीलों का पुनर्गठन किया गया?

(ख) नई बनाई गई और पुनर्गठन की गई तहसीलों के नाम क्या क्या हैं? उनकी जन संख्या, आमदनी और क्षेत्रफल कितना कितना है?

(ग) १ जनवरी, सन् १९५४ के बाद किन किन तहसीलों को तोड़ा गया है?

उत्तर

(क) १ जनवरी के बाद २३ नई तहसीलें बनाई गई व १० तहसीलों का पुनर्गठन हुआ।

(ख) नई बनाई गई और पुनर्गठन की गई तहसीलों के नाम इस प्रकार से है और नई तहसीलों की पॉपुलेशन, एरिया और आमद इस प्रकार से हैं।

नाम तहसील	पॉपूलेशन	एरिया	आमदनी
१. ओसाइन	६१,३५०	१,०५,८६०	५,५२,३७१
२. जायल	७२,४६६	३,३५,७१३	४,७१,७३२
३. लाडन	६८,४३६	३,३७,०५०	५,०४,७६२
४. देगानां	८८,४६०	४,७२,४६२	५,१०,०४८

नाम तहसील	पॉपूलेशन	एरिया	आमदनी
५. रायपुर	७१७,८८५	२,६३,४०७	७,०५,३८४
६. मारवाड़ जंक्शन	६१,८८२	३,३५,४६५	४,६०,६८४
७. अहोर	८०,३००	३,४१,६०३	७,१६,६६७
८. छोटान	प्राप्त नहीं हुए सेटिलमेन्ट न होने के कारण		४,५१,२८६

नई बनाई हुई तहसीलों के क्षेत्रफल के नाम यह हैं :

१. जेसलमेर

२. रामगढ़

३. साम

४. फतहगढ़

५. पोखरान

६. नचाना

(ग) १ जनवरी, सन् १६५४ के बाद ४ तहसीलों को जो तोड़ा गया वे इस प्रकार से हैं—

१. उनियारा २. मन्डरायल ३. आमेर और ४. अराई ।

प्रश्न

४. (२६।आर. एम.) श्री चांदमल मेहता. विभाजन संख्या ८७:—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १ जनवरी, सन् १६५४ के बाद किशनगढ़ सब डिवीज़न के किन किन फर्स्ट ग्रेड पटवारियों को सेकिण्ड ग्रेड पटवारी बनाया गया ?

(ख) फर्स्ट ग्रेड से सेकिण्ड ग्रेड पटवारी बनाने के क्या कारण हैं ?

(ग) १ जनवरी, सन् १६५४ के बाद किन किन सेकिन्ड ग्रेड पटवारियों को फर्स्ट ग्रेड बनाया गया ?

(घ) क्या उक्त कर्मचारियों में ऐसे भी थे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं ?

उत्तर

(क) किशनगढ़ सब तहसील में पटवारी एक ही ग्रेड के हैं, फर्स्ट ग्रेड व सैकिन्ड ग्रेड नहीं है।

(ख) उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

(ग) किसी को नहीं।

(घ) कोई नहीं।

प्रश्न

५. (४०।आर. एम) श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल, विभाजन संख्या १२६ :—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्व विभाग, जिला सवाई माधोपुर में कितने अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन क्लर्क, ऑफिस कानूनगो व गिरदावर कानूनगो हैं।

(ख) वे १ अप्रेल, सन् १९५० को किस किस स्थान में काम कर रहे थे ?

(ग) ३१ अगस्त सन् १९५५ तक उनका कहां कहां ट्रांस्फर हुआ ?

(घ) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका ट्रांस्फर उसी स्थान पर हो गया है या आज तक नहीं हुआ है या बार-बार हुआ है ?

उत्तर

(क) जिला सवाई माधोपुर में—

अपर डिविजन क्लर्क	४१ हैं।
लोअर डिविजन क्लर्क	१२१ हैं।
ऑफिस कानूनगो	११ हैं।

गिरदावर कानूनगो ३२ हैं।

(ख) सूची के अनुसार।

(ग) सूची के अनुसार जो सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(घ) सूची के अनुसार।

(ङ) सूची के अनुसार जो सदन की मेज पर मौजूद है। उसके अवलोकन से धांधलेबाजी व भ्रष्टाचार कोई बात नजर नहीं आती है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

प्रश्न

६. (१५।सी० आई० एम०) श्री चांदमल मेहता, विभाजन संख्या ८७:—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) उद्योग विभाग में किस किस केडर के कितने कितने ऑफीसर्स हैं?

(ख) उक्त ऑफीसर्स में कौन कौन अधिकारी उद्योग सम्बन्धित टेक्नीकल क्वालिफिकेशन रखते हैं?

(ग) ऐसे कितने टेक्नीकल क्वालिफिकेशन वाले अधिकारी हैं जो १ फरवरी, सन् १९५५ के बाद त्याग-पत्र देकर चले गये हैं?

(घ) उक्त अधिकारियों के स्थान पर जिन्हें लिया गया है उनकी टेक्नीकल क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं?

उत्तर

(क) केवल एक।

(ख) कोई नहीं।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

७. (२७ सी० आई० एम०) श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल, विभाजन संख्या १२६— क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १ अप्रैल, सन् १९५५ से ३१ अगस्त सन् १९५५ तक अनुसूचित वन जातियों तथा दलित वर्ग की सहायता के रूप में कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

(ख) उक्त रुपया जिले वाइज़ किस तरह से किस किस को दिया गया है और किस किस की सिफारिश पर कैसी सहायता के लिये दिया गया है ?

उत्तर

(क) भाग (अ) सरकार अनुसूचित वन जातियों से अनभिज्ञ है ।

भाग (ब) दलितवर्ग से अभिप्राय स्पष्ट नहीं । अतः प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि सरकार द्वारा निम्न जातियों के कल्याणार्थ योजनायें एवम् कार्य किय जाते तथा सहायता दी जाती है :-

(१) अनुसूचित जन जातियें (scheduled tribes.)

(२) अनुसूचित जातियां (scheduled Castes.)

(३) अन्य पिछडी जातियां (other Backward classes.)

(ख) धन राशि जिलेवार वितरित नहीं की जाती । सहायता किसी भी स्थान की आवश्यकता एवम् सहायता के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को और जनसंख्या को दृष्टिगत रख कर ही दी जाती है ।

सहायता पिछडी जाती कल्याण विभाग के प्रादेशिक अधिकारियों, जिलाधीशों, सब डिविज़नल अधिकारियों और सम्बन्धित तहसीलदारों की सिफारिश पर दी जाती है ।